भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (वाणिज्यिक)

2015 की संख्या 2

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों

के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

प्राक्कथन			iii
कार्यकारी सार			v
अध्याय 1	**केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन**		
	1.1	प्रस्तावना	1
	1.2	सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में निवेश	4
	1.3.	सरकारी कम्पनियों और निगमों में निवेश पर प्रतिफल	12
	1.4	घाटे वाली सीपीएसईज़	16
	1.5	सरकारी कम्पनियों की प्रचालन दक्षता	17
अध्याय 2	**सीएजी की निरीक्षण भूमिका**		
	2.1	सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा	21
	2.2.	सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	21
	2.3	सीपीएसईज़ के लेखाओं का बकाया	23
	2.4	सीएजी का निरीक्षण-लेखाओं की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा	26
	2.5	सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम	29
	2.6	लेखांकन मानकों से विचलन	50
	2.7	प्रबंधन पत्र	53
	2.8	सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की महत्वपूर्ण आपत्तियां	53
	2.9	कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (ए) के अंतर्गत सीएजी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित आपत्तियां	69
	2.10	वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण	71

अध्याय 3 निगमित अभिशासन

3.1	निगमित अभिशासन	73
3.2	निदेशक मंडल	76
3.3	लेखापरीक्षा समिति	80
3.4	बोर्ड के सभी सदस्यों हेतु आचार संहिता	85
3.5	सहायक कम्पनियां	87

अध्याय 4 भारतीय लेखांकन मानकों का आईएफआरएस के साथ सम्मिलन

4.1	सम्मिलन प्रक्रिया	89
4.2	सम्मिलन में चुनौतियां	90

अध्याय 5 डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन

5.1	प्रस्तावना	93
5.2	डीपीई के दिशानिर्देशों का अननुपालन	93
5.3	अननुपालन पर 'की गई कार्यवाही ' की स्थिति	95
5.4	उद्योग पर स्थायी संसदीय समिति के निदेश	101

अध्याय 6 निगमित सामाजिक दायित्व

6.1	प्रस्तावना	103
6.2	अप्रैल 2013 से सीएसआर पर डीपीई के नये दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं	103
6.3	चयनित सीपीएसईज द्वारा अनुपालन की समीक्षा	104
6.4	योजना	105
6.5	वित्तीय घटक	106
6.6	कार्यान्वयन एवं निगरानी	107
6.7	प्रभाव आकलन	109
6.8	नया कम्पनी अधिनियम 2013 और सीएसआर दिशानिर्देश	109

परिशिष्ट

प्राक्कथन

सरकारी कम्पनियों (मानी गयी सरकारी कम्पनियों सहित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के उपबन्धों के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक (सनदी लेखाकार) उन कम्पनियों के लेखाओं को प्रमाणित करते हैं जिनकी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां देता है अथवा उसके द्वारा एक पूरक रिपोर्ट जारी की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 1956 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उस विधि के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति देता है जिसमें कम्पनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाएगी।

2. पांच निगमों अर्थात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम और दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में सुसंगत संविधियों के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उनका एकमात्र लेखापरीक्षक है। एक निगम अर्थात केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के सम्बन्ध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को निगम को शासित करने वाली सम्बन्धित संविधि के अधीन नियुक्त किए गए सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के बाद अनुपूरक अथवा नमूना लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।

3. मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी कम्पनी अथवा निगम के लेखाओं के संबंध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, 1984 में यथा संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के अन्तर्गत सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किए गए हैं।

4. इस प्रतिवेदन में समीक्षित सीपीएसईज़ के लेखाओं में 2011-12, 2012-13 और 2013-14 (जो प्राप्त हुए हैं) के लेखे शामिल हैं। सीपीएसईज़ के संबंध में जहां किसी विशेष वर्ष के लेखे 30 नवम्बर 2014 से पहले प्राप्त नहीं हुए थे, वहां पिछले लेखापरीक्षित लेखाओं के आंकड़े अपनाए गए हैं।

5. कुछ सीपीएसईज़ के सम्बन्ध में पूर्व वर्ष के आंकड़े लेखापरीक्षित/संशोधित आंकड़ों द्वारा अनन्तिम आंकड़ों के प्रतिस्थापन के कारण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014 की संख्या 2 में दर्शाए गए तदनुरूपी आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं।

6. इस प्रतिवेदन में 'सरकारी कम्पनियों/निगमों या सीपीएसईज़' के सभी प्रसंग 'केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों/निगमों ' के प्रसंग में माने जाएं जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा सुझाव न दिया जाए।

कार्यकारी सार

I. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2014 तक, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 544 केन्द्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज़) थे। इनमें 377 सरकारी कम्पनियां, 161 मानी गई सरकारी कम्पनियां तथा छः सांवधिक निगम शामिल थे। इस प्रतिवेदन में 353 सरकारी कम्पनियां और निगम (छः सांविधिक निगमों सहित) और 144 मानी गई सरकारी कम्पनियाँ हैं। इस प्रतिवेदन में उन 47 कम्पनियों (17 मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित) जिनके लेखें तीन वर्षों या अधिक के लिए बकाया में थे या समाप्त/परिसमापन के अन्तर्गत थे, को शामिल नहीं किया गया है।

[पैरा 1.1.3]

सरकारी निवेश

353 सरकारी कम्पनियों और निगमों के लेखो ने दर्शाया कि भारत सरकार ने ₹ 2,45,191 करोड़ शेयर पूंजी में निवेश किए थे और 31 मार्च 2014 तक इसके ₹ 54,907 करोड़ के कर्ज़ बकाया थे। पिछले वर्ष की तुलना में, सीपीएसईज़ की इक्विटी में भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निवेश में ₹ 13,902 करोड़ की निवल वृद्धि हुई और उन्हें दिए गए कर्ज़ ₹ 4,091 करोड़ तक बढ़ गए। भारत सरकार ने 11 सीपीएसईज़ और नव गठित सीपीएसई-इटीएफ योजना में अपने शेयरों के विनिवेश से ₹ 15,819 करोड़ वसूल किए।

[पैरा 1.2.1 और 1.2.2]

बाज़ार पूंजीकरण

46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के शेयरों, जिनकी 31 मार्च 2014 को स्टॉक मॉर्किट में प्रचलित मूल्यों के अनुसार ट्रेडिंग की गई थी, का बाज़ार मूल्य ₹ 11,06,657 करोड़ था। 31 मार्च 2014 को भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का बाज़ार मूल्य ₹ 7,97,348 करोड़ था।

[पैरा 1.2.4]

निवेश पर प्रतिफल

202 सरकारी कम्पनियों और निगमों द्वारा अर्जित कुल लाभ ₹ 1,53,907 करोड़ था जिसमें से 65 प्रतिशत (₹ 1,00,369 करोड़) लाभ तीन क्षेत्रों अर्थात पेट्रोलियम, कोयला एवं लिग्नाईट तथा विद्युत के अन्तर्गत 41 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों का था।

[पैरा 1.3]

एक सौ ग्यारह सरकारी कम्पनियों तथा निगमों ने वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 66,051 करोड़ का लाभांश घोषित किया। इसमें से ₹ 41,842 करोड़ का भारत सरकार को भुगतान योग्य था जोकि सभी सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में भारत सरकार के कुल निवेश (₹ 2,45,191 करोड़) पर प्रतिफल 17.06 प्रतिशत था।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अन्तर्गत की 10 सरकारी कम्पनियों, ने ₹ 14,997 करोड़ का अंशदान दिया जो सभी सरकारी कम्पनियों द्वारा घोषित कुल लाभांश का 22.70 प्रतिशत था।

19 कम्पनियों द्वारा लाभांश की घोषणा में सरकारी निदेशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2013-14 के लिए लाभांश के भुगतान में ₹ 2,555 करोड़ की कमी हुई।

[पैरा 1.3.2]

निवल सम्पत्ति/संचित हानि

353 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में से, 67 कम्पनियों में इक्विटी निवेश उनकी संचित हानियों द्वारा पूर्णतः समाप्त हो गया था। परिणामतः इन कम्पनियों की सकल निवल सम्पत्ति 31 मार्च 2014 को ₹ 87,885 करोड़ की सीमा तक ऋणात्मक हो गई थी। 67 कम्पनियों में से मात्र नौ कम्पनियों ने 2013-14 के दौरान ₹ 1,399 करोड़ का लाभ कमाया।

[पैरा 1.4.1]

II. सीएजी की निरीक्षण भूमिका

544 सीपीएसईज़ में से, 467 सीपीएसईज़ से समय (अर्थात 30 सितम्बर 2013 तक) से वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखे प्राप्त हुए थे। इनमें से 297 सीपीएसईज़ के लेखाओं की लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।

[पैरा 2.3.2, 2.3.3 एवं 2.5.2]

वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, सीएजी ने आम सहमति के आधार पर सीपीएसईज़ के लेखाओं की त्रि-चरण लेखापरीक्षा प्रणाली शुरू की। इसके कारण उनकी

वित्तीय विवरणियों की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। वर्ष 2013-14 के लिए 74 सीपीएसईज़ में त्रि-चरण लेखापरीक्षा का निवल प्रभाव, लाभकारिता पर ₹ 20,225.28 करोड़ तथा परिसम्पत्तियों/देयताओं पर ₹ 38,496.51 करोड़ था।

[पैरा 2.5.1]

लेखाओं का संशोधन

सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, आठ सरकारी कम्पनियों (दो सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों सहित) के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपने लेखें संशोधित किये।

[पैरा 2.5.2]

लेखाओं पर सीएजी की टिप्पणियों का प्रभाव

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के बाद सीएजी द्वारा कई टिप्पणियां जारी की गई थी। सांविधिक निगमों के मामले में जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है, महत्वपूर्ण टिप्पणियों के अलावा वहाँ ₹ 480.06 करोड़ की त्रुटियों का संशोधन सीएजी की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप किया गया था।

[पैरा 2.5.3]

लेखाकरण मानकों से विचलन

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लेखाकरण मानकों के प्रावधानों से विचलन सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा 33 कम्पनियों में देखे गए थे। सीएजी ने भी 13 अन्य कम्पनियों में ऐसे विचलनों का उल्लेख किया।

[पैरा 2.6]

प्रबंधन पत्र

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई वित्तीय रिपोर्टों में अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में अनियमितताओं और कमियों पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए 'प्रबन्धन पत्र' के माध्यम से 113 सीपीएसईज के प्रबन्धन को सूचित किया गया था।

[पैरा 2.7]

सांविधिक लेखापरीक्षकों की अभ्युक्तियां

सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने एक सांविधिक निगम तथा 54 कम्पनियाँ जिनमें 11 सूचीबद्ध कम्पनियां थीं, के संबंध में अपनी रिपोर्टों में महत्वपूर्ण कमियां बताईं।

[पैरा 2.8]

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(क) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन में सांविधिक लेखापरीक्षकों ने विभिन्न कम्पनियों में स्थायी परिसम्पत्तियों, आन्तरिक पद्धति तथा प्रचालनात्मक दक्षता, निवेश, मालसूची, आन्तरिक लेखापरीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों, धोखेबाजी एवं जोखिम तथा सतर्कता के संबंध में आन्तरिक नियंत्रण साधनों की कमी सहित वित्तीय नियंत्रणों तथा प्रक्रियाओं से संबंधित विसंगतियाँ सूचित कीं।

[पैरा 2.9 एवं 2.10]

III. निगमित अभिशासन

इस अध्याय में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, खनन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत 34 कम्पनियों को कवर किया गया है। यद्यपि निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश अनिवार्य हैं, तथापि कुछ सीपीएसईज़ द्वारा उनका पालन नहीं किया जा रहा। निर्धारित दिशानिर्देशों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचलन देखे गए थे:

- कुछ सीपीएसईज़ में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं था। 18 सीपीएसईज़ में बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

[पैरा 3.2.2]

- जोखिम के प्रबन्धन तथा सत्त्व की प्रतिष्ठा को नुकसान से टालने के लिए जोखिम नीति नौ सीपीएसईज़ में विकसित होनी शेष थी। 10 सीपीएसईज़ में लेखापरीक्षा समिति की चार से कम बैठके आयोजित की गई थीं।

[पैरा 3.2.6 एवं 3.3.5]

- नौ सीपीएसईज़ में कोई चेतावनी तंत्र नहीं था। 16 सीपीएसईज़ में निर्देशक मण्डल के लिए आदर्श व्यापार सहिंता प्रचारित नहीं की गई थी ।

[पैरा 3.3.10 एवं 3.4]

IV. आईएफआरएस के साथ भारतीय लेखांकन मानकों का सम्मिलन

मार्च 2010 में कॉरपोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा घोषित रोड़-मैप के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक के साथ अभिसारित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2011 के आरंभ होने वाले चरण में कंपनियों की विशिष्ट श्रेणी के लिए लागू किये जाने थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एमसीए अधिसूचित रोड़-मैप के अनुसार इंड एएस को लागू करने की तिथि को अधिसूचित नहीं कर सकी।

[पैरा 4.1.1]

फरवरी 2014 में वित्त मंत्री के बजट कथन के अनुसार, एमसीए ने विभिन्न पणधारकों और नियंत्रकों के साथ विचार-विमर्श के बाद, 2 जनवरी 2015 को एक प्रैस नोट जारी किया जिसमें आईएफआरएस सम्मिलित इंड एएस को लागू करने के लिए बैंकिंग कंपनियों, बीमा कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों, (एनबीएफसी) के अलावा कंपनियों के लिए एक संशोधित रोड़-मैप बनाया गया।

[पैरा 4.1.2]

कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों के साथ वित्तीय विवरणों का अनुपालन किया जाएगा और कंपनियों की श्रेणी या श्रेणियों हेतु उपलब्ध कराये गये प्रपत्र या प्रपत्रों में होगा। इससे इंड एएस का कार्यान्वयन चरणों में किया जाएगा। इसके फलस्वरूप, एमसीए ने दिनांक 16 फरवरी 2015 की अपनी अधिसूचना द्वारा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 को अधिसूचित कर दिया और इसमें विनिर्दिष्ट 39 एंड एएस उपर्युक्त रोड़-मैप के अनुसार लागू कर दिये जायेंगे।

[पैरा 4.1.3]

सम्मिलन में चुनौतियां

- इंड एएस परिसम्पत्तियों और देयताओं के सही मूल्य आकलन पर आधारित है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत संबंधित मानकों का सुचारू और सुसंगत पारगमन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

[पैरा 4.2.1]

- बैंकों और बीमा कम्पनियों को उनकी विशेष आवश्यकताओं एवं इन दो क्षेत्रों कि चिंताओं के मद्देनजर प्रस्तवित रोड मैप से बाहर रखा गया है।

[पैरा 4.2.2]

- अनुपालन की लागत, क्षमता संवर्धन, मानकों (एक उन निकायों हेतु जो परिवर्तन करते हैं और एक उनके लिए जो नहीं करते) के दो सेटों के प्रबन्ध, और अपवादों एवं 'कार्यआऊटस' के सम्मिलन के उद्देश्यों की प्राप्ति पर पड़ने वाले प्रभावों को एमसीए, डीपीई और आईसीएआई द्वारा अच्छे समन्वित तंत्र के द्वारा देखा जाना आवश्यक होगा।

[पैरा 4.2.3]

V. सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों का अनुपालन

डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन करने हेतु सीपीएसईज को मॉनीटर करने के तंत्र को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लघंन के परिणामस्वरूप 44 सीपीएसईज़ में 46 मामलों में ₹ 1326.80 करोड़ के भुगतान हुए जैसाकि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 2013 एवं 14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 13 में बताया गया है। वास्तव में ये अनियमितताएं मात्र नमूना जाँच के परिणामस्वरूप ध्यान में आई थी और ऐसे अनियमित भुगताओं के और अधिक मामले हो सकते हैं।

[पैरा 5.2]

हालांकि यह सुनिश्चित करना संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग की जिम्मेदारी है कि उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सीपीएसईज़ द्वारा डीपीई दिशा-निर्देशों की पालना की गई है, सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में रिपोर्ट की जा रही डीपीई दिशा-निर्देशों की अक्षरश अननुपालन की लगातार और बार-बार होने वाली घटनाओं के मद्देनजर, वित्त मंत्रालय या डीपीई में एक सुदृढ़ तंत्र लागू किया जाना चाहिए ताकि अननुपालना के सभी मामलों को नियमित और महत्वपूर्ण समीक्षा द्वारा सुलझाया जाये।

[पैरा 5.5]

VI. निगमित सामाजिक दायित्व

सार्वजनिक उद्यम विभाग ने अपने निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) दिशानिर्देशों में संशोधन किया है जोकि अप्रैल 2013 से प्रभावी है जो सीपीएसईज़ में सीएसआर हेतु गतिविधियों का अधिदेश तथा कार्यक्षेत्र निर्दिष्ट करते हैं।

[पैरा 6.2]

विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत ऊर्जा क्षेत्र की 39 सीपीएसईज़ को समीक्षा की गई थी। समीक्षा के उद्देश्य हेतु 12 अप्रैल 2013 के डीपीई दिशानिर्देशों में दिये गये प्रावधानों के आधार पर एक निर्धारण संरचना तैयार की गई थी। समीक्षा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ की गई थी:

[पैरा 6.3]

- छः सीपीएसईज़ में सीएसआर तथा संधारणीयता नीति का गठन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त दो सीपीएसईज़ ने ऐसी गतिवधियों का सामाजिक, आर्थिक पर्यावरणीय प्रभाव तथा मापन योग्य एवं अपेक्षित परिणाम निर्धारित नहीं किया था।

[पैरा 6.4.1 एवं 6.4.2]

- प्रतिवर्ष प्रत्येक सीपीएसई को अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से कंपनी की लाभप्रदता के आधार पर वर्ष के सीएसआर और सतत कार्यकलापों/परियोजनाओं के लिए एक बजटीय आबंटन करना था। पॉच सीपीएसइज़ में, बजटीय आबंटन निर्धारित रेंजों से ₹ 8.66 करोड़ तक कम था।

[पैरा 6.5.1]

- सीएसआर और सतत्ता क्रियाओं का कार्यान्वयन और निगरानी के लिए संगठन में द्विस्तरीय संगठनात्मक संरचना को गठित करके निरीक्षण किया जाना था। तथापि, आठ सीपीएसईज़ द्वारा इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

[पैरा 6.6.1]

- सात सीपीएसईज़ में, कंपनियों द्वारा कार्यान्वित इन-हाऊस सीएसआर परियोजनाएं निगरानी हेतु नहीं हैं और अंतिम मूल्यांकन स्वतंत्र बाह्य एजेंसी को नहीं सौंपा गया।

[पैरा 6.6.3]

अध्याय 1

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

1.1 प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों और मानी गई सरकारी कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन प्रस्तुत किए गए हैं। शब्द केन्द्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) में कम्पनी के अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत गठित सरकारी स्वामित्व कम्पनियाँ और संसद की संविधियों के अन्तर्गत गठित सांविधिक निगम सम्मिलित हैं जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) को सौंपी गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में एक **सरकारी कम्पनी*** की परिभाषा ऐसी कम्पनी के रूप में दी गयी है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत केन्द्रीय सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो और इसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो इस प्रकार से परिभाषित कम्पनी की सहायक हो। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 बी के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियां भी इस प्रतिवेदन में **मानी गई सरकारी कम्पनियों** के रूप में संदर्भित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार संसद के विशेष नियमों के अधीन निगमों की स्थापना करती है जिन्हें **सांविधिक निगमों** के रूप में संदर्भित किया गया है।

सरकारी कम्पनियां

एक कम्पनी जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार, अथवा किसी एक या अधिक राज्य सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से राज्य सरकार (रों) द्वारा धारित हो और इसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो सरकारी कम्पनी की सहायक हो।

---

* लोक उद्यम विभाग (डीपीई) उन सीपीएसईज़ को कम्पनी के रूप में मानता है जिसमें केन्द्र सरकार के पास 50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी या उसकी धारण कम्पनी या उसकी सहायक कम्पनी 50 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व रखती है। सीएजी और डीपीई द्वारा अपनाई गई परिभाषा में अन्तर के दृष्टिगत, सीएजी और डीपीई द्वारा सीपीएसईज़ के रूप में मानी गई कम्पनियों की संख्या में अंतर हो सकता है।

1.1.1 अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और मानी गई सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा सीएजी के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत सीएजी द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सीएजी कम्पनियों के लिए लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकार (सांविधिक लेखापरीक्षक) की नियुक्ति करता है और अनुपूरक लेखापरीक्षा करने के अतिरिक्त वे निर्देश देता है जिनके अनुसार लेखापरीक्षा की जाती है। कुछ सांविधिक निगमों को अधिशासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की अपेक्षा की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक को अधिशासित करने वाले अधिनियमों में वे प्रावधान निहित हैं जिनके द्वारा केन्द्र सरकार इन निगमों के लेखाओं की जांच करने और उन पर रिपोर्ट करने के लिए किसी भी समय सीएजी को लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है। 2013-14 के दौरान ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई थी।

1.1.2 इस प्रतिवेदन में क्या है

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों और निगमों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता तथा कम्पनियों तथा निगमों के लेखाओं से प्रकट उनके निष्पादन के मूल्यांकन की समग्र स्थिति को दर्शाया गया है।

लेखाओं के संशोधन तथा वर्ष 2013-14 (अथवा पिछले वर्षों जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिया गया हो) के लिए सीएजी द्वारा की गई केन्द्र सरकारी कम्पनियों की वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों, तथा सीपीएसईज़ की वित्तीय विवरणियों का प्रमाणीकरण करते समय सांविधिक लेखापरीक्षा द्वारा सूचित महत्वपूर्ण निष्कर्षों का प्रभाव इस प्रतिवेदन में दिया गया है। जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है, वहां इस प्रतिवेदन में सांविधिक निगमों की वित्तीय विवरणियों पर सीएजी द्वारा जारी टिप्पणियों का प्रभाव भी निहित है। इसके अतिरिक्त, इस प्रतिवेदन में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (क) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा उन्हें जारी निदेशों के अनुपालन में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का सार भी दिया गया है।

प्रतिवेदन में कारपोरेट अभिशासन और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के सीपीएसईज़ द्वारा पालन की समग्र स्थिति का भी वर्णन किया गया है।

1.1.3 सीपीएसईज़ और मानी गई सरकारी कम्पनियों की संख्या

31 मार्च 2014 को, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 544 सीपीएसईज थी। इनमें 377 सरकारी कम्पनियां, 6 सांविधिक निगम और 161 मानी गई सरकारी कम्पनियां शामिल थी। इस प्रतिवेदन में समग्र कवरेज तथा इन सीपीएसईज़ का स्वरूप निम्निलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

• **सरकारी कम्पनियां**	**377**
• **मानी गई सरकारी कम्पनियां**	**161**
• **सांविधिक निगम**	**6**
• **कुल सीपीएसईज**	**544**

सीपीएसई का स्परूप	सीपीएसईज की कुल संख्या	प्रतिवेदन में शामिल सीपीएसईज की संख्या				प्रतिवेदन में शामिल न की गई सीपीएसईज़ की संख्या
		नवीनतम आंकड़े 2013-14	पहले के आंकड़े		जोड़	
			2012-13	2011-12		
सरकारी कम्पनियां	377	330	13	4	347	30
सांविधिक निगम	6	5	1	0	6	-
कुल कम्पनियां/निगम	383	335	14	4	353	30
मानी गई सरकारी कम्पनियां	161	138	5	1	144	17
जोड़	544	473	19	5	497	47

नई/बन्द सरकारी कम्पनियों/मानी गई सरकारी कम्पनियों के विवरण **परिशिष्ट I** में दिए गए हैं।

तथापि, इस प्रतिवेदन में 47 सीपीएसईज़ (17 मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित) जिनके लेखे तीन वर्षों या उससे अधिक के लिए बकाया में थे अथवा समाप्त/परिसमापन के अन्तर्गत थे अथवा पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए थे अथवा पहले लेखे देय नहीं थे, को शामिल नहीं किया गया है। इन कम्पनियों को दो सितारों (**) के द्वारा **परिशिष्ट II** में दर्शाया गया है।

सीपीएसईज़ का आशुचित्र

(सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगम)

सीपीएसईज़ की संख्या	**383**
इस अध्याय में शामिल सीपीएसईज़	**353**
प्रदत्त पूंजी (353 सीपीएसईज़)	**₹ 3,30,626 करोड़**
दीर्घकालिन कर्जे (353 सीपीएसईज़)	**₹ 8,81,774 करोड़**
बाजार पूंजीकरण (46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां)	**₹ 11,06,657 करोड़**
निवल लाभ (202 सीपीएसईज़)	**₹ 1,53,907 करोड़**
निवल हानि (124 सीपीएसईज़)	**₹ 49,612 करोड़**
घोषित लाभांश (111 सीपीएसईज़)	**₹ 66,051 करोड़**
कुल परिसम्पतियां (353 सीपीएसईज़)	**₹ 34,94,654 करोड़**
उत्पादन का मूल्य (353 सीपीएसईज़)	**₹ 14,13,922 करोड़**
कुल मूल्य (353 सीपीएसईज़)	**₹ 11,60,694 करोड़**

1.2 सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में निवेश

31 मार्च 2014 के अंत में 353* सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में इक्विटी निवेश और कर्ज़ की सीमा निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं। कुछ सरकारी कम्पनियों तथा निगमों ने भी इन सीपीएसईज में निवेश किया था। विवरण नीचे दिये गये हैं:

(₹ करोड़ में)

स्रोत	31 मार्च 2014 को			31 मार्च 2013 को		
	इक्विटी	दीर्घ कालीन कर्ज़ें	जोड़	इक्विटी	दीर्घ कालीन कर्ज़ें	जोड़
1.केन्द्रीय सरकार	2,45,191	54,907	3,00,098	2,31,289	50,816	2,82,105
2.केन्द्रीय सरकार की कम्पनियां/निगम	44,245	17,409	61,654	27,082	23,818	50,900
3.राज्य सरकारें/राज्य सरकार की कम्पनियां/निगम	20,926	7,776	28,702	18,491	5,753	24,244
4.वित्तीय संस्थाएं/अन्य	20,264	8,01,682	8,21,946	18,489	6,42,109	6,60,598
जोड़	**3,30,626**	**8,81,774**	12,12,400	**2,95,351**	**7,22,496**	10,17,847
कुल के प्रति केन्द्रीय सरकार की प्रतिशतता	74.16	6.23	24.75	78.31	7.03	27.72

टिप्पणी: मंत्रालय द्वारा इक्विटी तथा दिये गये कर्जों के विवरण सीएजी वेबसाईट <www.cag.gov.in> पर उपलब्ध हैं

1.2.1 इक्विटी निवेश

2013-14 के दौरान, इन 353 सीपीएसईज़ के इक्विटी में निवेश में ₹ 35,275 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज हुई। भारत सरकार का निवेश 353 सीपीएसईज़ के इक्विटी में 2013-14 में ₹ 13,902 करोड़ से बढ़ गया।

* 383 सीपीएसईज- 30 सीपीएसईज जिनके लेखे बकाया थे

सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में इक्विटी निवेश

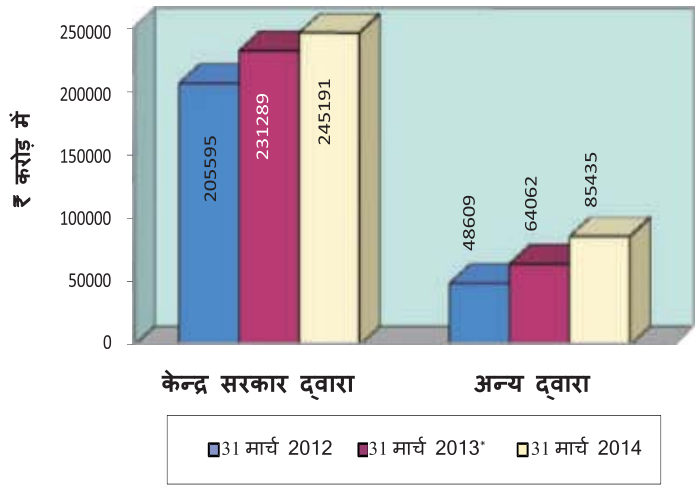

(पिछले वर्षों के आकड़े 2013-14 के दौरान अद्यतित किए गए क्योंकि उस वर्ष के लेखे प्राप्त हुए थे)*

सीपीएसईज़ की प्रदत्त पूंजी में 2013-14 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

सीपीएसईज का नाम	मंत्रालय का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
सांविधिक निगम		
नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी आफ इण्डिया	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	12,063
सरकारी कम्पनियां		
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	रेलवे	1,000
अन्य		839
जोड़		**13,902**

वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित सीपीएसईज ने पूर्णत: प्रदत्त बोनस शेयर जारी किए जो निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
1	कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	64.99
2	वाप्कोस लिमिटेड	8.00
3	बामर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड	12.21
4	नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2.06
जोड		**87.26**

❖ वर्ष 2013-14 के दौरान, भारत सरकार ने विनिवेश पर ₹ 40,000 करोड़ की बजटीय प्राप्ति के प्रति ₹ 15,819[†] करोड़ की उगाही की। 15,819 करोड़ में से 12,819 करोड़ की राशि निम्नलिखित सीपीएसईज के संबंध में इसे इक्विटी हिस्से के भाग की बिक्री से और 3000 करोड़ नव निर्मित सीपीएसइ-इटीएफ योजना[‡] से थी।

क्रम सं.	सीपीएसईज का नाम	विनिवेशित शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों का अंकित मूल्य (₹ करोड में)	सरकार द्वारा उगाही की गई राशि (₹ करोड में)
1	इंडिया ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	10	251.19	5341
2	एनएचपीसी लिमिटेड	9	1107.16	2131
3	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	5	22.82	1887
4	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4	185.18	1637
5	एमएमटीसी लिमिटेड	9	9.33	572
6	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	11	18.58	497
7	नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड	4	59.70	358
8	हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड	4	18.56	260
9	नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड	8	37.48	101
10	इंडिया टयुरिज्म डेवलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	5	4.36	30
11	दी स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	0.61	5
जोड़				**12819**

वर्ष 2013-14 के दौरान एनएचपीसी लिमिटेड ने मॉजूदा शेयरधारकों से कुल प्रदत इक्विटी शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत को वापस लिया है इसलिए इसके कुल प्रदत्त शेयर पूंजी मे कमी आई है। वापसी खरीद के कारण भारत सरकार द्वारा प्राप्त की गई राशि ₹ 2,131 करोड़ थी।

इसके अतिरिक्त ₹ 619.57 करोड़ अधिमान शेयरों के विमोचन के कारण प्राप्त हुए थे जैसा कि नीचे दिया गया है:

---

† स्रोत: http://www.nic.in/SummarySale.asp

‡ सीपीएसई-इटीएफ वह विनिवेश रणनीति है जिसके द्वारा सरकार ने ₹ 3000 करोड़, 10 पीएसयूज़ में विनिवेश कर उगाहे और यह ओएनजीसी, गेल, कोल इंडिया, आईओसी, ऑयल इंडिया, विद्युत वित्त निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, कंटेनर कार्पोरेशन, इंजीनियर्स इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के आंशिक स्वामी बनने के लिए निवेशकों को अवसर देती है।

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
1	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	606.97
2	मेकॉन लिमिटेड	12.60
	जोड़	**619.57**

1.2.2 सरकारी कम्पनियों और निगमो को दिए गए कर्ज

2013-14 के दौरान सरकारी कम्पनियों और निगमों को दिए गए दीर्घकालीन कर्ज़ों ने ₹ 1,59,278 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की।

सरकारी कम्पनियों और निगमो को दिए गए बकाया दीर्घकालीन कर्ज
(₹ करोड़ में)

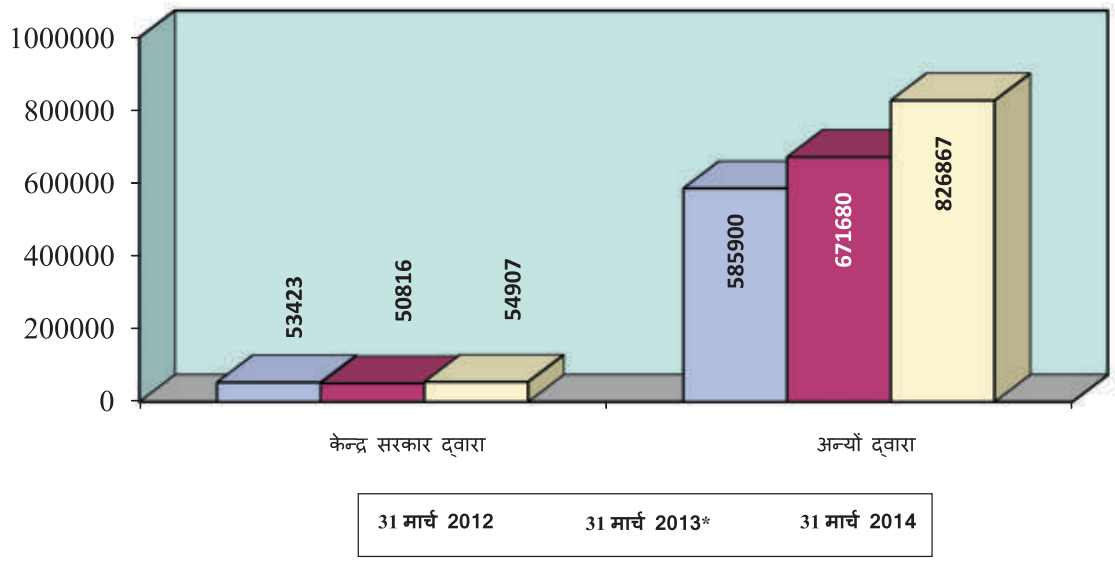

(पिछले वर्षों के आकड़े 2013-14 के दौरान अद्यतित किए गए क्योंकि उन वर्षों के लेखे प्राप्त हुए थे)*

- 31 मार्च 2014 को सभी स्त्रोतों से 353 सीपीएसईज में बकाया कुल दीर्घकालीन कर्ज़े ₹ 8,81,774 करोड़ के थे। 2013-14 के दौरान उनके दीर्घकालीन कर्ज़ों के प्रति कुल परिसम्पत्तियों की धनात्मक तथा ऋणात्मक कवरेज का विश्लेषण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

	धनात्मक कवरेज				ऋणात्मक कवरेज़			
	सीपीएसई की संख्या	दीर्घावधि कर्ज़	परिसम्पत्तियां	कर्जों के प्रति परिसम्पत्तियां की प्रतिशतता	सीपीएसई की संख्या	दीर्घावधि कर्ज़	परिसम्पत्तियां	कर्जों के प्रति परिसम्पत्तियों की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)		
सांविधिक निगम	3	46677	212130	454.46	-	-	-	-
सूचीबद्ध कम्पनियां	30	536762	1529726	284.99	2	3765	328	8.71
असूचीबद्धकम्पनियां	99	281148	763338	271.51	19	13422	1633	12.17
कुल	132	864587	2505194		21	17187	1961	

2 सूचीबद्ध कम्पनियों सहित 21 सीपीएसईज़ के उनकी कुल परिसम्पत्तियों की तुलना में अधिक कर्ज थे। वही 201 सीपीएसई (3 सांविधिक निगम सहित) थीं जिनके ऊपर कोई दीर्घावधि कर्ज नहीं था।

- ब्याज कवरेज अनुपात का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि एक कम्पनी कितनी आसानी से बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान कर सकती है और इसकी गणना उसी अवधि के ब्याज के खर्चों को ब्याज एवं कर से पूर्व कम्पनी की आय (ईबीआईटी) से भाग करके की जाती है। जितना कम अनुपात होता है, उतना ही अधिक कम्पनी पर ऋण खर्च का भार होता है। 1 से नीचे ब्याज कवरेज अनुपात यह दर्शाता है कि ब्याज खर्च को पूरा करने के लिए कम्पनी पर्याप्त राजस्व का सृजन नहीं कर रही है। 2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिए धनात्मक तथा ऋणात्मक ब्याज कवरेज अनुपात के विवरण का सार नीचे दिया गया है:

वर्ष	ब्याज	ब्याज और कर से पूर्व आय (ईबीआईटी)	सीपीएसई[§] की संख्या	1 से अधिक ब्याज कवर अनुपात वाले सीपीएसईज़ की सं.	1 से कम ब्याज कवर अनुपात वाले सीपीएसइज़ की सं.
	(₹ करोड़ में)				
सांविधिक निगम					
2011-12	6143	6586	4	4	0
2012-13	1548	3361	3	2	1
2013-14	2188	2530	3	2	1
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां					
2011-12	33285	98910	34	26	6
2012-13	39986	110679	32	20	12
2013-14	43904	127865	32	22	10
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां					
2011-12	15483	29742	123	66	57
2012-13	16526	48197	120	52	68
2013-14	17611	31521	118	57	61

यह देखा गया था कि सूचीबद्ध के साथ-साथ असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के मामले में एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली सीपीएसईज़ की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान बढ़ गई थी।

1.2.3 मानी गई सरकारी कम्पनियों में निवेश

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों द्वारा तथा उनके द्वारा नियंत्रित कम्पनियों और निगमों द्वारा निवेशित पूंजी 144 मानी गई सरकारी कम्पनियों[†] में निम्न प्रकार से थी।

मानी गई सरकारी कम्पनियां मे शेयर पूंजी की संरचना

(₹ करोड़ में)

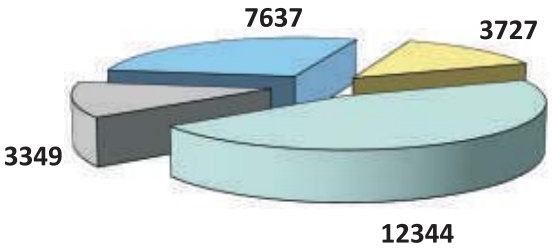

वित्तीय संस्थाएं एवं बैंक ₹ 7,637 करोड़
अन्य – ₹ 3,349 करोड़
केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकारी कम्पनियां एवं निगम – ₹ 12,344 करोड़
राज्य सरकार, राज्य सरकार कम्पनियां एवं निगम– ₹ 3,727 करोड़

§ उन सीपीएसईज़ को छोडकर जिनकी ब्याज पर कोई देयता नहीं है।

† टिप्पणी: सीपीएसज़ के विवरण सीएजी वेबसाईट <www.cag.gov.in> पर उपलब्ध हैं

31 मार्च 2014 को इन मानी गई सरकारी कम्पनियों में इक्विटी ₹ 27,057 करोड़ थी । इन मानी गई कम्पनियों में इक्विटी ₹ 1,214 करोड़ तक बढ़ गई अर्थात 2012-13 में ₹ 25,843 करोड़ से बढ़ कर 2013-14 में ₹ 27,057 करोड़ हो गई।

1.2.4 सरकारी कम्पनियों मे इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

बाज़ार पूंजीकरण पब्लिकली ट्रेडेड कम्पनी के बकाया शेयरों के बाज़ार मूल्य के आकार का माप है। 59 सरकारी कम्पनियों के शेयर भारत के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए गए थे जिनमें 46 सरकारी कम्पनियां, सरकारी कम्पनियों की 5 सहायक कम्पनियां और 8[†] मानी गई सरकारी कम्पनियां शामिल हैं।

- 46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के संबंध में, 2013-14 के दौरान 42 कम्पनियों के शेयरों में ट्रेडिंग[∝] हुई थी। सरकारी कम्पनियों की 5 सहायक कम्पनियों के संबंध में वर्ष के दौरान 4 में ट्रेडिंग हुई थी और एक कम्पनी[‡] के शेयर की ट्रेडिंग नहीं हुई थीं।

- 46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों में शेयरों का कुल बाज़ार मूल्य 31 मार्च 2014 तक ₹ 11,06,657 करोड़ थी। 31 मार्च 2014 तक 42 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (4 सहायक कम्पनियों को छोडकर) के शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 10,96,426 करोड़ था जिनमें से भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 7,97,348 करोड़ तक था। शेयरों का कुल बाजार मूल्य 31 मार्च 2013 की तुलना में 31 मार्च 2014 तक ₹ 9,196 करोड़ (0.83 प्रतिशत) तक घट गया था। विवरण **परिशिष्ट III-क** में दर्शाए गए हैं। इस अवधि के दौरान, बीएसई सेंसेक्स 18,835.77 (31 मार्च 2013 को) से बढ़कर 22,386.27 (31 मार्च 2014) हो गया, जो 18.85 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। तथापि, सीपीएसई इंडेक्स 6,418.16 (31 मार्च 2013 को) से घटकर 6,354.61 (31 मार्च 2014 को) हो गया जो 1.95 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।
- 31 मार्च 2014 तक 4 सरकारी सहायक कम्पनियों के शेयरों का बाजार मूल्य, जिन शेयरों की ट्रेडिंग 2013-14 के दौरान हुई थी, ₹ 10,231 करोड़ रहा था। 31 मार्च 2013 की तुलना में 31 मार्च 2014 तक सरकारी कम्पनियों द्वारा 4 सरकारी सहायक कम्पनियों में धारित शेयरों

[†] (1) इन्डबैंक हाउसिंग लिमिटेड, (2) इन्डबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेस लिमिटेड, (3) पीएनबी गिल्टस लिमिटेड, (4) दी बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड, (5) उडीसा मिनरल्स डिवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड, (6) तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, (7) टूरिज्म फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड और (8) आईएफसीआई लिमिटेड

[∝] 2013-14 के दौरान (1) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (2) हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड (3) इरकान इन्टरनेशनल लिमिटेड (4) केआईओसीएल लिमिटेड के शेयरों की ट्रेडिंग नहीं हुई थी।

[‡] ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड

का कुल बाजार मूल्य घट कर ₹ 803 करोड़ तक हो गया था। विवरण **परिशिष्ट III-ख** में दर्शाया गया है।

❖ 31 मार्च 2014 को अधिकतम बाज़ार पूंजीकरण वाली 10 टॉप पीएसईज़ नीचे दर्शाई गई हैं:

क्रम सं.	पीएसई का नाम	बाजार पूंजीकरण (₹ करोड़ में)
1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	272663
2	कोल इण्डिया लिमिटेड	181848
3	एनटीपीसी लिमिटेड	98904
4	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड	67740
5	एनएमडीसी लिमिटेड	55288
6	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	54958
7	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	48169
8	गेल (इण्डिया) लिमिटेड	47663
9	भारत पैट्रालियम कारपोरेशन लिमिटेड	33284
10	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	29492

24 सीपीएसईज़ में बाजार पूंजीकरण में वृद्धि हुई और अन्य 18 सीपीएसईज़ में कमी हुई। बाज़ार पूंजीकरण में महत्वपूर्ण कमी वाले सीपीएसईज़ नीचे दिये गयें है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	पीएसई का नाम	31.3.2012 को बाज़ार पूंजीकरण	31.3.2013 को बाज़ार पूंजीकरण	अंतर
1	एनटीपीसी लिमिटेड	117086	98904	18182
2	एमएमटीसी लिमिटेड	19925	5310	14615
3	कोल इंडिया लिमिटेड	195270	181848	13422
4	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	5275	826	4449
5	एनएचपीसी लिमिटेड	24478	21145	3333
6	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	8577	6347	2230
7	ऑयल इंडिया लिमिटेड	30733	28975	1758
8	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2186	1182	1004
9	नेयवली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड	11056	10259	797
10	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	68335	67740	595

1.3. सरकारी कम्पनियों और निगमों में निवेश पर प्रतिफल

लाभ कमाने वाली सीपीएसईज** की संख्या 2012-13 में 182 (₹ 1,48,105 करोड़) से बढ़ कर 2013-14 में 202 (₹ 1,53,907 करोड़) हो गई।

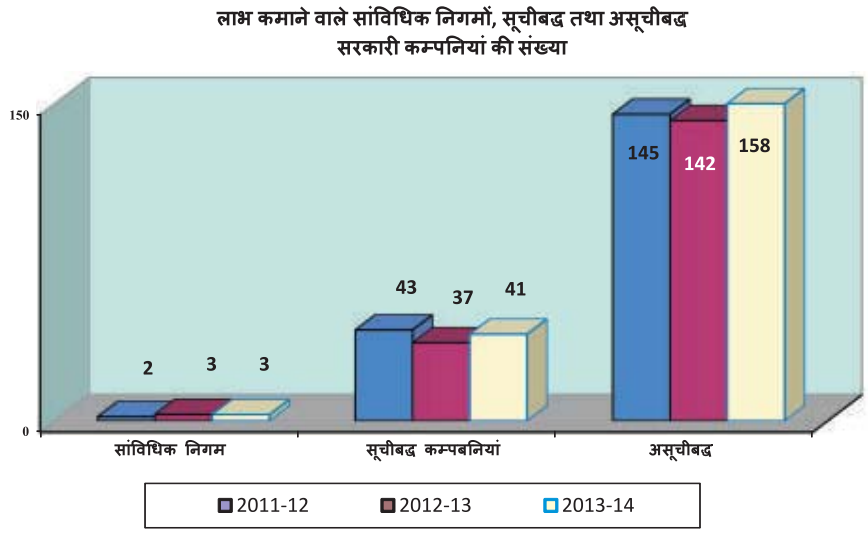

क्षेत्र	लाभ कमाने वाले सीवीएसईज़ की संख्या	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	कुल सीपीएसई लाभ के प्रति लाभ की प्रतिशतता
1. पेट्रोलियम			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	7	42866	27.85
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	3	3879	2.52
जोड़	10	46745	30.37
2. कोयला एवं लिग्नाईट			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	2	16510	10.73
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	7	15003	9.75
जोड़	9	31513	20.48

** ब्याज और कर से पूर्व लाभ, लगाई गई पूंजी, कर पश्चात लाभ, लाभांश, निवल सम्पत्ति#, निवल सम्पत्ति के प्रति कर-पश्चात लाभ का अनुपात, लगाई गई पूंजी के प्रति ब्याज और कर से पूर्व लाभ का अनुपात तथा इक्विटी के प्रति लाभांश को दर्शाने वाली 353 सरकारी कम्पनियों और निगमों का लाभकारिता विश्लेषण सीएजी वेबसाईट <www.cag.gov.in> पर उपलब्ध हैं।

3. विद्युत			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	4	17566	11.41
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	18	4545	2.95
जोड़	22	22111	14.37
जोड़ (1) से (3)	**41**	**100369**	**65.22**

2012-13 के दौरान 37 सीपीएसईज़ द्वारा 62 प्रतिशत योगदान की तुलना में इन योगदान तीन क्षेत्रों में 41 सीपीएसईज़ द्वारा 2013-14 के दौरान 65 प्रतिशत (₹ 1,00,369 करोड़) किया गया था।

निम्नलिखित सीपीएसईज की सूची है जिन्होंने वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 5,000 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया था:

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	निवल लाभ (₹ करोड़ में)
1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड	22095
2	कोल इंडिया लिमिटेड	15009
3	एनटीपीसी लिमिटेड	10975
4	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	7019
5	एनएमडीसी लिमिटेड	6420
6	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	5418
जोड़		**66936**

यह देखा जा सकता है कि इन सीपीएसईज ने 2012-13 के दौरान कुल अर्जित लाभ के 40 प्रतिशत की तुलना में 202 सीपीएसईज़ द्वारा कुल अर्जित लाभ का 43 प्रतिशत का योगदान किया।

1.3.2 सरकारी कम्पनियों और निगमों का लाभांश भुगतान

31 मार्च 2014 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान लाभांश की घोषणा करने वाली सीपीएसई[††] की संख्या **परिशिष्ट IV** में दी गई है। 2013-14 में लाभांश की घोषणा करने वाले 111 सीपीएसईज़ (2 सांविधिक निगमों तथा 34 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों सहित) थे। इन सीपीएसईज़ द्वारा अर्जित निवल लाभ की प्रतिशतता के रूप में घोषित लाभांश 2012-13 में 39.12 *प्रतिशत* से बढ़ कर 2013-14 में 48.70 *प्रतिशत* हो गया। कुल मिलाकर, सीपीएसईज़ द्वारा 2013-14 में घोषित लाभांश 2012-13 में ₹ 50,683 करोड़ से ₹ 15,368 करोड़ तक बढ़कर 2013-14 में ₹ 66,051 करोड़ हो गया।

[††] केवल सरकारी कंपनियां और संविधिक निगम

निवल लाभ और प्रदत्त पूंजी की तुलना में घोषित लाभांश

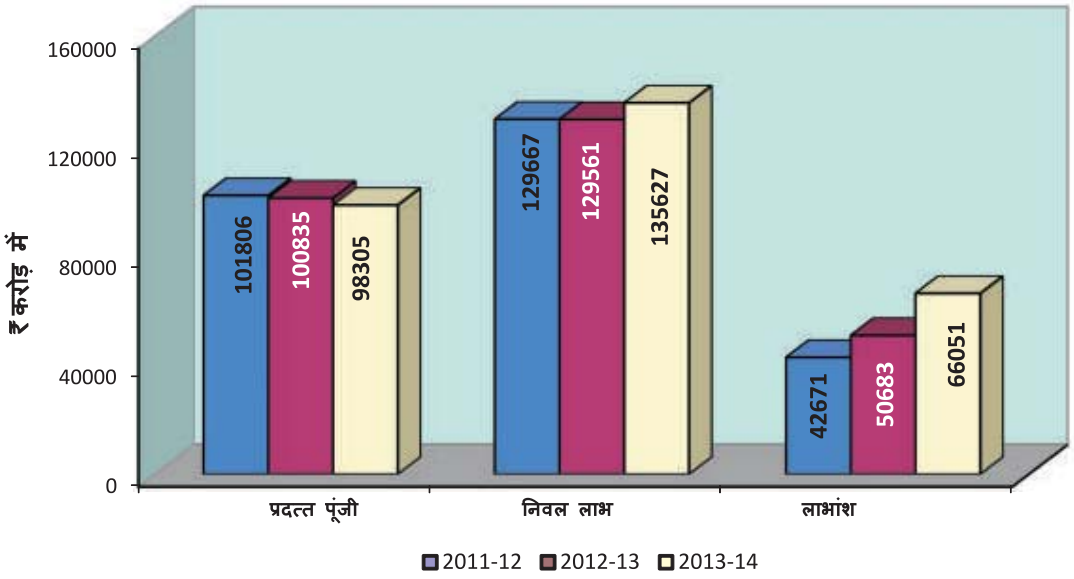

अर्जित लाभ और घोषित लाभांश का विववरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	सीपीएसई घोषित लाभांश			
	सीपीएसईज़ की संख्या	प्रदत्त पूंजी	निवल लाभ	घोषित लाभांश
सांविधिक निगम	2	725	896	180
सूचीबद्ध कंपनियां	34	57636	104662	48938
असूचीबद्ध कंपनियां	75	39944	30069	16933
कुल	111	98305	135627	66051

चालू वर्ष में 111 सीपीएसईज़ द्वारा घोषित ₹ 66,051 करोड़ के कुल लाभांश में से, भारत सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्य लाभांश ₹ 41,842 करोड़ था। 2012-13 के दौरान 14.55 प्रतिशत की तुलना में, 2013-14 मे 353 सीपीएसईज़ की इक्विटी पूंजी में भारत सरकार द्वारा किए गए ₹ 2,45,191 करोड़ के कुल निवेश पर प्रतिफल 17.06 प्रतिशत था। इसी प्रकार, 28 सीपीएसईज़ ने अन्य सीपीएसईज़ की इक्विटी में ₹ 4,839 करोड़ की दी गई पूंजी पर लाभांश के रूप में ₹ 14,138 करोड़ प्राप्त किए।

- ❖ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन 10 सरकारी कम्पनियों ने ₹ 14,997 करोड़ का लाभांश घोषित किया जो 2013-14 में विभिन्न कम्पनियों द्वारा घोषित ₹ 66,051 करोड़ के कुल लाभांश का 22.70 प्रतिशत था।
- ❖ सितम्बर 2004 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यह परिकल्पित था कि लाभ कमाने वाली सभी सीपीएसईज़, या तो इक्विटी पर या कर-पश्चात लाभ पर, जो भी अधिक हो, न्यूनतम 20

प्रतिशत लाभांश की घोषणा करेंगी। तेल, पेट्रोलियम, रसायन तथा अन्य आधारभूत क्षेत्रों में कम्पनियों द्वारा दिया जाने वाला न्यूनतम लाभांश कर-पश्चात लाभ का 30 प्रतिशत था। तथापि, 19कम्पनियाँ (3 सूचीबद्ध कम्पनियों सहित) जिन्होंने लाभांश घोषित किया था ने लाभांश की घोषणा करते समय संबंधित सरकारी निर्देश का पालन नहीं किया, जैसा कि ***परिशिष्ट V*** में दिया गया है। इस के कारण 2013-14 में कुल कमी ₹ 2,555 करोड़ थी।

- मंत्रालय ने इस बात पर भी ज़ोर दिया था कि सरकार का उद्देश्य समूचे बोर्ड में सभी सरकारी कम्पनियों और निगमों में समग्र निवेश पर न्यूनतम पांच प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त करना था। सभी सरकारी कम्पनियों और निगमों की इक्विटी में भारत सरकार द्वारा किए गए ₹ 2,45,191 करोड़ के कुल निवेश पर प्रतिफल ₹ 41,842 करोड़ अर्थात 17.06 *प्रतिशत* था।

1.3.3 मानी गई सरकारी कम्पनियों मे निवेश पर प्रतिफल

144[‡‡] मानी गई सरकारी कम्पनियों में से, 99 कम्पनियों ने ₹ 4,608 करोड़ का लाभ कमाया। इन 99 कम्पनियों में से, 43 ने ₹ 843 करोड़ का लाभांश घोषित किया जो उनकी ₹ 6,726 करोड़ की कुल प्रदत्त पूंजी का 12.53 प्रतिशत था। 2012-13 के दौरान ₹ 1310 करोड़ की 39 कंपनियों को हानि की तुलना में 2013-14 के दौरान 38 कंपनियों को ₹ 2,330 करोड़ की हानि हुई।

2013-14 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से 43 मानी गई सरकारी कम्पनियों द्वारा घोषित ₹ 843 करोड़ का लाभांश आया जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	कम्पनियों की सं.	प्रदत्त पूंजी	निवल लाभ	लाभांश
वित्तीय सेवाएं	26	3729	1735	595
बीमा	1	1000	740	100
विद्युत	2	1229	261	92
परिवहन सेवाएं	1	164	30	20
ठेका एवं निर्माण सेवाएं	2	446	226	20
व्यापार एवं विपणन	1	41	18	6
पैट्रोलियम	1	100	45	5
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्श	8	16	18	4
खनिज एवं धातु	1	1	6	1
	43	**6726**	**3079**	**843**

[‡‡] 161– 17 मानी गई कंपनियां जिनका खाते बकाया में थे।

1.4 घाटा उठाने वाली सीपीएसईज़

124 सीपीएसईज़ थी जिनकों 2013-14 के दौरान घाटा हुआ। इन सीपीएसईज़ द्वारा उठाये गये घाटे में 2012-13 के दौरान ₹ 29,184 करोड़ से 2013-14 में ₹ 49,612 करोड़ तक काफी वृद्धि हुई जिसका नीचे तालिका में विवराण दिया गया है।

सूचीबद्ध/असूचीबद्ध वर्ष	घाटे वाली सीपीएसईज़* की संख्या	वर्ष का निवल घाटा	संचित घाटा	निवल सम्पत्ति
		(₹ करोड़ में)		
सांविधिक निगम				
2011-12	1	858	0	15414
2012-13	0	0	0	0
2013-14	1	995	0	14863
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां				
2011-12	8	7089	15503	-2598
2012-13	14	11652	22375	4855
2013-14	10	4574	21245	-5606
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों/निगम				
2011-12	88	23181	64273	70732
2012-13	110	17532	65405	53254
2013-14	113	44043	91854	31041
जोड़				
2011-12	97	31128	79776	83548
2012-13	124	29184	87780	58109
2013-14	124	49612	113099	40298

निम्नलिखित सीपीएसईज़ ने वर्ष 2013-14[हह] के दौरान ₹ 5,000 करोड़ से अधिक का घाटा वहन किया।

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	2013-14 में निवल हानि (₹ करोड़ में)
1	छत्तीसगढ़ पूर्वी रेल लिमिटेड	14181
2	छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल लिमिटेड	13458
3	भारत संचार निगम लिमिटेड	7020

---

* फूड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, इनलैंड वाटरवेज़ आथॉरिटी ऑफ इण्डिया तथा नेशनल हाइवेज़ अथॉरिटी ऑफ इण्डिया जिनके घाटे की भारत सरकार द्वारा सब्सिडी/अनुदान के रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है, इस तालिका में शामिल नहीं हैं।

†† एयर इंडिया का खाता बकाया में है। 2012-13 के दौरान एयर इंडिया द्वारा उठाई गई हानि ₹ 5490.16 करोड़ थी। वर्ष 2013-14 के लिए अंनतिम हानि ₹ 6280 करोड़ थी।

1.4.1 सरकारी कम्पनियों में पूंजी क्षरण

31 मार्च 2014 तक 150 सीपीएसईज़ थे जिनका संचित घाटा ₹ 1,27,020 करोड़ था। वर्ष 2013-14 के दौरान 150 सीपीएसईज़ में से 102 सीपीएसईज़ ने ₹ 39,798 करोड़ का घाटा उठाया तथा 48 सीपीएसईज़ ने वर्तमान वर्ष 2013-14 में घाटा नहीं उठाया तथापि ₹ 13,921 करोड़ का घाटा संचित था।

67 सरकारी कम्पनियों (150 में से) की निवल सम्पत्ति संचित घाटे द्वारा पूरी तरह क्षरित हो गई थी और निवल संपत्ति नकारात्मक थी। इन 67 कंपनियों में निवल संपत्ति 31 मार्च 2014 को ₹ 27,957 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति ₹ (-) 87,885 करोड़ थी। इसमें 6 सूचीबद्ध कंपनियां शामिल है जिनकी निवल संपत्ति ₹ 1,792 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति ₹ (-) 19,821 करोड़ थी। 67 कंपनियों जिनकी पूंजी क्षरित हुई थी, में से केवल 9 सीपीएसईज़ ने 2013-14 के दौरान ₹ 1,399 करोड़ का लाभ प्राप्त किया।

67 सीपीएसईज़ में से 31 जिनकी पूंजी क्षरित हुई थी, की बकाया सरकारी ऋण की राशि 31 मार्च 2014 को ₹ 16,331 करोड़ थी। इसमें ₹ 2,821 करोड़ के बकाया सरकारी ऋण वाली 4 सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं।

संभावित रूग्णता दर्शाते हुए 286 सीपीएसईज़ जिनकी निवल संपत्ति सकारात्मक थी, में से 19 सीपीएसईज़ की निवल संपत्ति 31 मार्च 2014 के अंत में उनकी प्रदत्त पूंजी ₹ 12,037 करोड़ के आधे से कम थी।

1.5 सरकारी कम्परियों की प्रचालन दक्षता

1.5.1 उत्पादन का मूल्य

तीन वर्ष की अवधि के दौरान कुल परिसम्पत्ति तथा लगाई गई पूंजी के प्रति उत्पादन के मूल्य को दर्शाने वाला सार ग्राफ नीचे दिया गया है:

उत्पादन का मूल्य, परिसम्पत्तियों और नियोजित पूँजी

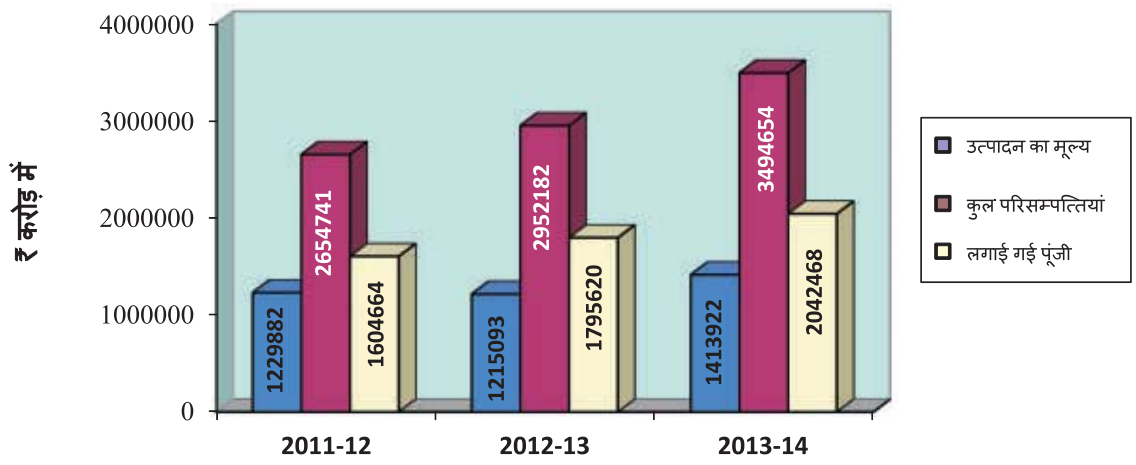

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में उत्पादन के मूल्य, कुल परिसम्पत्ति और नियोजित पूंजी में वृद्धि हुई थी।

1.5.2 बिक्री एवं विपणन

2013-14 के दौरान 353 सीपीएसईज़ की कुल बिक्री ₹ 19,54,117 करोड़ थी। इनमें से 113 सीपीएसईज़ ने सरकारी विभागों को उनकी ₹ 9,76,602 करोड़ की निवल बिक्री के प्रति ₹ 2,32,954 करोड़ मूल्य की बिक्री की/सेवाएं प्रदान की। सरकारी क्षेत्र को उनकी कुल निवल बिक्री के संदर्भ में इन सीपीएसईज़ की बिक्री की समग्र प्रतिशतता 23.85 प्रतिशत परिकल्पित की गई।

61 सीपीएसईज ने ₹ 1,03,070 करोड़ का माल निर्यात किया अथवा विदेश में सेवाएं प्रदान की। यह उनकी ₹ 8,74,786 करोड़ की निवल बिक्री के प्रति 11.78 प्रतिशत परिकल्पित किया गया। 353 सीपीईज द्वारा की गई ₹ 19,54,117 करोड़ की कुल बिक्री के प्रति निर्यात बिक्री राशि 5.27 प्रतिशत थी। ₹ 1,000 करोड़ से अधिक निर्यात बिक्री वाली सीपीएसईज़ निम्नलिखित हैं।

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	निर्यात बिक्री (₹ करोड़ में)
1	मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	35392
2	इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	21192
3	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	14063
4	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	9980
5	एमएमटीसी लिमिटेड	4209
6	राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड	3719
7	पीईसी लिमिटेड	2556
8	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	2135
9	दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1781
10	एनएमडीसी लिमिटेड	1631
11	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	1527
12	एयर इंडिया चार्टर लिमिटेड	1018
कुल		**99203**

इन 12 सीपीएसईज की निर्यात बिक्री सभी सीपीएसईज के कुल निर्यात का 96 प्रतिशत है।

1.5.3 अनुसंधान एवं विकास

निरन्तर वृद्धि के लिए विद्यमान उत्पादों को प्रोन्नत करने तथा नए उत्पाद, प्रक्रियाएं आदि विकसित करने के लिए प्रत्येक संगठन को अनुसंधान तथा विकास कार्य करने पड़ते हैं। 2013-14 के दौरान, 58 सीपीएसईज़ ने अनुसंधान और विकास पर ₹ 3,652 करोड़ लगाए। निम्नलिखित सीपीएसईज़ ने ₹ 100 करोड़ से अधिक का आर एंड डी व्यय किया:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	कुल आर एंड डी व्यय (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	निवल लाभ के प्रति आरएंडडी व्यय की प्रतिशतता
1	हिन्दुस्तान एरोनोटिकल्स लिमिटेड	1083	2693	40
2	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	601	22095	3
3	भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	467	932	50
4	भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	311	3473	9
5	इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	253	7019	4
6	एनटीपीसी लिमिटेड	134	10975	1
7	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	110	2616	4
8	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	101	1734	6

अध्याय 2

सीएजी की निरीक्षण भूमिका

2.1 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 619 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सरकारी कम्पनी तथा सहित मानी गई सरकारी कम्पनी के लेखापरीक्षक (सांविधिक लेखापरीक्षक) इन कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करता है। इसके बाद की गई पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर सीएजी टिप्पणियां अथवा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपूरक जारी करता है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों में अपेक्षा है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाए और एक प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत किया जाए। पूरक/नमूना लेखापरीक्षा के अतिरिक्त सीएजी विशिष्ट विषयों और क्षेत्रों की निष्पादन लेखापरीक्षा करते हैं।

2.2. सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

2.2.1 सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति में वास्तविकता

मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित सरकारी कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 619(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में सीएजी द्वारा की जाती है। इस प्रयोजन के लिए सीएजी द्वारा सनदी लेखाकारों के फर्म के एक पैनल का रखरखाव सनदी लेखाकारों के पात्र फर्मो से प्रत्येक वर्ष आवेदन पत्र मंगा कर किया जाता है। इस प्रकार गठित पैनल का उपयोग आगामी वित्त वर्ष के लिए सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसईज) के सांविधिक लेखापरीक्षकों के चयन के लिए किया जाता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नियमित आधार पर वार्षिक रूप से की जाती है।

नियुक्ति के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का चयन सनदी लेखाकारों की प्रत्येक फर्म लेखापरीक्षा समनुदेशन के आकार के साथ करते हैं, द्वारा अर्जित प्राप्तांक से सह संबंध स्थापित करके किया जाता है। फर्म आबंटित लेखापरीक्षा करने में समर्थ है यह निर्धारित करने के लिए, प्राप्तांक फर्म के अनुभव, भागीदारों की संख्या और फर्म से उनका साहचर्य, सनदी लेखाकार कर्मचारियों की संख्या के आधार पर होता है कि फर्म के पूर्ववृत्त सुस्थापित हैं।

प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सनदी लेखाकार फर्मों को लेखापरीक्षा का आबंटन वस्तुनिष्ठता से क्षमता की योग्यता के आधार पर किया जाता है।

2.2.2 वर्ष 2013-14 के लिए सीपीएसईज़ के सांविधिक लेखापरीक्षकों की समय से नियुक्ति

वर्ष 2013-14 के लिए कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति जुलाई/अगस्त 2013 के दौरान की गई थी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 के साथ पठित धारा 166 और 230 के अन्तर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए प्रत्येक कम्पनी के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाने वाली अपनी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में शेयर धारकों के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षक एक एजीएम की समाप्ति से अगली एजीएम की समाप्ति तक कार्यालय धारण करता है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से सूचीबद्ध करार के खंड 41 में प्रावधान है कि स्टाक इक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध सभी इकाइयों को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित और कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा 'सीमित समीक्षा' के बाद अपनी त्रैमासिक वित्तीय समीक्षा (क्यूएफआर) को प्रकाशित करना चाहिए। समीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति तिमाही की समाप्ति के दो महीने के अन्दर स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत करनी होती है। एक वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही की सीमित समीक्षा तदनुसार की जानी है ताकि परिणामों का प्रकाशन वर्ष के अगस्त के अंत तक किया जा सके। सीपीएसईज को कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा क्यूएफआर बनवा कर प्राप्त करने का विकल्प है।

ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के समय से अनुपालन को सुगम बनाने के लिए सरकारी कम्पनियों सहित मानी गई सरकारी कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा जुलाई/अगस्त 2013 के दौरान वर्ष 2013-14 के लिए लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए की गई थी।

2.2.3 सरकारी कम्पनियों और मानी गई सरकारी कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता

सांविधिक लेखापरीक्षक का कम्पनी जिसकी वह लेखापरीक्षा करता है, के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र व्यवसायिक मत उपलब्ध कराना न्यासी कर्त्तव्य है। सांविधिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और हित के द्वंद के किसी अवसर के निवारण को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 निम्नलिखित की नियुक्ति का निषेध करती है

- कम्पनी का अधिकारी अथवा कर्मचारी अथवा उनका भागीदार अथवा कर्मचारी,
- एक व्यक्ति जो कम्पनी का कर्जदार है और
- ऐसे व्यक्ति को जो कम्पनी के लेखापरीक्षक के रूप में वोटिंग अधिकार वाली किन्हीं प्रतिभूतियों का धारक है।

लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता

- गैर लेखापरीक्षा समनुदेशन की स्वीकृति पर प्रतिबंध।
- प्रत्येक चार वर्षों में लेखापरीक्षकों का रोटेशन।

इसी प्रकार, सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 में सांविधिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान निहित है। सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की प्रथम अनुसूची का पैराग्राफ 10 फीस की स्वीकृति का निषेध करता है जो या तो लाभ से जुड़े है अथवा निष्कर्ष या रोजगार के परिणामों पर अन्यथा निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त, द्वितीय अनुसूची,भाग-1 का पैराग्राफ 4 कारोबार जिसमें वह अथवा उसकी फर्म अथवा उसके फर्म के एक भागीदार का पर्याप्त हित है, के वित्तीय विवरणों पर तब तक राय व्यक्त करने के लिए सनदी लेखाकार के लिए एक कदाचार का कार्य बनता है जब तक ऐसे हित का प्रकटन नहीं किया जाता है।

सरकारी कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सीएजी द्वारा निम्नलिखित और सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है:

➢ **सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा गैर-लेखापरीक्षा समनुदेशनों की स्वीकृति**

सांविधिक लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और लेखापरीक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लेखापरीक्षक के भागीदार अथवा संबंधी (पति,पत्नी, भाई, बहन अथवा कोई पूर्वज अथवा वंशज) अथवा सरकारी कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के संगठन* लेखापरीक्षा के वर्ष और फर्म के कम्पनी का सांविधिक लेखापरीक्षक के निवर्तन बाद एक वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा अथवा परामर्शी अथवा सरकारी कम्पनी को अन्य सेवाएं प्रस्तुत करने के लिए कोई समनुदेशन लेने से निषेध करता है। गैर-लेखापरीक्षा समनुदेशन की स्वीकृति जिसमें प्रबन्धन कार्य निष्पादन अथवा प्रबन्धन निर्णय देना शामिल है, भी लेखापरीक्षा के वर्ष के दौरान और फर्म के सांविधिक लेखापरीक्षक के निवर्तन के बाद एक वर्ष तक निषिद्ध है।

लेखापरीक्षकों का रोटेशन

प्रत्येक चार वर्षों में सरकारी कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रोटेशन की प्रणाली अच्छी पद्धति के रूप में अपनाई गई है।

2.3 सीपीएसईज के लेखाओं का बकाया

2.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 ए के अनुसार सरकारी कम्पनी के कामकाज और कार्यो पर वार्षिक रिपोर्ट इसकी एजीएम के तीन महीने के अन्दर तैयार करनी होती है और ऐसी तैयारी के बाद यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति और सीएजी द्वारा की गई उस पर

---

* *शब्द संगठन मे (क) सनदी लेखाकारों की अन्य फर्में जिनमें कोई कर्मचारी अथवा लेखापरीक्षा फर्म का भागीदार हित रखता है (ख) लेखापरीक्षक फर्म का कोई कर्मचारी अथवा भागीदार जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सनदी लेखाकार के रूप में प्रेक्टिस कर रहा है, शामिल हैं।*

कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। सांविधिक निगमों के विनियमन के लिए अलग अलग अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह तंत्र भारत की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक संसदीय नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166 प्रत्येक कम्पनी से प्रत्येक कलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की एजीएम आयोजित करने की अपेक्षा करती है। यह भी कथन है कि एक एजीएम और अगले एजीएम की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 में अनुबद्ध है कि उस दिन जिसको एजीएम के पूर्ववर्ती दिन से 6 महीने से अधिक नहीं होगा ,को समाप्त होने वाली अवधि के लेखापरीक्षित लेखे उनके विचार के लिए उक्त एजीएम को प्रस्तुत किए जाने हैं।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 210(5) और (6) में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए कम्पनी के निदेशक सहित जिम्मेदार व्यक्ति पर दंड और कारागार जैसी शास्ति के भी लगाने का प्रावधान है।

केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के लेखाओं में बकाया का मुद्दा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सीएजी द्वारा निरन्तर सूचित किया गया है। सीएजी द्वारा मामले को जनवरी 2007 में कार्पोरेट मामले, मंत्रालय, भारत सरकार और प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ भी उठाया गया था जिसने इन कम्पनियों के निदेशक मंडल को सरकारी निदेशक नियुक्त किया है। इसके बदले कार्पोरेट मामले मंत्रालय ने कम्पनी रजिस्ट्रार को ऐसी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 की उप धारा (5) और उप-धारा (6) के प्रावधानों की तरफ ध्यान केन्द्रित करने का निदेश दिया, और जिनके लेखे बकाया थे उन्हें शीघ्र अपने लेखाओं को पूरा करने का निदेश दिया ताकि कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों को अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को सीएजी द्वारा नवम्बर 2011 में लेखाओं के बकाया के निपटान के लिए पुनः अनुस्मारक दिया गया है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि इस संबंध में अननुपालन के लिए जिम्मेदार केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के निदेशकों सहित चूककर्ता व्यक्तियों के विरूद्ध कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 210 की उपधारा 5 और 6 के अन्तर्गत कोई कार्रवाई नहीं की गई है जबकि विभिन्न सीपीएसईज के वार्षिक लेखे लम्बित थे जिसका विवरण आगामी पैराग्राफ मे दिया गया है।

2.3.2 सरकारी कम्पनियों और मानी गई सरकारी कम्पनियों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

538 कम्पनियों में से 76 कम्पनियों के लेखे बकाया थे।

31 मार्च 2014 को सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में 377 सरकारी कम्पनियां और 161 मानी गई सरकारी कम्पनियां थीं। इनमें से 377 सरकारी कम्पनियों और 161 मानी गई सरकारी कम्पनियों से वर्ष 2013-2014 के लेखे बकाया थे। 30 सितम्बर 2014 को या इससे पहले कुल 325 सरकारी कम्पनियों और 137 मानी गई सरकारी कम्पनियों ने सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। **52 सरकारी कम्पनियों और 24 मानी गई सरकारी कम्पनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे।**

केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के बकाया लेखाओं के ब्यौरे निम्नवत हैं:

विवरण		केन्द्रीय सरकारी कम्पनियां जहां सीएजी पूरक लेखापरीक्षा करते हैं					
		सरकारी कम्पनी		मानी गई सरकारी कम्पनी		कुल	
		377		161		538	
		सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध
31.03.2014 तक की संख्या		51	326	8	153	59	479
घटाएं: कम्पनियां जिनके 2013-14 के लेखे बकाया नहीं थे		-	-	-	-	-	-
कम्पनियां जिनसे 2013-14 के लेखे देय थे		51	326	8	153	59	479
कम्पनियों जिन्होंने 30 सितम्बर 2014 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए लेखे प्रस्तुत किए		51	274	8	129	59	403
लेखे प्रस्तुत नहीं किए		-	-	-	-	-	-
बकाया लेखे		0	52	0	24	0	76
बकाया के ब्यौरे	(i)समापना धीन	0	23	0	8	0	31
	(ii) समाप्त	0	3	0	6	0	9
	(iii) अन्य	0	26	0	10	0	36
' अन्य ' वर्ग के प्रति बकाया का समय वार	एक वर्ष (2013-14)	0	21	0	6	0	27
	दो वर्ष (2012-13 तथा	0	3	0	1	0	4

	2013-14)						
	तीन वर्ष और अधिक	**0**	**2**	**0**	**3**	**0**	**5**

इन कम्पनियों के नाम ***परिशिष्ट II*** में दर्शाए गए हैं।

सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप इन इकाइयों में निवेशित सार्वजनिक धन के प्रबंधन के ऊपर संसदीय नियंत्रण की कमी और सांविधिक प्रावधानों को उल्लंघन हुआ।

2.3.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

छः सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। पांच सांविधिक निगमों, जिनके मामले में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है,चार के मामले में यथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दामोदर घाटी निगम, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने समय पर लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2013-14 के अपने लेखे प्रस्तुत किए थे। वर्ष 2013-14 के लिए भारतीय खाद्य निगम के लेखे 30 सितम्बर 2014 तक प्रतीक्षित थे 1 केन्द्रीय वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन के मामले में, सीएजी ने पूरक लेखापरीक्षा की है तथा लेखें समय पर प्राप्त हुए थे।

2.4 सीएजी का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा

2.4.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI में निर्धारित प्रपत्र में और लेखाकरण मानकों की राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखाकरण मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। सांविधिक निगमों से सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में अपने लेखे तैयार करने की अपेक्षा की जाती है।

2.4.2 सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी इस उद्देश्य के साथ, कि सांविधिक लेखापरीक्षक उनको आबंटित कार्यों का उचित प्रकार तथा प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं, सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी द्वारा पर्यवेक्षण भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्ति का उपयोग करते हुए किया जाता है

- **कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना। धारा 619(3)(क) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा जारी निर्देशों का उद्देश्य प्राथमिक रूप से लेखापरीक्षिती संगठन में लेखाकरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन करना है और**
- **कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को पूरक करना या टिप्पणी करना।**

2.4.3 वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए सीपीएसई के चयन का मापदंड

सीपीएसईज के वार्षिक लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा करने के लिए समय कम करने हेतु सीएजी ने पूरक लेखपरीक्षा की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 42 दिन निर्धारित किए हैं। सीएजी ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक संकेन्द्रण और लेखापरीक्षा संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए सीपीएसईज के चयन के लिए मानदंड में संशोधन किए। मानदंड के अनुसार, सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा उन सीपीएसईज के संबंध में वार्षिक रूप से किया जाना है जिनका टर्नओवर ₹ 5000 करोड़ अथवा उससे अधिक है या प्रदत्त पूंजी ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक है। अन्य सभी सीपीएसईज का चयन इस शर्त कि इनकी लेखापरीक्षा पांच वर्षों में कम से कम एक बार हो, के अध्यधीन जोखिम निर्धारण के आधार पर किया जाना है।

2.4.4 चयनित सीपीएसईज के वार्षिक लेखाओं की तीन चरणीय लेखापरीक्षा

तीन चरणीय लेखापरीक्षा

सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सीएजी द्वारा वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए एक गहन नवीकृत, संकेन्द्रित और परिणामोन्मुखी पहुंच लागू की गई।

कम्पनी अधिनियम 1956 अथवा अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी किसी इकाई के प्रबंधन की है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक आईसीएआई के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों तथा सीएजी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा होती है।

चुनी गई सरकारी कम्पनियों की सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ प्रमाणित लेखों की समीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से ऐसी समीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों, यदि कोई है, की सूचना वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत दी जाती है।

चूंकि, लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता में वृद्धि अर्थात पठनीयता, विश्वसनीयता और विभिन्न पणधारियों के लिए उपयोगिता में प्रबंधन की सहायता करना है, इसलिए सीएजी ने 'तीन चरणीय लेखापरीक्षा ' की प्रणाली द्वारा वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए अधिक गहन, नवीकृत, संकेन्द्रित तथा परिणामोन्मुख पहुंच प्रस्तुत किया है। तीन चरणीय लेखापरीक्षा प्रणाली को निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रबंधन और संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ नई लेखापरीक्षा पहुंच के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली पर चर्चा के बाद मतैक्य के आधार पर 2008-09 के वित्तीय विवरणों के लिए 'सूचीबद्ध ', नवरत्न, 'मिनीरत्न ' और 'सांवधिक निगमों की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले चुने गए ''सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों'' में लागू किया गया था।

- **सीपीएसईज द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों से संबंधित असंगतियों और संदेहों को दूर करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों, प्रबंधन और सीएजी की लेखापरीक्षा के बीच प्रभावी सप्रेषण और समन्वित पहुंच स्थापित करना।**
- **सीपीएसईज के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के पूर्व त्रुटियों, चूक, अननुपालन आदि की पहचान करना और उजागर करना और सीपीएसईज के सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा प्रबन्धन को समय से उपचारी कार्रवाई करने के लिए ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए अवसर प्रदान करना।**

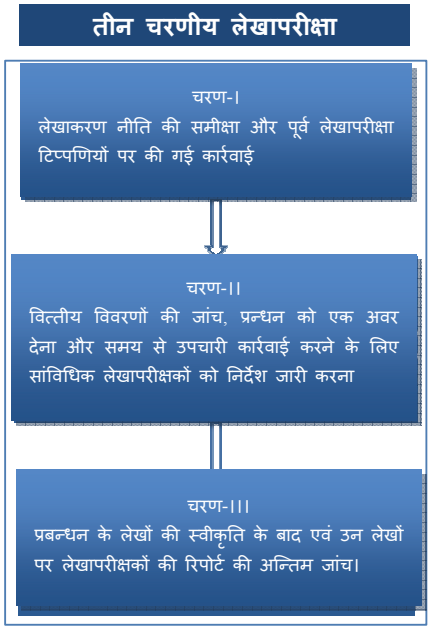

- **सीपीएसईज के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के बाद सीएजी की लेखापरीक्षा के समय को कम करना।**

इस प्रकार, तीन चरणीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों पर स्वीकृत टिप्पणियों में सुधार के लिए सीपीएसईज के प्रबंधन को समर्थ बनाकर लेखापरीक्षा प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में पर्याप्त गुणात्मक परिवर्तन लाती है।

नई लेखापरीक्षा प्रणाली की सराहना विभिन्न सीपीएसईज जिन्होंने इसका चयन किया, के प्रबन्धन और संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षकों दोनों द्वारा की गई थी। नई लेखापरीक्षा प्रणाली का चरण-I और चरण-II कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(क) के विस्तारित प्रावधान हैं। प्रथम दो चरणों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा टिप्पणियां प्रारंभिक टिप्पणियों के रूप में मानी जाती हैं और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(क) के अन्तर्गत उप-निर्देश के भाग के रूप में सांविधिक लेखापरीक्षको को सूचित की जाती हैं। लेखापरीक्षा का अंतिम चरण (चरण III) प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के बाद किया जाता है जो वही है जैसा पहले किया जाता था।

2.5 सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

2.5.1 तीन चरण लेखापरीक्षा का प्रभाव

74 सीपीएसईज में की गई तीन चरणीय लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपने वित्तीय विवरणों में सीपीएसईज द्वारा अनेक मात्रात्मक के साथ-साथ गुणात्मक परिवर्तन किए गए थे जिसके कारण उनके वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के लिए इन सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों की तीन चरण लेखापरीक्षा द्वारा किया गया मूल्यवर्द्धन निम्नलिखित ग्राफ में दर्शाया गया है:

तीन चरण लेखापरीक्षा का निवल प्रभाव

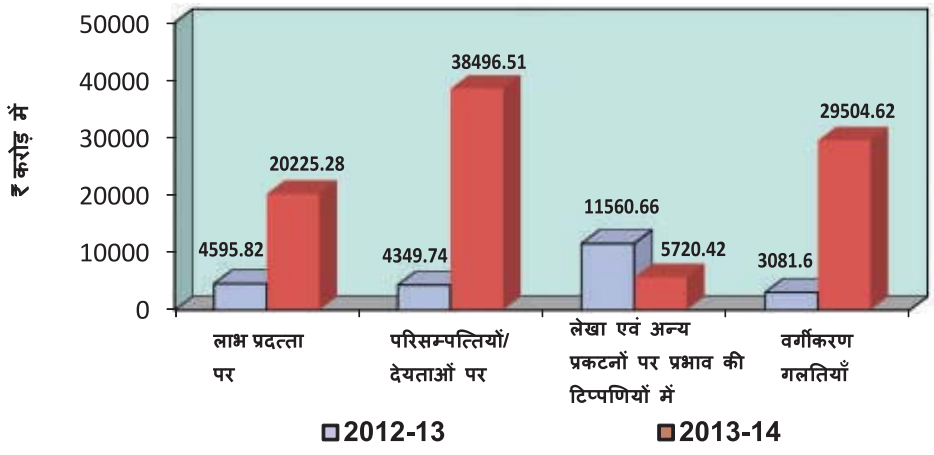

सीपीएसईज़ जहाँ महत्वपूर्ण मूल्य वर्धन किया गयाः

क्र.सं.	सीपीएसई के नाम
1.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
2.	गेल (इंडिया) लिमिटेड
3.	जनरल इन्शसोरेंश कार्पोरेशन आफ इंडिया
4.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
5.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6.	एनएचपीसी लिमिटेड
7.	नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
8.	एनटीपीसी लिमिटेड
9.	आयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
10.	ऑयल इंडिया लिमिटेड
11.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
12.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
13.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
14.	एसजेवीएन लिमिटेड
15.	स्टील अथारिंटी आफ इंडिया लिमिटेड

2.5.2 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों/मानी गई सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

सीएजी ने वर्ष 2013-14 के लिए 292 कम्पनियों और पांच सांविधिक निगमों के लेखाओं की समीक्षा की।

30 सितम्बर 2014 तक 325 सरकारी कम्पनियों, 137 मानी गई सरकारी कम्पनियों तथा पाँच सांविधिक निगमों से वर्ष 2013-14 के वित्तीय विवरण प्राप्त हुए थे। इनमें से जोखिम आकलन के आधार पर 224 सरकारी कम्पनियों और 68 मानी गई सरकारी कम्पनियों तथा पांच सांविधिक निगमों के लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।

सारांशतः, उपरोक्त 2.4.3 मे दिये गए निर्धारित मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए मुख्य लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा किये गए जोखिम आकलन के आधार पर सीएजी ने 30 सितम्बर 2014 तक प्राप्त लेखाओं में से 69 प्रतिशत सरकारी कम्पनियों और 50 प्रतिशत मानी गई सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की समीक्षा की।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संशोधन:

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लेखाओं की सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप आठ सरकारी कम्पनियों (दो सूचीबद्ध सरकारी कंपनी सहित) के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्टे संशोधित की। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में महत्वपूर्ण संशोधन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

आठ कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के बाद अपनी रिपोर्ट में संशोधन किया।

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	संशोधन का स्वरूप
1.	बीईएल आप्ट्रोनिक्स डिवाईसेज लिमिटेड	एसए-705 तथा एसए-706 का पालन करने के लिए संशोधित मत तथा मामले के महत्व को शामिल करने के लिए रिपोर्ट का फोर्मेट परिवर्तित किया।
2.	भारतीय रेल बिजली कम्पनी लिमिटेड	सम्पत्ति कर, सेवा कर, आयकर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा उपकर जो उपयुक्त प्राधिकारण के पास जमा नहीं कराए गए थे, के सम्बन्ध में विवादित देय राशियों की सही राशि शामिल करने के लिए रिपोर्ट संशोधित की गई।
3.	सेन्ट्रल रजिस्ट्री ऑफ सेक्यूट्राइजेशन एसेट रिकन्सट्रक्शन एडं सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट आफ इंडिया	संशोधित एसए-700 के अनुसार नये फोर्मेट में संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।
4.	हैवी इन्जिनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	एसए 700 (संशोधित) की अपेक्षा अनुसार, नकद प्रवाह विवरण से संबंधित सूचना रिपोर्ट की मद सं. 2(डी) में शामिल की गई थी।
5.	मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड	निम्नलिखित को शामिल करने के लिए रिपोर्ट संशोधित की गई: (i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (जी) का संदर्भ (ii) यह तथ्य कि बिक्री कर, आय कर, भविष्य निधि अंशदान के संबंध में वैधानिक देय राशियाँ नियमित रूप से जमा कराई गई थीं। (iii) यह तथ्य कि संचित हानि निवल संपत्ति के 50 प्रतिशत से अधिक थी।
6.	नबीनगर पावर जेनरेटिंग कम्पनी	विवादित आयकर की राशि से संबंधित सुधारों को शामिल करने के लिए रिपोर्ट संशोधित की गई।

	लिमिटेड	
7.	नैलौर ट्राँसमिशन लिमिटेड	सही अनुप्रयोज्य अविवादित वैधानिक राशियों को प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट संशोधित की गई जो उपयुक्त प्राधिकरण के पास जमा कराई गई थी।
8.	रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन लिमिटेड	निम्नलिखित के लिए रिपोर्ट संशोधित की गई: (i) लेखापरीक्षक की उत्तदायित्व रिपोर्ट पर पैरा से 'समेकित' शब्द को हटाने हेतू। (ii) 'अन्य विधिक एँव नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (13) (जी) पर टिप्पणी को हटाने हेतु। (iii) अचल परिसम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जाँच के संबंध में स्पष्टता लाने के लिए। (iv) विवादित कर देयताओं की सही राशि शामिल करने के लिए।

2.5.3 सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक के रूप में जारी सीएजी की टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2013-14 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात सीएजी ने पूरक लेखापरीक्षा की और सरकारी कंपनियों के लेखाओं पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं।

❖ **सूचीबद्ध कंपनियाँ**

लाभप्रदत्ता पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
आईएफसीआई लिमिटेड	ऋण के प्रति अपर्याप्त सुरक्षा कवर, आईएफसीआई के संबंध में समूह का पिछला खराब इतिहास तथा नई निगमित उधार कर्त्ता कम्पनी के छोटे प्रदत्त पूँजी के बावजूद पीपावाव मरीन एडं ऑफशोर लिमिटेड को दिए गए ऋण के संबंध मे, एनबीएफसीज़ पर लागू आरबीआई दिशानिर्देशों (जूलाई 2013) के अनुसार अशोध्य तथा संदिग्ध परिसम्पत्तियों का प्रावधान नहीं किया गया था।
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	• प्रशासनिक, प्रचालनात्मक तथा अन्य व्ययों में 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिए लाइसेंस फीस राशियों के अस्थाई आकंलन के प्रति दूर संचार विभाग (डीओटी)

	(जूलाई 2013) द्वारा उठाई गई ₹ 1887.70 मीलियन की माँग शामिल नहीं थी। • अपवादात्मक मदों में 1 अप्रैल 1986 से 30 सितम्बर 2000 के अवधि के लिए छुटी वेतन तथा पेंशन अंशदान के विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज के कारण जीओआई को भुगतान की जाने वाली ₹ 1738.10 मीलियन की राशि शामिल थी जो कम्पनी द्वारा भुगतान नहीं की गई थी।
नेशनल बिल्डिंग्स कन्सट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड	निम्नलिखित के कारण अन्य प्रचालन राजस्व अधिक बताया गया था (i) एस्क्रो एग्रीमेंट के उल्लंघन में, शहरी विकास मंत्रालय की ओर से क्रियान्वित ईस्ट किदवई नगर परियोजना के संबंध में ठेकेदारों से वसूली योग्य संग्रहण अग्रिम पर ब्याज की पहचान- ₹ 6.84 करोड़ (ii) सीआरपीएफ कार्यों के लिए ठेकेदारों से वसूली योग्य संग्रहण अग्रिम पर ब्याज - ₹ 0.17 करोड़

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
आईटीआई लिमिटेड	कम्पनी तथा एचसीएल के बीच अनुबंध के अनुसार 'सशर्त प्रतिपूर्ति' के रूप में मै. एचसीएल इन्फोसिस्टम लिमिटेड (एचसीएल) से वसूली योग्य राशि को शामिल करने के कारण लघुअवधि ऋण तथा अग्रिम ₹ 16.90 करोड़ अधिक बताया गया था। सशर्त प्रतिपूर्ति एचसीएल द्वारा कम्पनी द्वारा आदेश दिए जाने की स्थिति में भुगतान किया जाना था। चूँकि कम्पनी ने कोई आदेश नहीं दिया था, अत: अनुबंध पर आधारित आय का लेखांकन सही नहीं था।
एमएमटीसी लिमिटेड	• गैर-चालू निवेशो में संयुक्त उद्यम सीकल आयरन ओर ट्रमिनल लिमिटेड (एसआईओटीएल) में 26 प्रतिशत इक्विटी निवेश के नाते ₹ 33.80 करोड़ की राशि शामिल थी। लौह अयस्क् के खनन, परिवहन तथा निर्यात पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबन्धों के कारण नवम्बर 2010 में पूरी हुई परियोजना, वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ नही कर सकी। एसआईओटीएल ने अपनी बहियों में उपरोक्त परियोजना को पूँजीकृत नही किया था जिसके परिणामस्वरूप, नवम्बर 2010 के

	पश्चात सारी प्रशासनिक लागतें तथा वित्तीय लागतें अभी तक प्रगतिअधीन पूँजीगत कार्यों (सीडब्ल्यआईपी) को बुक की जा रहीं थीं तथा मूल्यह्रास के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। यदि इन लागतों को लाभ एवं हानि खाते में हस्ताँतरित किया गया होता तो एसआईओटीएल की निवल सम्पत्ति 2013-14 तक पूरी तरह से खत्म हो गई होती। • लघुअवधि ऋण तथा अग्रिम जीओआई की 15 प्रतिशत योजना के तहत, जो उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत कर दी गई थी, दलहन के आयात के कारण वसूली योग्य दावों के नाते ₹ 19.29 करोड़ (जोओआई द्वारा किये गए अधिक भुगतान पर ब्याज के प्रति कटौती किए गए ₹ 2.74 करोड़ सहित) तक अधिक बताए गए थे।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	• प्रबन्ध ने बेतिया एसपीयू प्रारंभ होने की सूचना दी थी; बोर्ड समिति को भी सूचित किया गया था कि आईआईएससीओ इस्पात संयंत्र के कुछ बड़े पैकेज प्रारंभ किये गए थे। तथापि, यह देखा गया था कि बेतिया एसपीयू को पूँजीकृत नही किया गया था तथा कम्पनी के लेखाओं में आईआईएससीओ संयंत्र तथा मशीनरी के पूँजीकरण की तिथियों मे तथा बोर्ड को प्रारंभ होने के बारे में बताई गई तिथियों में अन्तर था। इस प्रकार, पूँजीकरण की तिथियों की सत्यता तथा परिणामस्वरूप प्रभारित मूल्यह्रास की जाँच नही की जा सकी। • मालसूची में सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी) में एलडी सलैग से खनन योग्य 8,688 टन स्कल के अनुमानित मूल्य के रूप में ₹ 51.95 करोड़ शामिल किये गए थे। स्कल का मूल्याँकन न्यायोचित नहीं था क्योंकि सलैग एक बिक्री योग्य सामान नही था। चूँकि 31 मार्च 2014 को एसएसपी में 8,688 टन के स्कल भण्डार का प्रत्यक्ष अस्तित्व नही था, इसे मालसूची नही माना जा सकता।
दी स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	कारोबार प्राप्तियोग्य में 2008-2010 की अवधि के दौरान निर्यात किये गए इस्पात स्लैब के कारण जीएसपीआई/जीएसएचएल से वसूली योग्य ₹ 1468.14 करोड़ शामिल थे। वसूली की दर पर समस्त देय राशियों के भुगतान के लिए दिनांक 15 नवम्बर 2011 के समाधान अनुबंध तथा

	फिर दिनांक 17 मई 2012 के समझौता अनुबंध के बाद भी, पर्याप्त प्रतिभूति की कमी तथा बकाया राशियों के समय पर विचार करते हुए, बकाया राशियों की वसूली की संभावना अनुमान लगाने योग्य नही थीं।

उदघोषणा पर टिप्पणियाँ

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	• केबिनेट ने 2010 में डीओटी को भुगतान किए गए एकमुश्त बीडब्ल्यूए स्पैक्ट्रम शुल्क को दर्शाते हुए ₹ 45339.70 मीलियन के प्रतिदाय का अनुमोदन किया (जनवरी 2014) तथा कम्पनी को बाण्ड तथा ब्याज के पुनर्भुगतान का उत्तरदायित्व जीओआई का होने के साथ गारन्टी शुल्क के बिना जीओआई द्वारा कराई जाने वाली स्वायत गारन्टी के साथ ₹ 45339.70 मीलियन मूल्य के बांण्ड उठाने की अनुमति दी। कम्पनी ने बाण्ड जारी करने के लिए डीओटी से ₹ 45339.70 मीलियन के लिए सरकारी गारन्टी हेतु अनुरोध किया। तथापि, आर्थिक मामले विभाग ने केवल ₹ 10000 मीलियन के बाण्ड के लिए सरकारी गारन्टी का अनुमोदन किया। इसके प्रति, कम्पनी 2013-14 मे केवल ₹ 7650 मीलियन की राशि के लिए बांण्ड (3ए-2014 श्रृखँला) जारी कर सकती थी। यह तथ्य कि डीओटी द्वारा एकमुश्त बीडब्ल्यूए स्पैक्ट्रम शुल्क के प्रतिदाय के स्थान पर ₹ 7650 मीलियन मूल्य की डिवेंचर 3 ए श्रृखँला जारी की गई थी, उजागर नही किया था। • वर्ष 2013-14 के लिए, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) से वसूली योग्य राशि तथा को भुगतान योग्य राशि क्रमश: ₹ 41,860.40 मीलियन तथा ₹ 18282.54 मीलियन थी, परिणामस्वरूप बीएसएएन एल से निवल वसूली योग्य राशि ₹ 23577.86 मिलियन की थी। हालाँकि वर्ष 2013-14 के लिए बीएसएनएल के वार्षिक लेखा के अनुसार, कम्पनी से वसूली योग्य तथा कम्पनी को भुगतान योग्य राशि क्रमश ₹ 35179.52 मीलियन तथा ₹ 9960.15 मीलियन थी, परिणामस्वरूप कम्पनी से वसूली योग्य

	राशि ₹ 25219.37 मीलियन थी। अत: एक ही मंत्रालय के तहत इन दो सरकारी कम्पनियों के बीच वसूलीयोग्य/भुगतान योग्य राशियों में ₹ 48797.23 मीलियन का निवल अन्तर था। वर्ष 2012-13 के लिए भी कम्पनी के लेखाओं पर समान टिप्पणी की गई थी। तथापि, कम्पनी तथा बीएसएनएल के बीच समाधान न किये गए शेषों की स्थिति में कोई अन्तर नहीं था।

❖ गैस-सूचीबद्ध कम्पनियाँ

लाभप्रदायकता पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
भारत संचार निगम लिमिटेड	• लाइसेंस तथा स्पैक्ट्रम शुल्क में वर्ष 2013-14 के दौरान डीओटी के टर्म सेल द्वारा लगाई गई शास्तियों के प्रति ₹ 1428.62 करोड़ शामिल नही थे। • 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान अधिकतम वेतन के बजाए आहरित वास्तविक वेतन के आधार पर कर्मचारियों का पेंशन अंशदान प्रभारित करने के कारण कर्मचारी लाभ व्यय (पेंशन अंशदान) ₹ 707.03 करोड़ तक कम बताए गए थे।
जनरल इन्श्योरेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया	मोटर दावे बकाया में, करोबार की मोटर श्रेणी के संबंध में वहन किये गए परन्तु सूचित ना किये गए' के लिए प्रावधान की गणना करते समय, अण्डराइटिंग वर्ष 2007 के निष्कासन के कारण ₹ 441.84 करोड़ शामिल नहीं किये गए थे।
हैवी इन्जिनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	लघु अवधि व्यापार प्राप्ति योग्य में शामिल थे (i) ₹ 8.39 करोड़ जिनके प्रति कम्पनी ने भिलाई इस्पात संयंत्र के साथ अन्तिम समझौते में ₹ 2.73 करोड़ का दावा स्वीकार किया था। (ii) सेवा कर के प्रति ₹ 0.74 करोड़ सहित ₹ 2.40 करोड़ जिसके प्रति भिलाई इस्पात संयंत्र ने कम्पनी द्वारा कार्यान्वित अतिरिक्त कार्य के लिए केवल ₹ 1.38 करोड़ स्वीकार किये हैं। (iii) नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड के बीना कोल हैण्डलिंग प्लान्ट के संबंध में उपकरण इत्यादि की आपूर्ति के लिए संविदा के संबंध में दावे के लिए अपीलीय प्राधिकरण द्वारा

	नवम्बर 1999 में कम्पनी के पक्ष में दिये गए निर्णय की राशि के रूप में ₹ 14.58 करोड़, जो चौदह वर्षों से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी वसूल नही किये जा सके थे।
इंडिया रिनेवेबल एनर्जी डेवेलपमेन्ट एजेन्सी लिमिटेड	प्रचालनों से राजस्व में 'अशोध्य तथा सदिग्ध ऋणों' के लिए प्रावधान' के प्रतिलेखन के कारण ₹ 103.10 करोड़ शामिल थे जबकि ₹ 98.80 करोड़ के अशोध्य तथा संदग्धि ऋण लाभ तथा हानि के विवरण को प्रभारित करके प्रतिलेखन किया गया था।
कोकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	अचल सम्पत्ति (भूमिकार्य) में वर्ष 2005-06 से जियो-टेक सुरक्षा कार्यों पर वहन किये गए व्यय के प्रति ₹ 228 करोड़ शामिल थे। चूँकि व्यय पूँजीगत प्रवृति का व्यय नहीं था जो वर्तमान सपत्ति से अर्जन क्षमता को बढ़ाता, इसलिए यह लाभ तथा हानि विवरण को प्रभारित किया जाना चाहिए था।
नार्थ इस्टर्न हैण्डी क्राफ्टस एण्ड हैण्डलूम डेवेलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	लाइफ इन्शोयोरेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया को भुगतान योग्य ग्रेचुईटी निधि के प्रति अंशदान के संबंध में कम प्रावधान के कारण कर्मचारी लाभ व्यय ₹ 1.52 करोड़ तक कम बताए गए थें।
न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	प्रशासन और अन्य व्ययों में 2010-11 से 2013-14 के दौरान विलम्बित/गैर भुगतान पर गुजरात सरकार के सिंचाई विभाग को कम्पनी द्वारा देय ₹ 93.31 करोड़ का ब्याज शामिल नहीं हैं।
पीएफसी कन्सल्टिंग लिमिटेड	अन्य परिचालन आय में पांच स्वतंत्र ट्रांसमिशन परियोजनाएं अर्थात् विशेष उद्देश्य योजन जोकि स्वंतत्र ट्रांसमिशन परियोजना के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक बोली दस्तावेजों के उल्लघंन में था से संबंधित बोली प्रोसेसर कोरडिनेटर की क्षमता में कम्पनी द्वारा प्राप्त किए गए प्रस्ताव के लिए निवेदन दस्तावेजों की बिक्री प्राप्तियों के आधार पर ₹ 2.00 करोड़ शामिल किए गए थे जिसमें प्रदान किया गया था कि प्रस्ताव दस्तावेजों के लिए निवेदन के बिक्री प्राप्तियों को सीधे विशेष उद्देश्य योजन के खाते मे जमा किया जाए।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड	वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और दीर्घकालिक गतिविधि रिजर्व को उसके गैर प्रावधान के कारण ₹ 10.25 करोड़ तक कम बताया और 2013-14 के लिए कम प्रावधान किया गया था।
भारत ब्रोडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	• स्थायी ''परिसम्पत्तियों (मूर्त परिसम्पत्तियां) में तीन ब्लाकों अर्थात् अजमेर जिले में अरेन (राजस्थान), विशाखापट्नम (आन्ध्र प्रदेश) में परवड़ा और पानीसागर (त्रिपुरा) जिनमें 60 ग्राम पंचायतें कवर होती हैं, में एनओएफएन प्रायोगिक परियोजना के मूल्य में ₹ 3.39 करोड़ शामिल नहीं हैं जिन्हें 10 मई 2012 में पूर्ण कर प्रयोग में लाया गया। • रोकड और रोकड के बराबर-एनओएफएन के लिए यूएसओएफ से अनुदान राशि का सावधि जमा एनएलडी लाइसेंस की खरीद के लिए इस कोरपस से उपयोग हेतु लिए जाने के कारण ₹ 2.50 करोड़ कम बताया गया था।
भारत संचार निगम लिमिटेड	डीओटी ने वर्ष 2006-07 से 2008-09 के लिए लाइसेंस शुल्क का अन्तिम निर्धारण पूरा करने के बाद वर्ष 2012-13 के लिए लाइसेंस शुल्क के कम भुगतान के लिए ₹ 378.30 करोड़ की मांग के अलावा ₹ 4076.62 करोड़ की अतिरिक्त मांग की। कम्पनी ने यह प्रदान नही किया किन्तु इसे एक आकस्मिक देयता घोषित किया।
बोकारो पावर सप्लाई कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड	प्रगति पर पूंजीगत कार्य में 2 x 250 मे वा. पावर प्लांट परियोजना के लिए कोयले की खरीद के लिए आश्वासन पत्र के प्रति कम्पनी द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा न करने के कारण मार्च 2011 में सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड द्वारा बैंक गारंटी भुनाने की राशि के ₹ 12.35 करोड़ शामिल हैं। तीन वर्षों से अधिक बीत चुके थे और कम्पनी जब्त प्रतिभूति जमा का प्रतिदाय प्राप्त नही कर सकी थी।
सेन्ट्रल रजिस्ट्री ऑफ सेक्यूट्राइजेशन एसेट रिकन्सट्रक्शन एडं सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट आफ इंडिया	रोकड़ और बैंक बेलेस में तीन महीने से कम की वास्तविक परिपक्वता अवधि सहित ₹ 38.95 करोड़ का सावधि जमा और तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीने से कम की वास्तविक परिपक्वता सहित ₹ 111.75 करोड़ का सविधि जमा शामिल नहीं हैं।

दरभंगा मोतिहारी ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	प्रगति पर पूंजीगत कार्य में स्वतंत्र ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया पर आधारित टेरिफ पर कम्पनी की बोली के हस्तारंण के लिए प्रस्ताव के लिए निवेदन के दस्तावेजों से बिक्री प्राप्ति के कारण ₹ 0.40 करोड़ शामिल नहीं है जैसा कि ट्रांसमिशन सेवा प्रदात्ताओं के चयन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक बोली दस्तावेजों में अपेक्षित हैं।
डीजीई एन ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	प्रगति पर पूंजीगत कार्य में स्वतंत्र ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया पर आधारित टेरिफ पर कम्पनी की बोली के हस्तारंण के लिए प्रस्ताव के लिए निवेदन के दस्तावेजों से बिक्री प्राप्ति के कारण ₹ 0.30 करोड़ शामिल नहीं है जैसा कि ट्रांसमिशन सेवा प्रदात्ताओं के चयन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक बोली दस्तावेजों में अपेक्षित हैं।
हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड	अन्य चालू देयताओं में तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष के अन्दर वापसी योग्य प्रतिभूति जमा के ₹ 22.47 करोड़ शामिल हैं।
एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	प्रगति पर पूंजीगत कार्य में एमओयू को अन्तिम रूप देने और जेवी समझौते के लिए बैठक और कम्पनी के नींव रखने के उदघाटन समारोह पर ₹ 8.19 करोड़ की राशि शामिल की।
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	वर्ष 2012-13 के लिए कम्पनी के वार्षिक लेखों पर सीएजी की टिप्पणियों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें बताया गया था कि एक वर्ष की निर्धारित अवधि के अन्दर वांछित उद्देश्य के लिए उपयोग न की गई मशीनरी एवं अवसंरचना का नवीकरण और प्रतिस्थापन (आरआरएमआई) योजना के लिए प्राप्त की गई अग्रिम निधियों पर कम्पनी द्वारा अर्जित किए गए ₹ 42.18 करोड़ के ब्याज हेतु देयता के लिए प्रावधान नहीं किया गया था किन्तु भारत सरकार को क्रेडिट के लिए वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान आवधिक जमा में रखा गया था। वर्ष 2013-14 के दौरान भी कम्पनी ने न तो भारत सरकार को ब्याज दिया न देयता का प्रावधान दिया। इसके अतिरिक्त संस्वकृती की शर्तों के उल्लंघन में विभिन्न चालू पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरआरएमआई निधियों से ₹ 103.05 करोड़ उपयोग किए गए थे। इसलिए ₹ 5.53 करोड़ के कल्पित ब्याज जो यदि समान अवधि जमा में निवेश किया जाता तो अर्जित किया जा सकता था संस्वीकृति की शर्तों के अनुरूप भारत सरकार को क्रेडिट नहीं किया गया था।

जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड	चालू देयताओं के साथ साथ प्रगति पर पूंजीगत कार्य एजेंसी कमीशन की गणना के कारण ₹ 16.50 करोड़ तक अधिक बताया गया जैसाकि धारण कम्पनी को परियोजना के कार्यान्वयन के लिए देय माना गया जो कि न तो व्यवहार्यता रिपोर्ट में शामिल न ही भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।
मेकॉन लिमिटेड	मौजूदा सड़क की मरम्मत की लागत के पूंजीकरण के कारण सामाजिक सुविधाओं को ₹ 2.76 करोड़ अधिक बताया गया था।
नागालैंड पल्प एडं पेपर कम्पनी लिमिटेड	चालू देयताओं के साथ प्रगति पर पूंजीगत कार्य, एजेंसी कमीशन की गणना के कारण ₹ 4.89 करोड़ तक अधिक बताया गया जैसकि धारण कम्पनी को परियोजना के कार्यान्वयन के लिए देय माना जाएगा जो कि न तो व्यवहार्यता रिपोर्ट में शामिल न ही भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।
नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए कर/मैट के गलत प्रावधान के कारण ₹ 1.15 करोड़ तक अधिक आयकर के कराधान के प्रावधान को बताया गया था।
नेशनल प्रोजेक्टस कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड	• कम्पनी अधिनियम, 1956 की संशोधित अनुसूची VI के अन्तर्गत निर्धारित फार्मेट के विपरीत फर्नीचार और फिकसचार और कार्यालय उपकरण को समाधन शीर्ष कार्यालय फर्नीचर और उपकरण के अन्तर्गत दर्शाया गया था। • परियोजना प्राधिकारी के पास प्रतिभूति जमा को दीर्घावधि ऋण और अग्रिमों की जगह अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियों में शामिल किया गया था। • एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि के साथ सावधि जमा और प्रतिभूति जमा/बैंक गारंटी के लिए बैंक/परियोजना प्राधिकारी के प्रतिभूत को 'अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियों' की जगह 'अनुसूचित बैंक' के पास 'अन्य शेष' के रूप में दर्शाया गया था। • उच्च एलटिट्यूड सड़क के निर्माण में चट्टान उत्खनन के किए गए कार्य के लिए देयता के प्रावधान के अन्तर्गत व्यावसयिक देयताओं को ₹ 1.09 करोड़ तक कम बताया गया था। • डिस्ट्रकट एवं सेशन जज, लुंगलेई के जजमेंट के अनुपालन में भू स्वामी को अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के भुगतान का प्रावधान न होने के कारण ₹ 22.74 करोड़ तक की अन्य चालू देयताओं को कम बताया गया था।

नेपा लिमिटेड	ईपीएफओ देय जमा करने में कम्पनी द्वारा विलम्ब के दृष्टिगत ईपीएफओं द्वारा लगाई गई शास्ति के कारण एम्पलोइज़ प्रोविडेंट फंड आरगेनाइजेशन (ईपीएफओ) को क्षतिपूर्ति के रूप में दत्त ₹ 3.34 करोड़ अन्य और चालू परिसम्पत्तियों में शामिल किए गए थे। राशि ईपीएफओ से वसूली योग्य नहीं थी तथा इसे लाभहानि विवरण से चार्ज होना चाहिए था।
पटरन ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	प्रगति पर पूंजीगत कार्य में स्वतंत्र ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया पर आधारित टेरिफ पर कम्पनी की बोली के हस्तारंण के लिए प्रस्ताव के लिए निवेदन के दस्तावेजों से बिक्री प्राप्ति के कारण ₹ 0.50 करोड़ शामिल नहीं है जैसा कि ट्रांसमिशन सेवा प्रदात्ताओं के चयन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक बोली दस्तावेजों में अपेक्षित हैं।
पीईसी लिमिटेड	• व्यापार प्राप्तियों में 15% अदायगी योजना के तहत सरकारी खाते में दालों के आयात और बिक्री में दर्ज हानियों के कारण भारत सरकार से वसूली योग्य राशि में ₹ 88.61 करोड़ शामिल थे। जैसाकि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सूचना दी थी (अप्रैल् 2014) कि कोई स्वीकार्य दावा लम्बित नहीं था, राशि की वसूली संदेहात्मक थीं। • अल्पावधि ऋण और अग्रिमों में मै. नेशनल स्पाट एक्सचेंज लिमिटेड से वसूलीयोग्य दावे के रूप में ₹ 121 करोड़ शामिल थे। चूंकि राशि की उगाही के अवसर दूरस्थ थे, राशि प्रदान की जानी चाहिए थीं।
पुरूलिया खडगपुर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	प्रगति पर पूंजीगत कार्य में स्वतंत्र ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया पर आधारित टेरिफ पर कम्पनी की बोली के हस्तारंण के लिए प्रस्ताव के लिए निवेदन के दस्तावेजों से बिक्री प्राप्ति के कारण ₹ 0.30 करोड़ शामिल नहीं है जैसा कि ट्रांसमिशन सेवा प्रदात्ताओं के चयन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक बोली दस्तावेजों में अपेक्षित हैं।
रेलटेल कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड	अल्पावधि ऋण और अग्रिम निम्न के कारण अधिक बताए गए थे: (i) बिक्री कर और अन्य वसूलियों के लिए रेल मंत्रालय से ₹ 49.96 करोड़ वसूली योग्य थे। (ii) पूंजीगत कार्यों के लिए रेलवे को ₹ 1.61 करोड़ का अग्रिम दिया गया था।

आरएपीपी ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	प्रगति पर पूंजीगत कार्य में स्वतंत्र ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया पर आधारित टेरिफ पर कम्पनी की बोली के हस्तारंण के लिए प्रस्ताव के लिए निवेदन के दस्तावेजों से बिक्री प्राप्ति के कारण ₹ 0.50 करोड़ शामिल नहीं है जैसा कि ट्रांसमिशन सेवा प्रदात्ताओं के चयन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक बोली दस्तावेजों में अपेक्षित हैं।

प्रकटन पर टिप्पणियां

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
भारत ब्रोडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	सीपीएसईज़ की अनुसची वार सूची के अनुसार, कम्पनी को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा कम्पनी को 'ए' अनुसूची के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था, तथापि, कम्पनी बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर के नीचे अपने कार्मिकों को अनुसूची 'ए' कम्पनी की सुविधा दे रही थी। यह तथ्य कि अनुसूची 'ए' कम्पनी की स्थिति दी जा रही थी जबकि सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वर्गीकरण लम्बित था टिप्पणी में प्रकट नहीं किया गया था।
भारत संचार निगम लिमिटेड	एमटीएनएल को चालू खाते पर वसूली योग्य राशि और देय राशि को क्रमश: ₹ 3517.95 करोड़ ओर ₹ 996.02 करोड़ दर्शाया गया था जिसके परिणामस्वरूप एमटीएनएल से ₹ 2521.93 करोड़ की कुल राशि वसूलीयोग्य थीं। तथापि वर्ष 2013-14 के लिए एमटीएनएल के अनुमोदित वार्षिक खाते के अनुसार कम्पनी से वसूली योग्य राशि और देय राशि क्रमश: ₹ 4186.04 करोड़ और ₹ 1828.25 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी से ₹ 2357.79 करोड़ की कुल राशि वसूलीयोग्य थी। इस प्रकार, एक मंत्रालय के अन्तर्गत इन दो सरकारी कम्पनियों के बीच वसूली योग्य/देय राशियों में कुल अन्तर ₹ 4879.72 करोड़ का था। यह टिप्पणी वर्ष 2012-13 के लिए कम्पनी के लेखों पर भी उठाई गई थीं। तथापि, कम्पनी और एमटीएनएल के बीच असंगत शेषों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं था।
बोकारो पावर सप्लाई कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड	आकस्मिक देयताओं में 9वीं बायलर परियोजना के लिए 31 मार्च 2014 तक किए गए कार्य पर ठेकेदार द्वारा दर्ज ₹ 2.45 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 7.39 करोड़ की राशि के दावे को शामिल नहीं किया गया।

सेन्ट्रल रजिस्ट्री ऑफ सेक्यूट्राइजेशन एसेट रिकन्सट्रक्शन एडं सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट आफ इंडिया	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड से आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र की खरीद पर ₹ 44.24 करोड़ तक की पूजीगत प्रतिबद्धता को प्रकट नहीं किया गया था।
हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड	आकस्मिक देयताओं में ग्राहकों और आपूर्तिकत्ताओं से मुख्य दावों और कम्पनी के विरूद्ध दर्ज विभिन्न न्यायालयों और अधिनिर्णय मामलों के ₹ 9.97 करोड़ शामिल नहीं हैं।
एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	'रिफाइनरी कम पट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स' की स्थापना से संबंधित टिप्पणियों में निम्न उदघोषित नही किया गया था: (i) राजस्थान सरकार द्वारा की गई परियोजना की पुनरीक्षा में 15 वर्षों की अवधि के लिए ₹ 56,000 करोड़ से अधिक से ब्याज मुक्त अग्रिम के लिए प्रतिबद्धता पर विचार, परियोजना के लिए भूमि का आवंटन और कम्पनी के पूंजीगत शेयर में उसकी इक्विटी की अपर्याप्तता (26%) और (ii) परियोजना को मार्च 2014 में वित्तीय विवरण के अनुमोदन तक राजस्थान सरकार द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी। परियोजना का कार्य रोका गया था और परियोजना में आगे का विकास और प्रगति राजस्थान सरकार की पुनरीक्षा और निर्णय के परिणाम पर निर्भर करती हैं।
कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड	अगस्त 2007 से 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 'स्काई बस परियोजना' के लिए रेल मंत्रालय के अनुसंधान डिज़ाइन एवं मानक संगठन द्वारा ₹ 25 करोड़ के अग्रिम की अव्ययित राशि की वापसी के लिए की गई मांग को उदघोषित नही किया गया है।
नेपा लिमिटेड	पूंजीगत कार्यों पर विचान न करने के कारण जिनहे अभी निष्पादित किया जाना था, पूंजीगत प्रतिबद्धता ₹ 6.15 करोड़ तक कम बताई गई थी।
एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड	आकस्मिक देयताओं में निम्न शामिल नहीं हैं: (i) धारा 156 के तहत उठाई गई आय कर मांग - ₹ 22.56 करोड़ (ii) अप्रैल 2007 से मार्च 2014 की अवधि के लिए सेवा कर पर ब्याज और शास्ति - ₹ 138.30 करोड़ (iii) अप्रैल 2012 से मार्च 2014 की अवधि के लिए सेवा कर पर शास्ति और ब्याज - ₹ 9.94 करोड़

रेल विकास निगम लिमिटेड	कम्पनी अपनी लेखाकरण नीति के उल्लंघन में बिना किसी औपचारिक निर्माण समझौते के रेल मंत्रालय से प्राप्त कार्य के लिए विशेष उद्देश्य योजन द्वारा किए गए कार्य से संबंधित संविदा राजस्व की गणना कर रहा था। इसे उदघोषित नही किया गया था।
सांभार साल्ट्स लिमिटेड	यह तथ्य कि उसकी 424.80 एकड़ भूमि कब्जे के अन्तर्गत थी को उदघोषित नही किया गया था।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
डीजीईएन ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	यह आपत्ति कि पीएफसी कसंल्टिग लिमिटेड द्वारा व्यय तथा आंबटित के रूप में श्रमशक्ति और अन्य प्रशासनिक उपरिव्यय से संबंधित व्यय न तो अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण अथवा सामान्य रूप से निर्माण कार्य हेतु स्पष्ट रूप से आरोप्य है क्योंकि निर्माण अभी प्रांरभ होना था जो सही नहीं है क्योकि व्यय विशिष्ट रूप से पीएफसी कन्सल्टिंग लिमिटेड द्वारा विशेष प्रयोजन ईकाई के रूप में गठित कम्पनी द्वारा निष्पादित होने वाली ट्रांसमिशन परियोजना के लिए थे। यह व्यय पीएफसी कसल्टिंग लिमिटेड द्वारा भावी बोलीदाता से वसूलीयोग्य थे जिसे बोलीदाता के चयन पर कंपनी को हस्तांतरित किया जाएगा।

अन्य टिप्पणयों

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
चंडीगढ़ शेडयूल कास्ट फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (2012-13)	वाहनों के संबंध में प्रभारित मूल्यह्रास की दरें कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV तहत निर्धारित न्यूनतम दरों से कम थीं।
एसबीआई कार्डस एडं पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	क्रेडिट शेष वापसी अज्ञात क्रेडिट और तीन वर्षों से अधिक से बकाया देयताओं के लिए जारी सहित पूराने चेकों के प्रबंधन पर परिवर्तित लेखाकरण नीति के दृष्टिगत पूर्व वर्षों में दर्ज ₹ 12.21 करोड़ की आय को विपरीत/समायोजित किए जाने की आवश्यकता हैं।

❖ असूचीबद्ध मानी गई सरकारी कम्पनियां

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
सिक्कुल कॉनकर इन्फ्रा कम्पनी लिमिटेड	अन्य बैंक शेषों में तीन महीने की अवधि के लिए सृजित सविधि जमा के लिए ₹ 30 करोड़ की राशि शामिल हैं।

प्रकटन पर टिप्पणियां

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
अरावली पावर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	आकस्मिक देयता को भूमि अधिग्रहण संशोधन अधिनियम 1984 की शर्तों में कम्पनी द्वारा अधिग्रहित भूमि के मालिकों को देय ब्याज और मुआवजे के गलत निर्धारण और देयताओं को शामिल न करने के कारण ₹ 1.21 करोड़ कम बताया गया।
एनर्जी एफिशियेंसी सर्विसेस लिमिटेड	घरेलू उपभोक्ता को एलईडी लेंम्पो के वितरण के समय उपभोक्ता से विक्रेता द्वारा संग्रहित एलईडी लेम्पो की लागत शामिल करने के कारण पूंजीगत प्रतिबद्धता को ₹ 0.74 करोड़ तक अधिक बताया गया।
रत्नागिरी गैस और पावर प्राइवेट लिमिटेड	• वैसो आयल एडं गैस लिमिटेड और पुंज लाएड लिमिटेड के संयुक्त उद्यम द्वारा किए गए ₹ 4.15 करोड़ की राशि के उत्पाद शुल्क/ मूल्य संवर्धन कर और सेवा कर की वापसी के दावे को आकस्मिक देयताओं के अन्तर्गत शामिल नही किया गया था। • जुलाई 2014 में भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के मत की शर्तों में, कम्पनी ने न तो एनटीपीसी लमिटेड और गेल (इंडिया) लिमिटेड जिसके कार्मिक कम्पनी में सेकडमेंट आधार पर नियुक्त किए गए थे द्वारा दिए गए स्पष्ट प्रभारों की उदघोषणा की न ही कम्पनी द्वारा अपनाए गए स्पष्ट लाभ योजना से स्पष्ट योगदान योजना के प्रभार की उदघोषण की थी।

लेखापरीक्षक के रिपोर्ट पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसस लिमिटेड	पूर्व अवधि व्यय से संबंधित योग्यता सही नहीं थीं क्योंकि ब्यूरों आफ एनर्जी एफिशियेंसी द्वारा परफोर्म-एचिव-ट्रेड योजना के तहत दत्त ₹ 7.15 करोड़ की आय 31 मार्च 2013 तक की अवधि से संबंधित थी। चूंकि कम्पनी ने 2012-13 में आय की पहचान में चूक की थी, कम्पनी ने सही रूप से राशि को पूर्व अवधि आय के रूप में बुक किया था।

अन्य टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
सिक्कुल कॉन्कर इन्फ्रा कम्पनी लिमिटेड	'विविध आय' पर कम्पनी की लेखांकन नीतियां (सं. 14 और 16) परस्पर विरोधी थी। कम्पनी ने कम्पनी के वित्तीय विवरण को तैयार करने में नीति सं. 16 अपनाई थीं।

❖ सांविधक निगम जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक हैं

सांविधक निगम जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करते हैं, के लेखाओं पर सीएजी द्वारा जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे ब्यौराबद्ध है:

(1) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण

(i) एनएचएआई द्वारा लेखों की उचित बहियों और अन्य सुसंगत अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित गंभीर रिजर्वेशनों से यह मत बनाना कि क्या एनएचएआई के वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखाकंन सिद्धान्तों के अनुरूप सही और स्पष्ट दृष्टिकोण दे रहें थे जैसा नीचे गिनाया गया हैं:

(क) ₹ 123064.82 करोड़ के प्रगति पर पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) को चालू परियोजनाओं पर व्यय के परियोजना वार विवरण के अभाव में सत्यापित नही किया जा सका।

(ख) पूंजीकरण/हस्तातंरण की प्रतीक्षा कर रही पूर्ण परियोजनाओं पर व्यय के तहत दर्ज ₹ 904.45 करोड़ की उधार लागत सामान्यतया स्वीकृत लेखाकंन सिद्धान्तों ओर एनएचएआई की लेखाकंन नीति सं. 6.2 के उल्लंघन में थी। क्योंकि एनएचआई ने परियोजना वार उधार निधियों के उपयोग से संबंधित अभिलखों का अनुरक्षण नही किया था, आज तक पूर्ण और अपूर्ण परियोजनाओं की आवंटित कुल उधार लागतों की विशुद्धता का सत्यापन नहीं किया जा सका।

(ग) पूर्ण परियोजना को 'वर्ष के लिए कुल स्थापना व्यय' का आबंटन भी सामान्यत: स्वीकृत लेखाकंन सिद्धान्तों के विरूद्ध था क्योंकि यह राजस्व व्यय था ओर पूर्ण परियोजनाओं को आंवटित नही किया जाना चाहिए। व्यय के परियोजना वार विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा ऐसे गलत बुकिंग के प्रभाव की मात्रा निर्धारित नही कर सकी।

(घ) 'पूंजीकरण/हस्तारंण की प्रतीक्षा कर रही पूर्ण परियोजनाओं पर व्यय' में एनएचएआई द्वारा 16 सड़क परियोजनाओं पर किए गए व्यय की लागत शामिल है जो टोलिंग अधिकारों सहित रियायग्रहियों को बीओटी आधार पर सड़क को 6-लेन के उन्नयन हेतु सौंपे जा चुके थे। इसी प्रकार, पांच अन्य परियोजनाएं राज्य सरकारों को हस्तांतरित की जा चुकी थी। यद्यपि यह परियोजनाएं एनएचएआई के पास मौजूद नहीं थी, लेखों में कोई समायोजन नहीं किया गया था।

(ङ) एनएचएआई 1995 में संचालित हो गया था और उसने पूर्ण राजमार्ग परियोजनाओं पर ₹ 78727.85 करोड़ का व्यय उदघोषित किया था। यद्यपि राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त हिस्से पहले से ही पूर्ण हो चुके थे और सामान्य जनता द्वारा प्रयोग किए जा रहे थे किन्तु अभी तक इनका पूंजीकरण नही किया गया था और कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया था जो सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों और उनकी अपनी लेखाकरण नीति सं. 6.3 के विरूद्ध था।

(ii) ₹ 667.71 करोड़ के सीडब्ल्यआईपी कम पूंजी रिर्जव चूक के मामले में बैंक गारंटी के नकदीकरण और ठेकेदार/रियायतग्राही से वसूला गया हर्जाना एनएचएआई द्वारा संग्रहित/प्राप्त राशि को दर्शाता हैं। आय, आयकर रिफंड पर ब्याज इत्यादि जो सकरार को देय नहीं थे के कारण तीसरे पक्षों से प्राप्त यह आय उपरोक्त शीर्ष के तहत इसकी प्रकृति को पहचाने बगैर बुक की गई थी अर्थात् राजस्व या पूंजी। 2013-14 के दौरान एनएचएआई ने 31 मार्च 2014 तक प्रगति पर परियोजनाओं के साथ-साथ पूर्ण परियोजनाओं की लागत से आनुपातिक राशि का कटौती की थी। चूंकि पूर्ण परियोजनाओ के संबंध में वसूली गई राशि की पहचान नही हो सकी, ₹ 99.88 करोड़ की राशि की आनुपातिक कटौती सही नही थी और इसे लाभ और हानि खाते में जमा करवाना चाहिए था। यह एएस-10 के उल्लंघन में था।

(iii) एनएचएआई ने दो सहायक कम्पनियों अर्थात् मै. मोरादाबाद टोल रोड कम्पनी लिमिटेड और मै. अहमदाबाद-बडोदरा एक्सप्रेसवे कम्पनी लिमिटेड में ₹ 345.21 करोड़ का निवेश किया। सड़क परियोजना और टोल संग्रहण अधिकार रियायतग्रहियों को उन्नयन हेतु क्रमश: दिसम्बर 2010 और जनवरी 2013 में हस्तांतरित किए गए थे किन्तु निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान नही किया गया था।

इसके अतिरिक्त, एनएचएआई ने तीन सहायक कम्पनियों अर्थात् विशाखापट्नम पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड, कोचीन पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड और पारादीप पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड में ₹ 226.60 करोड़ का निवेश किया (शेयर आवेदन राशि सहित जिसका

आवंटन लम्बित है)। संचित हानियों के कारण, निवेश का मूल्य कम हो गया था जिसके परिणास्वरूप उनकी निवल सम्पत्ति का 50% से अधिक मूल्य का ह्रास हुआ था। तथापि, एएस-13 के अनुसार कोई प्रावधान नही किया गया था।

(iv) सहायक कम्पनियों को ऋण में दो सहायक कम्पनियों अर्थात् मै. मोरादाबाद टोल रोड कम्पनी लिमिटेड और मै. अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे कम्पनी लिमिटेड को दिया गया ₹ 69.47 करोड का ऋण शामिल है। सड़क परियोजना के साथ साथ टोल संग्रहण अधिकार रियायतग्राहियों को हस्तांतरित कर दिया गए थे और इन दोनों कम्पनियों को समाप्त करने का निर्णय पहले से ही निदेशक बोर्ड द्वारा ले लिया गया था। ऋण की वसूली की कोई संभावना नही थी।

(v) वर्ष 2013-14 के दौरान सीएएलए संयुक्त बैंक खाते पर अर्जित ब्याज का लेखाकरण न करने के कारण सीएएलए जमा पर अर्जित ब्याज और देय ₹ 4.51 करोड़ कम बताए गए थे।

(vi) सीएएलए मांग, आनुपातिक अर्थ वार्षिक वृत्ति, किया गया निर्माण कार्य और प्रमाणित, सकारात्मक अनुदान, रक्षा प्राधिकरण की भू अधिग्रहण मांग, वन विभाग को देय, बीओक्यू और अनुरक्षण कार्य में बिल के अन्तर के कारण देयता के गैर/कम प्रावधान के कारण अन्य देयताओं को ₹ 618.65 करोड़ कम बताया गया था।

(vii) मध्यस्थता और कानूनी मामलों में एनएचएआई के प्रति दावों को समविष्ट ने करने के कारण आकस्मिक देयता ₹ 128.78 करोड़ तक कम बताई गई थी।

(viii) 31 मार्च 2014 तक वाणिज्यिक बैंको द्वारा रियायतग्राहियों को दी गई आकस्मिक देयताएं ऋणों के 90% तक कम बताई गई थीं। ऋण की राशि को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार रियायत करार के समाप्ति खण्ड के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त किया गया था। विवरणों के अभाव में, लेखापरीक्षा आकस्मिक देयताओं की गणना करने में असमर्थ था।

(ix) 2011-12 के दौरान ₹ 10,000 करोड़ और वर्ष 2013-14 में ₹ 5000 करोड़ के टैक्स फ्री सिक्यूरड रीडीमेबल नान कन्टिबल बांडो को जारी करने के लिए प्रोस्पेक्टस में दिए गए 'अन्य विनियामक और सांविधिक उदघोषणाओं' के शीर्ष के अन्तर्गत 'सदस्य बोर्ड द्वारा विवरण' के अनुसार एनएचएआई ने स्वीकार किया कि:

- जनता को प्रत्येक बांड को जारी करने के अंश से प्राप्त की गई राशि को पृथक बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाना चहिए।
- प्रत्येक जारी अंश तुलन पत्र मे उचित पृथक शीर्ष के अन्तर्गत उपयोग सभी राशि, जिसके लिए राशि का उपयोग किया गया था, के सभी विवरण से उद्देश्य उदघोषित होना चाहिए।
- प्रत्येक जारी अंश से अप्रयुक्त राशि के विवरण से तुलन पत्र में उचित पृथक शीर्ष के अन्तर्गत निवेश की गई ऐसी अप्रयुक्त राशि का तरीका उदघोषित होना चाहिए।

तथापि, एनएचएआई ने उपरोक्त उल्लिखित किसी शर्त का अनुपालन नही किया था और नोट्स आफ एकाउंट्स के नोट सं. 26 (एफ) द्वारा केवल एक सामन्य उदघोषणा की कि "एनएचएआई की सारी प्राप्तियों अर्थात् मंत्रालय से प्राप्त निधियां एनएचआई कर मुक्त बांड जारी करने के माध्यम से बाजार उधारियां, धारा 54-ईसी के तहत एनएचएआई पूंजीगत लाभ कर छूट बांड, अधिशेष निधियों पर ब्याज इत्यादि को एनएचएआई निधियों में जमा किया जाता है और सभी व्यय एनएचएआई अधिनियम, 1988 के अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अनुसार इस निधि से किया जात है। एनएचएआई बांड प्राप्तियों के इस प्रकार उपयोग हेतु किसी पृथक खाते का रखरखाव नहीं किया जा रहा था।

इस प्रकार, उदघोषणा त्रुटिपूर्ण थी ओर लिस्टिंग समझौते के उल्लंघन में भी थीं।

(x) एनएचएआई अधिनियम 1988 की धारा 10 के अनुसार एक निगमित निकाय होने के नाते एनएचएआई को 'कारोबार सिद्धान्तों' पर कार्य करना था। इसके अतिरिक्त, एनएचएआई अधिनियम 1988 की धारा 23 में प्रावधान है कि एनएचएआई के लेखों का वार्षिक विवरण सीएजी के परामर्श से भारत सरकार द्वारा विधिवत निर्धारित प्रारूप में होगा। निर्धारित प्रारूपों की अनुसूची 5 (स्थायी परिसम्पत्तियां) के अनुसार एक उप-शीर्ष 'सड़क और पुल' है जिसके लिए मूल्यह्रास की निर्धारित दर 5% थी तथापि, इस उपशीर्ष को 31 मार्च 2014 तक ₹ 78,727.85 करोड़ की पूर्ण सड़क परियोजनाओं के बावजूद (₹ 8204.22 करोड़ की भूमि की लागत सहित) और इसे सीडब्लयूआईपी के तहत दर्शाया गया था (पूंजीकरण/हस्तारंण की प्रतीक्षा में पूर्ण परियोजनाओं पर व्यय) और सड़क परियोजनाओं की पूर्णता के बाद भी कोई मूल्यह्रास प्रदान नही किया गया था, जोकि अनुमोदित प्रारूप के अनुरूप नही था को प्रारंभ से खाली छोड़ दिया गया था। अनुमोदित प्रारूप में यह प्रावधान भी हैं कि लाभ और हानि खाते में अधिशेष/कमी को तुलन पत्र में अग्रेषित किया जाए तथापि, एनएचएआई वर्ष समाप्ति पर 'स्थायी परिसम्पत्तियों-सीडब्ल्यूआईपी' के तहत दर्ज चालू और पूर्ण परियोजनाओं की लाभ और हानि खाते में कमी को आबंटित कर रहा था। इसके अतिरिक्त, प्रारूप के अनुसार, राजमार्ग के अनुरक्षण हेतु सहायता अनुदान ओर उस पर व्यय की लाभ और हानि खाते में गणना की जानी चाहिए थी, तथापि, एनएचएआई उसे पूंजीगत खाते से समायोजित कर रहा था (टोल विप्रेषण में वापिस इत्यादि)। इस प्रकार, एनएचएआई 'लेखों का वार्षिक विवरण' के अनुमोदित प्रारूप के अनुसरण नही कर रहा था। परिणामत: लाभ और हानि खाते/वित्तीय विवरण से एनएचएआई की आय या व्यय का प्रकटन नही हुआ।

(xi) एनएचएआई ने लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर ₹ 451.12 करोड़ तक के लेखों में सुधार किया, जैसा नीचे विस्तृत विवरण दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	अन्त: शीर्ष		अंत: शीर्ष	
		डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
1	परिसम्पत्तियों	449.69	9.18	1.10	1.10
2	देयताएं	0.28	440.84	-	-
3.	पी एवं एल खाता	0.05	-		
	कुल जोड़	**450.02**	**450.02**	**1.10**	**1.10**

(2) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

(i) सरकारी विभागों को दिए अग्रिमो के असमायोजन के कारण ठेकेदारों और आपूर्तिकत्ताओं को दिए गए ₹ 6.25 करोड़ अधिक बताए गए। फलस्वरूप 'वसूलीयोग्य दावे' भी उसी प्रभाव तक कम बताए गए थे।

(ii) निगम ने सीएजी लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर ₹ 28.94 करोड़ तक के ड्राफ्ट लेखों में सुधार किया।

2.6 लेखाकंन मानकों से विचलन

कम्पनी अधिनियम की धारा 211 की उपधारा (3सी) और उक्त अधिनियम की धारा 210 ए की उपधारा (1) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 की 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों के प्रयोग से लेखाकंन मानक पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के साथ परामर्श से केन्द्रीय सरकार ने भारतीय लेखाकार संस्थान द्वारा यथा संस्तुत लेखाकंन मानक 1 से 7 और 9 से 29 को नियम किया।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सूचित किया कि **परिशिष्ट VI** में ब्यौराबद्ध 33 कम्पनियाँ अनिवार्य लेखाकंन मानको से विचलित हुई।

तथापि, अनपूरक लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि निम्नलिखित कम्पनियों ने अनिवार्य लेखांकन मानकों का अनुपालन नही किया था जिन्हें उनके सांविधिक लेखाकारों द्वारा दर्शाया नही गया था।

लेखांकन मानक		कम्पनी का नाम	विचलन
एएस-3	नकद प्रावह विवरण	आईएफसीआई लिमिटेड	कम्पनी ने न तो रोकड़ और रोकड़ बराबर संघटन की उदघोषणा की और न ही नीति निर्धारित की।
एएस-5	अवधि के लिए शुद्ध लाभ और	अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड	₹ 18.20 करोड़ तक की पूर्व अवधि मदे राशि की 'अन्य

	हानि, 'पूर्व अवधि मदें' और लेखाकंन नीतियों में परिवर्तन		आय' के तहत दर्शायी गई
		चंडीगढ़ शेडयूल कास्ट फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (2012-13)	डूबे और संदेहपूर्ण के लिए रिजर्व और रियायत और सामान्य अच्छी निधि के लिए रिजर्व को अपवादित मदों के रूप मे दर्शाया गया था।
		नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	फिल्म के प्रोडक्शन तथा टेलीविजन सीरियलो/अधिग्रहित कार्यक्रमों के प्रोडक्शन की लागत के सुधार के संदर्भ में लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के कारण प्रभाव को नहीं बताया गया था।
एएस-9	राजस्व मान्यता	कोकंण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड	कम्पनी ने रेलवे कार्मिको के लिए आवसीय निर्माण हेतु कोकंण रेलवे वेलफेयर संगठन को दिए ₹ 19.03 करोड़ के ऋण पर 7 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज स्वीकृत किया था। ऋण के पुन: भुगतान के नियम एवं शर्तों वाला ऋण करार अभी भी क्रियान्वित होना था।
एएस-12	सरकारी अनुदान का लेखांकन	चंडीगढ़ शेडयूल कास्ट फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (2012-13)	सरकारी अनुदानों में से की गई आय तथा व्यय को लाभ तथा हानि के विवरण के माध्यम से निकाला नहीं गया था।
		इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	उत्पादन के उद्देश्य हेतु विभिन्न पार्टियों के लिए रूफटॉप पीवी तथा छोटे सोलर पावर जेनेरेशन प्रोग्राम हेतु भारत सरकार से प्राप्त ₹ 100 करोड़ का आवंटित अनुदान लेखा बहियों के माध्यम से रूटिंग के बिना प्रोत्साहन पर आधारित था। ₹ 27.02 करोड़ की बैंक गारंटी का उपयोग भी किया

			गया तथा राशि को लेखा बहियों से बाहर रखा गया था।
एएस-13	निवेश के लिए लेखांकन	आईएफसीआई लिमिटेड	निरन्तर नकदी हानि, प्रति शेयर नकारात्मक अर्जन, बेलेंस शीट पर भारी ऋण, निवल सम्पति का क्षरण, संचित हानि, लाभांश को प्रदर्शित न करने, कोर्ट में याचिका समाप्त करने को पारित/फाइल करने तथा निवेशी कम्पनी द्वारा पुन: क्रय प्रतिबद्धता न करने /पुन: क्रय प्रतिबद्धताओं में चूको के बावजूद, चार कम्पनियो के संदर्भ में निवेश मूल्य में कमी के लिए उपयुक्तता हेतु कोई निर्धारण नहीं किया गया था।
एएस-15	कर्मचारी लाभ	नेशनल प्रोजेक्ट कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	कम्पनी ने बीमांकिक आधार पर लीव ट्रेवल छूट के लिए प्रावधान नहीं बनाया।
		रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन शिक्षित बीमांकिक से नहीं करवाया गया था।
		राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटस लिमिटेड	अवकाश नकदीकरण पर कम्पनी की लेखांकन नीति लेखांकन मानक के अनुसार नहीं थी।
एएस-18	संबंधित पार्टी उदघोषणाएं	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	संबंधित पार्टी के नामों की उदघोषणा नही की गई थी।
		हरदीकॉन लिमिटेड	संबंधित पार्टी सम्बन्ध के साथ -साथ प्रमुख प्रबंधन कार्मिको के विवरण के संदर्भ में उदघोषणाएं नहीं दी गई थी।
		इंडिया एसएमई टेकनालॉजी सर्विस लिमिटेड	संबंधित पार्टी के नामों की उदघोषणा नही की गई थी।

		राजस्थान कंसल्टेंसी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड	संबंधित पार्टी सम्बन्ध के साथ -साथ प्रमुख प्रबंधन कार्मिको के विवरण के संदर्भ में उदघोषणाएं नहीं दी गई थी।
एएस-20	प्रति शेयर आय	हरदीकॉन लिमिटेड	कम्पनी ने कम की गई ईपीएस की उदघोषणा नहीं की थी।
		राजस्थान कंसल्टेंसी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड	कम्पनी ने ईपीएस की गणना से संबंधित अपनी लेखांकन नीति की उद्घोषणा नहीं की।

2.7 प्रबन्धन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक और कॉरपोरेट इकाई के अभिशासन के उत्तरदायित्य वाले व्यक्तियों के बीच वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से व्युत्पन्न लेखापरीक्षा विषयों पर संवाद स्थापित करना है।

पीएसईज के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण आपत्तियाँ कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत सीएजी की टिप्पणियों के रूप में सूचित की गयी थी। इन टिप्पणियों के अलावा वित्तीय रिपोर्टें में अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सीएजी द्वारा पाई गई अनियमितताएँ अथवा त्रुटियाँ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रबन्धन पत्र के माध्यम से भी प्रबन्धन को संसूचित की गई थी। ये त्रुटियाँ सामान्यतया निम्नलिखित से सम्बन्धित थी-

- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं को लागू और व्याख्या करना,
- लेखापरीक्षा के कारण किये गये समंजन जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सके और
- कतिपय किसी सूचना की अपर्याप्तता अथवा अप्रकटीकरण जिस पर संबंधित पीएसई के प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

वर्ष के दौरान 113 कंपनियों को 'प्रबंधन पत्र' जारी किए।

2.8 सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की महत्वपूर्ण आपत्तियॉ

❖ सांविधिक निगम

वर्ष 2013-14 के लिए सांविधिक निगमों के लेखाओं पर उनके लेखापरीक्षा प्रनिवेदनों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियॉ नीचे दी गई हैं:

क्रम सं.	कॉरपोरेशन का नाम	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
1.	सेन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन	₹ 35.65 करोड़ की राशि की 56 पूर्ण स्वामित्व /पटटाधारी भूमि के संदर्भ में शीर्षक विलेख कॉरपोरेशन के पक्ष में निष्पादन हेतु लम्बित थे।

❖ सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां

वर्ष 2013-14 के लिए सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के लेखाओं पर उनके लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे दी गई है:

क्रम सं.	कॉरपोरेशन का नाम	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
1.	एन्ड्रू यूले एंड कॉ. लिमिटेड	वेबफील लिमिटेड के इक्विटी शेयर में निवेश के मूल्य में कमी हेतु लेखाओं में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
2.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	कम्पनी की संचित हानि इसकी निवल सम्पत्ति से 50% अधिक थी। कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि वहन नहीं की थी।
3.	ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	सेथुसमुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड में ₹ 30.00 करोड़ के दीर्घकालिन निवेशों की हानि को स्वीकार नहीं किया गया था।
4.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	• निवल उगाहीयोग्य मूल्य पर मालसूचियों के मूल्यांकन के अभाव में, मालसूची के प्रति बनाया गया प्रावधान अपर्याप्त था। • प्रतिभूत ऋणों के ₹ 2642.85 करोड़ का बकाया अप्रतिभूति के अन्दर पुन: वर्गीकरण के लिए आवश्यक है क्योंकि सभी उत्पादन इकाईयां 10-11 वर्षों से अधिक के लिए बंद/अननुरक्षित थी, चल सम्पत्ति व्यर्थ, पुरानी तथा तकनीकी रूप से अनुपयुक्त हो गई थी, दीर्घावधि तक व्यापार प्राप्य राशियां अनिश्चित, विवादित तथा बिना वसूली किए रही और मालसूची अधिकतर स्क्रैप के रूप में थी, वास्तव में संरक्षा के मूल्य को कम किया गया था।
5.	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	मालसूची में लीन अयस्क की 27.50 लाख टन की लागत के रूप में पहली बार कम्पनी द्वारा संगणित राशि की ओर ₹ 65.43 करोड़ सम्मिलित थे। यह वर्ष के दौरान कम्पनी की मालसूचियों के लेखांकन में एक परिवर्तन था।

6.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	• पैनल ब्याज, निधि की अनुपयुक्तता के कारण हानि, मजदूरी संशोधन का उत्तरदायित्व तथा पट्टे किराए के संदर्भ में जेएनपीटी के दावे जल प्रभारों के प्रति ₹ 46.76 करोड़ की राशि का वित्तीय विवरण में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। • प्रगति पर पूंजीगत कार्य में जेएनपीटी टैंक टर्मिनल परियोजना पर की गई ₹ 29.79 करोड़ की व्यय राशि सम्मिलित थी। निर्माण को छः वर्षों से अधिक के लिए निलंबित किया गया था तथा पटटे किराए को जून 2010 में पट्टा अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात लेजर जेएनपीटी द्वारा रोका गया था। परियोजना निष्क्रिय, अपूर्ण तथा अधिक समय से बिना उपयोग की थी। • यद्यपि कम्पनी के निवल मूल्य को पूर्णरूप से कम किया गया था तथापि, वित्तीय विवरण को चालू व्यवसाय की अवधारणा के आधार पर बनाया गया था। कम्पनी ने कथित अधिनियम के तहत कम्पनी को रूग्ण घोषित करने के लिए रूग्ण औद्योगिक कम्पनी के (विशेष प्रावधान अधिनियम, 1985) की धारा 15(1) के अनुसार बीआईएफआर के संदर्भ में एक आवेदन किया था।
7.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	• निवल मूल्य को पूर्ण रूप से कम किया गया था तथा कम्पनी पिछले कई वर्षों से निरन्तर महत्वपूर्ण हानियां कर रही थी। • कम्पनी को 14 अक्तूबर 1995 को रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के प्रावधानो के अनुसार बीआईएफआर को सौंपा गया था। बीआईएफआर ने दिनांक 30 जनवरी 2003 के आदेश द्वारा एसआईसीए की धारा 20(1) के तहत कम्पनी को बन्द करने के लिए अपने मत की पुष्टि की थी। बीआईएफआर के आदेश के विरूद्ध कम्पनी की एएआईएफआर को अपील को कम्पनी को बन्द करने के लिए बीआईएफआर मत की पुष्टि करते हुए रद्द किया गया था। बीआरपीएसई ने जून 2013 के दौरान आयोजित समीक्षा बैठक में पाया कि कम्पनी का बहाली प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं था। उपरोक्त के अनुसार सीसीईए ने कम्पनी के समापन के लिए आगे कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था। • कम्पनी की व्यवहार्यता संदेहास्पद थी क्योंकि वर्तमान

		उत्पादन मिश्रण तथा उत्पादन स्तर पर कम्पनी अपने द्वारा निर्मित उत्पादो के संदर्भ में भिन्नता लागत को भी वसूल करने की स्थिति में नहीं थी।
8.	इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड	कम्पनी ने वित्तीय संस्थानो तथा बैंको को देय राशि के पुन: भुगतान में चूक की थी।
9.	मद्रास फर्टीलाइजर लिमिटेड	• कम्पनी ने पोषक तत्व आधारित सहायता के तहत पीएंडके फर्टीलाइजर का उत्पादन करने के लिए अतिरिक्त मुआवजे के लिए ₹ 20.80 करोड़ राशि की गणना की तथा इसे फर्टीलाइजर विभाग से प्राप्य दर्शाया। चूंकि अतिरिक्त मुआवजे के लिए योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव वर्ष के अन्त तक फर्टीलाइजर विभाग द्वारा विचाराधीन था अत: भारत सरकार से वसूली योग्य के रूप में ₹ 68.20 करोड़ (पिछले वर्ष के संदर्भ में ₹ 47.40 करोड़ सहित) दर्शाना सही नही था। • वर्ष के अन्त में संचित हानियां निवल मूल्य के 50% से अधिक थी।
10.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	• बीएसएनएल (₹ 23640.05 मिलियन) तथा डीओटी (₹ 84202.51 मिलियन) से वसूली योग्य राशि एक दूसरे के दावे के संदर्भ में विभिन्न लम्बित विवादो के कारण सामंजस्य तथा पुष्टि के अधीन थी। • कम्पनी ने आकलित आधार पर पूंजीगत कार्यों के लिए स्थापन उपरिशीर्ष आवंटित किया।
11.	स्टील ऑथेरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	• कम्पनी ने निम्नलिखित की व्यवस्था नहीं की थी: क.) निम्नलिखित राज्य में एन्ट्री कर उत्तर प्रदेश - ₹ 91.55 करोड़ छत्तीसगढ़ - ₹ 1071.28 करोड़ उड़ीसा - ₹ 214.81 करोड़ ख) विद्युत की आपूर्ति के लिए डीवीसी द्वारा दावे - ₹ 291.76 करोड़ • राउरकेला स्टील सयंत्र के संदर्भ में, मूल्यह्रास तथा ब्याज को क्रमश: ₹ 104.92 करोड़ तथा ₹ 28.74 करोड़ तक कम किया गया था।

❖ असूचीबद्ध कम्पनियां

वर्ष 2013-14 के लिए असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों तथा मानी गई सरकारी कम्पनियों के लेखाओं पर अपनी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पियां नीचे दी गई है:

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
1.	एग्रीकलचर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, कम्पनी ने सरकारी परिपत्र संदर्भ एफ. सं. सी-13014/16/2004 इंस-I दिनांक 23 दिसम्बर 2009 के अनुसार राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनाओं को नया रूप देने की प्रस्तावना के रूप में भारत की समेकित निधि से ₹ 200 करोड़ राशि अदा की थी और कम्पनी बैंलेस शीट में इसे 'अग्रिम तथा अन्य सम्पत्तियों' के रूप में दर्शा रही थी। यह राशि उपरोक्त योजना की प्रतिधारित लाभ/आरक्षित निधि, लम्बित पुन: निर्माण के प्रति समायोजित नहीं की गई थी।
2.	अंतरिक्ष कॉरपारेशन लिमिटेड	मै. देवस मल्टीमीडिया लिमिटेड के साथ किये गये अनुबंध की शर्तों के अनुसार नियत तिथि के अंतर्गत एक पूर्णत:परिचालन सेटलाईट से पट्टे पर क्षमता प्रदान करने की इनकी विफलता के लिए यूएस $ 5 मिलियन (₹ 21.89 करोड) की विलंबित सुपुर्दगी जुर्माने के रूप में निर्णीत हर्जानेकी देयता के प्रति कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था।
3.	असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड	कम्पनी ने अपने द्वारा ली गई सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभार तंत्र के तहत देय सेवा कर नहीं बताया तथा उसका भुगतान नही किया था।
4.	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड	शीर्ष 'अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियों' के तहत दर्शायी ₹ 68.13 करोड़ की राशि जेस्सप एंड कॉ. लिमिटेड में इक्विटी शेयर के 6,81,34,428 संख्या के विनिवेश के सामान्य मूल्य को प्रस्तुत किया। इस निवेश के प्रति ₹ 18.18 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी तथा पूर्व वर्षों में भारत सरकार को वापिस की गई थी। भारत सरकार से किसी निर्देश के अभाव में, वसूली में कमी के लिए ₹ 49.95 करोड़ की परिणामी हानि के लिए लेखो में आवश्यक प्रावधान नहीं बनाए गए थे ।
5.	भारत संचार निगम लिमिटेड	• डीओटी से लिए गए वित्तीय विवरणों, परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों (अनिश्चित देनदारियों सहित) को आन्तरिक संगणनाओं पर आधारित प्रबंधन द्वारा सत्यापित तथा

		मूल्यांकित किया गया था तथा वे डीओटी से स्वामित्व, मूल्य तथा वर्गीकरण से संबंधित समेकन तथा पुष्टि के अधीन थी। • वर्तमान परिसम्पत्तियों तथा वर्तमान देयताओं की क्रमश: ₹ 1737.79 करोड़ तथा ₹ 391.09 करोड़ की राशि में सम्मिलित डीओटी से तथा डीओटी को देय राशि पुष्टि तथा समेकन के अधीन थी। • पूंजीगत कार्य -प्रगति में, कुछ सर्कलो में अन्य बातो के साथ-साथ प्रास्थिति, मूल्य तथा प्रारम्भ प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लम्बित विश्लेषण के कारण लम्बी समयावधि के लिए पूंजीकरण लम्बित बकाया सम्मिलित था। • राष्ट्रीय अधिक दूरी तथा अन्तर्राष्ट्रीय अधिक दूरी से राजस्व को पल्स के वास्तविक उपयोग के बजाय एक आकलित आधार पर पृथक किया गया इसके परिणामस्वरूप आकलित आधार पर लाइसेंस फीस की स्वीकृति हुई।
6.	ब्रहमपुत्र वेली फर्टीलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड	• कम्पनी ने ₹ 30.33 करोड़ राशि के मूल्य संवृद्धि (सहायता) दावो का पता लगाया था जिसे अधिसूचित तथा एफआईसीसी के साथ दर्ज किया जाना था। कम्पनी ने वर्ष हेतु फ्रेट सहायता दावे के लिए ₹ 9.64 करोड़ प्रदान किए थे परन्तु इसे अभी तक एफआईसीसी के साथ दर्ज नहीं किया गया। यद्यपि पिछले वर्षों में दावों के अंतिम निपटान लम्बन के रूप में इन दावो को दर्ज किया गया था तथापि, लेखो में किए इन प्रावधानों से उत्पन्न प्रभाव जांच के योग्य नहीं थे। • चूंकि वित्तीय वर्ष के अन्त पर ₹ 969.40 करोड़ की संचित हानि इसके निवल मूल्य से 50% अधिक थी, अत: कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 2 (46एए) के अनुसार रूग्ण औद्योगिक उपक्रमों की सीमा के अन्दर आती है।
7.	ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड (2012-13)	• पूर्वोत्तर वर्षों में, उपार्जित शोधन तिथि 14 जून 2003 तक ₹ 3.47 करोड़ के संचयी लाभांश की देनदारी अनुपलब्ध थी। कम्पनी ने प्रत्येक ₹ 100 के 14 प्रतिशत संचयी शोध्य अधिमान शेयरों के लिए संचित लाभांश का प्रतिदान करने और उपलब्ध कराने में लगातार चूक की थी।

		• कम्पनी ने अनुसूची VI में निर्धारित अनुसार प्रकटन आवश्यकता का अनुपालन करने में चूक की थी जिसे प्रतिदान की पूर्व तिथि से एकसाथ बताए जाने वाले किसी शोध्य प्राथमिक शेयर पूंजी के 'प्रतिदान की शर्तों' की आवश्यकता थी। • इसी प्रबंधन के अन्तर्गत सहायक कम्पनियों तथा कम्पनियों से ₹ 52.76 करोड़ के बकाया देय सहित दीर्घावधि ऋण तथा अग्रिम के लिए प्रदान की गई बकाया ₹ 0.29 करोड़ की एक राशि का ₹ 52.47 करोड़ का अन्तर कम न करने की स्थिति और/या परिसमापन के मद्देनजर उपलब्ध करवाना अपेक्षित था। • सहायक कम्पनी एल्गिन मिल्ज कंपनी लिमिटेड जिसे कम्पनी 7 सितम्बर 2007 से उपयोग कर रही थी, के परिसर के उपयोग हेतु किराये तथा अन्य व्यय के लिए कोई प्रावधान नहीं था।
8.	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	• कुछ यूनिटो की भूमि के स्वामित्व तथा पट्टा विलेख का कार्यान्वयन लम्बित था। • लम्बे समय से खनन पट्टा समाप्त हो चुका था। • बिक्री आदेशों से उत्पन्न उत्तरदायित्वों के गैर-निर्धारण तथा गैर प्रावधान आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर सरकारी भूमि के संदर्भ में राजस्व विभाग से प्रतीक्षित थे। • कम्पनी द्वारा लिए ₹ 37.00 करोड़ के आन्तरिक कॉरपोरेशन ऋण पर ब्याज 31 मार्च 2005 की कट ऑफ तिथि के पश्चात प्रदान नहीं किया गया था। • कम्पनी ने गैर-वर्तमान परिसम्पत्तियों के प्रति वर्तमान परिसम्पत्तियों के तहत बन्द यूनिटो के संदर्भ में ₹ 43.12 करोड़ की सम्पूर्ण मालसूची को इस तथ्य के बावजूद दर्शाया था कि मालसूची लम्बे समय से पड़ी थी तथा इसकी यूनिट के सामान्य परिचालन चक्र में खपत करने की सम्भावना नहीं थी क्योंकि बीआईएफआर स्वीकृति योजना के अनुसार यूनिट को बिक्री के लिए रखा गया था।
9.	सेंट्रल कोटेज इंडस्ट्रीज कापोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली के परिसर के संदर्भ में स्वामित्व विलेख क्रियान्वयन हेतु लम्बित थे।
10.	सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	113 पोतो में से 93 पोत परिचालन में नहीं थे। कम्पनी ने पोत के किसी वसूली योग्य मूल्य के उपयोग अथवा उसे प्राप्त करने में किसी मूल्य का आकलन नहीं किया था।

11.	एनर्जी एफिशिएनसी सर्विस लिमिटेड	मूल्य संवर्धित कर (डीवैट अधिनियम 2004 के तहत 5% की दर पर) को पार्टियों के साथ व्यक्तिगत करारो के अनुसार 'एलईडी आधारित सोलर लाइटिंग सिस्टम' की आपूर्ति हेतु प्रस्तुत बीजको पर डीवैट अधिनियम, 2004 की धारा 2(1) (जेडसी) के उल्लंघन में कम्पनी द्वारा प्रभारित नहीं किया गया था।
12.	हिन्दुस्तान फर्टीलाईजर कॉरपोरेशन लिमिटेड	• लेखो को भारी संचित हानियों जिसने कम्पनी की निवल सम्पति को पूर्णतया समाप्त कर दिया था, के बावजूद 'गोइंग कंर्सन' के लिए लागू सिद्धांत पर तैयार किया गया था। कम्पनी की भारी हानि काफी संदेह पैदा करती है कि क्या कम्पनी 'गोईग कंर्सन' के रूप में स्वयं को जारी रखने में सक्षम होगी तथा जैसाकि समंजन की सीमा जो कम्पनी की परिसम्पत्तियों तथा उत्तरदायित्वों के लिए आवश्यक होगी जिसे गोइंग कंर्सन की स्थिति को बनाए रखने के लिए समाप्त किया जाता है, पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। औद्योगिक तथा वित्तीय पुन: निर्माण बोर्ड को संदर्भ दिए गए थे तथा मामले का अंतिम निपटान लम्बित था। कम्पनी का परिचालन अस्तित्व भारत सरकार के निर्णय पर आधारित था। • 1121.885 एकड़ भूमि के संबंध में करार निष्पादित करना बाकी था। • कम्पनी ने ₹ 119.75 करोड़ की ऋण राशि के रूप में समाप्त पट्टे के कारण कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के दावे को स्वीकार नहीं किया था। • ब्रहमपुत्र वैली फर्टीलाईजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय कैमिकल्स फर्टीलाइजर लिमिटेड तथा फर्टीलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेन-देन के संदर्भ में बकाया को समाधित नहीं किया गया था तथा उनसे कोई पुष्टिकरण प्राप्त नहीं हुआ था।
13.	हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाईड्स लिमिटेड	• कम्पनी ने ₹ 0.50 करोड़ की अनुमानित कर देयता के बावजूद आयकर अधिनियम की धारा 115 जेबी के अनुसार न्यूनतम विकल्प कर (मैट) के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया था। • कुछ यूनिटो ने अनावश्यक/खराब स्टॉक की पहचान नही की थी तथा इसे अच्छे स्टॉक के रूप में माना था।

14.	हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड	• कम्पनी ने एनपीपीसी तथा जेपीएमएल की कुछ परियोजनाओ के लिए नागालैंड पेपर एंड पल्प कम्पनी लिमिटेड (एनपीपीसी) तथा जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड (जेपीएमएल), सहायक कम्पनियों से ₹ 21.39 करोड़ की कमीशन आय की राशि को स्वीकृत किया था क्योंकि दोनो कम्पनियों के लिए परियोजना कार्यान्वयन को भारत सरकार के निर्देशो के अनुसार कम्पनी को सौपा गया। भारत सरकार से किन्ही निर्देशों तथा एनपीपीसी और जेपीएमएल के संबंधित बोर्ड से मंजूरी के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता कि क्या सहायक कम्पनियां परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कम्पनी को किसी कमीशन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी। • कम्पनी ने 31 मार्च 2013 तक ₹ 138.94 करोड़ की निवल आस्थगित कर परिसम्पति को स्वीकृत किया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए, अतिरिक्त निवल आस्थगित कर परिसम्पत्ति को स्वीकृत नहीं किया गया था। चूंकि पर्याप्त करयोग्य आय की आभासी निश्चितता की पुष्टि नहीं की जा सकती थी अत: आज तक निवल आस्थगित कर परिसम्पत्ति स्वीकृति की प्रस्तुति पर विचार नहीं किया जा सकता । • कृषि उपकर के लिए ₹ 0.68 करोड़ की देयता हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
15.	हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	• कम्पनी की सभी विनिर्माण इकाईयो को बन्द कर दिया गया था। परिसमापन प्रक्रियाओ को पहले ही आरम्भ किया जा चुका था तथा भारत सरकार द्वारा परिसमापक को नियुक्त किया गया था। इसमें काफी नुकसान तथा नकारात्मक नकद प्रवाह थे। कम्पनी के निवल मूल्य को काफी कम किया गया था। गोइंग कन्सर्न के रूप में जारी रखने हेतु सत्व की क्षमता के विषय में काफी अनिश्चितता थी। ऐसी स्थिति में कम्पनी अपनी मौजूदगी की सामान्य अवधि में अपनी परिसम्पत्ति को रिलीज करने तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में पूर्ण तथा पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं हो सकती। • कम्पनी भारत सरकार को अपनी स्वीकृत राशि जो ₹ 20.15 करोड़ थी, के अनुसार ब्याज व्यय की भारी राशि प्रदान कर रही थी। ऐसे भारी ब्याज का भुगतान करने के लिए इनकी क्षमता के विषय में काफी अनिश्चितता थी।

16.	एचएमटी चीनार वॉचिज लिमिटेड	चूंकि कम्पनी ने अपना परिचालन बन्द कर दिया था तथा माल सूचियों को हटाया नहीं गया था, अत: नॉन मूविंग मालसूचियों के लिए प्रावधान अपर्याप्त था।
17.	एचएमटी वॉचिज लिमिटेड	• वित्तीय विवरण को यह मानते हुए तैयार किया गया था कि कम्पनी गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहेगी। कम्पनी का परिचालन इसकी संस्थापित कार्य क्षमता की तुलना में नगण्य था। कम्पनी ने परिचालन से हुई हानि वहन की थी तथा निवल पूंजी अभाव था जिसने गोइंग कन्सर्न के रूप में जारी रहने के लिए कम्पनी की क्षमता के विषय में काफी संदेह उत्पन्न किया। • अग्रिमों से सम्बंधित ₹ 8.90 करोड़ की राशि सहित अन्य वर्तमान देयताओं को बिल्डिंग को सम्मिलित करते हुए भूमि की बिक्री के प्रति प्राप्त किया गया जिसके लिए बिक्री हेतु एक करार किया गया था तथा भूमि का कब्जा क्रेता को दिया गया था। लेन-देन को बिक्री विलेख के कार्यान्वयन हेतु सम्बंधित प्राधिकरणों से स्वीकृति लम्बित बिक्री के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। • वॉच विपण डिविजन में निर्धारित परिसम्पत्तियों के सकल ब्लॉक तथा दर्ज परिसम्पत्ति के बीच ₹ 1.89 करोड़ के अन्तर को समाधित नहीं किया गया था।
18.	एचओसी चेमातुर लिमिटेड	कम्पनी को मिथाइल दीलसोचीनेट के 20,000 एमटी प्रति वर्ष के निर्माण के लिए रसायनी, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में परियोजना की स्थापना के लिए एचओसीएल तथा सीईएबी के बीच एक सयुक्त उद्यम के रूप में गठित किया गया था। इसी बीच में परियोजना व्यवहार्यता उच्चतर इनपुट लागत तथा परियोजना वित्त के अभाव में कम बिक्री मूल्य की वजह से हानि उठानी पड़ी। परियोजना व्यवहार्यता में शामिल अनिश्चितता के संदर्भ में धारण कम्पनी अर्थात एचओसीएल ने कम्पनी के समापन को चुनने का निर्णय लिया। काफी अनिश्चितता की मौजूदगी ने गोईग कसंर्न के रूप में जारी रखने के लिए कम्पनी की क्षमता के विषय में महत्वपूर्ण संदेह की भूमिका निभाई। कम्पनी व्यवसाय की सामान्य अवधि में अपनी परिसम्पत्तियों को रिलीज करने तथा अपने उत्तरदायित्वो का निर्वहन करने में सक्षम नहीं हो सकती।

19.	इंडिया ट्रेड प्रोमोशन संगठन	• वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा योजनाओं की स्वीकृति के बिना 31 मार्च 2014 तक रिलीज की गई ₹ 11.75 करोड़ की राशि के निष्पादन संबंधी भुगतान तथा वेतन के लिए (31 मार्च 2014 तक संचित ₹ 27.27 करोड़) ₹ 3.37 करोड़ का प्रावधान किया गया था। • निर्धारण वर्षों 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के लिए क्रमश: ₹ 86.06 करोड़, ₹ 36.76 करोड़ तथा ₹ 33.08 करोड़ की आयकर की परिमाणित देयता, आगामी वर्षों 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के लिए अपरिमाणित आयकर देयता तथा इन सभी निर्धारण वर्षों के लिए ब्याज तथा जुर्माने यदि कोई दो, तो उनके लिए अपरिमाणित देयताओं को प्रदान नहीं किया गया। यद्यपि, ₹ 52.29 करोड़ की राशि के प्रतिदाय तथा भुगतान की राशि को परिसम्पत्ति के रूप में दर्शाया गया था। • ₹ 26.82 करोड़ और अपरिमाणित ब्याज और शास्तियों यदि कोई हो, तो उनके लिए सेवा कर मांग एवं कारण बताओ हेतु कोई प्रावधान नहीं था।
20.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड (2011-12)	• ऋशिकेश संयंत्र में, सीआईएसएफ सहित आपूतिकर्त्ताओ/सेवा प्रदाताओं को विलम्बित भुगतान पर ब्याज, वीआरएस के तहत कर्मचारियों को भुगतान, विलम्बित प्राप्तियों पर कर्मचारियों से प्राप्य ब्याज, पोर्ट क्लीयरेंस, विलम्ब शुल्क क्लीयरिंग तथा अग्रेषण प्रभारों को नकद आधार पर संगणित किया जा रहा था जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(3) के प्रावधानो का उल्लंघन था। • कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 2004-05 से 2010-11 तक आयकर विवरणियां फाइल नहीं की थी जिस पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 बी तथा 271 एफ के तहत जुर्माना लग सकता था।
21.	इंडियन ऑयल सीआरईडीए बायोफ्यूल लिमिटेड	कम्पनी ने भूमि पर ब्याज को मूल्यांकित नहीं किया था जिसे सीआरईडीए द्वारा गैर-नकदी पूंजी आवंटन के रूप में लाया गया था। कम्पनी ने 31 मार्च 2013 तक आईओसीएल द्वारा निवेशित राशि के आधार पर सीआरईडीए को अपेक्षित शेयर पूंजी आवंटित करके 74:26 का शेयर पूंजी अनुपात बनाए रखने की नीति को अपनाया था।

22.	इस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	₹ 45.92 करोड़ की राशि के 'निर्णीत हर्जाने' की ओर देयताओं को प्रदान नही किया गया था।
23.	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन	• कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड से प्राप्त ₹ 10 करोड़ की 50 एकड़ विकसित भूमि को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया था। • कर्नाटक सरकार द्वारा बाहरी अवसंरचना के विकास हेतु कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड को रिलीज ₹ 5.85 करोड़ की राशि को दर्ज नहीं कया गया था। • 2008-09 से 2013-14 के लिए आयकर हेतु कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था।
24.	कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड	• कम्पनी के विरूद्ध दर्ज दावे तथा ₹ 1587.80 करोड़ की राशि के लिए मध्यस्थता (उद्यमपुर श्रीनगर बारामुला रेल लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में) के तहत आने वाले दावे को आकस्मिक देयता के रूप में नहीं माना गया था। • अनुमानित आधार पर आकस्मिकता हेतु ₹ 10.01 करोड़ के मध्यस्थता अवार्ड अनुदान पर कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था।
25.	मुरादाबाद टॉल रोड कम्पनी लिमिटेड	परिसम्पत्तियों (अन्य परिसम्पत्तियों के साथ मुरादाबाद बाईपास) जो पहले ही मै. मुरादाबाद बरेली एक्सप्रेसवे लिमिटेड को 4 दिसम्बर 2010 से प्रभावित सहित हस्तांतरित की गई थी, को ₹ 58.69 करोड़ मूल्य पर 1 अप्रैल 2011 को पुन: बहाल किया गया तथा पुन: बहाल परिसम्पत्ति जो 31 मार्च 2012 तक पुस्तकों में पड़ी थी, को 1 अप्रैल 2012 को शून्य मूल्य पर एनएचएआई को हस्तांतरित किया गया था इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 51.12 करोड़ की हानि हुई। यद्यपि, इसकी पुष्टि के लिए कोई सहायक सबूत, करार, पुष्टि आदि उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
26.	नेशनल बाईसिकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	सरकार द्वारा ब्याज की संगणना के लिए अपनाए गए भिन्न तंत्र के कारण सरकारी ऋणों के संदर्भ में 31 मार्च 2014 तक ₹ 108.46 करोड़ की ब्याज राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था।
27.	नेशनल सेन्टर फोर ट्रेड इन्फोरमेंशन	बैंक की राशि तथा कम्पनी की संचित निधि से किए ₹ 4.00 करोड़ के अन्य जमा को 'निवेश' के रूप में दर्शाया गया जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI के अनुसार नहीं था।

28.	नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	• केवल वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए पैनल ब्याज प्रभारित किया गया था, बोर्ड या सामान्य निकाय के पास यह दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज/नीति/प्रस्ताव नहीं था कि कम्पनी ने पूर्व वर्षों के लिए पैनल ब्याज को छोड़ दिया था भले ही इसे कभी भी प्रभारित नहीं किया गया था। यद्यपि ब्याज को पार्टी - वार संगणित किया गया था फिर भी पार्टियों को न तो अधिसूचित किया गया था न ही पार्टियों के पृथक लेखो में बनाने के लिए प्रविष्ट किया गया था। • बकाया कम्प्यूटरीकृत ऋण तथा मैन्युअल रूप से बनाए लेजर लेखो के कुल योग के बीच भिन्नता को समेकित नहीं किया गया। • कम्पनी ने अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए 30 जून 2011 तक ''एनएचएफडीसी कर्मचारी ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम'' नाम की एक पृथक ग्रेच्युटी ट्रस्ट बनाई थी। कम्पनी ने अपनी पुस्तकों में सभी योगदान तथा व्ययों को दर्ज किया था जबकि इसे ट्रस्ट की बुको में होना चाहिए था। निम्नलिखित कार्य नहीं किए गए थे: (क) ट्रस्ट को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकृत नहीं किया गया था, (ख) किसी लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की गई थी और इस कारण वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। (ग) न्यास विलेख और कंपनी द्वारा इस खण्ड पर सहमति कि ग्रेच्युटी ट्रस्ट के सभी खर्चे कंपनी द्वारा वहन किए जांएगे। आयकर प्राधिकरण में ग्रेच्युटी ट्रस्ट गैर -पंजीकरण ट्रस्ट की आय पर आयकर देयता लगायी जाएगी जो कंपनी पर अतिरिक्त भार होगा।
29.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	₹ 986.57 करोड़ राशि के चेक बैंक में जमा किए गए किन्तु बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं किया गया, ₹ 952.12 करोड़ राशि का विवरण बैंक में बिना पहचान के था और बही में नहीं दर्ज था, और ₹ 146.98 करोड़ की राशि (बही खाता अधिशेष और बैंक विवरण के बीच तथा जेम और जिनेसिस डाटाबेस के बीच कुल अंतर) का अभी भी समाधान किया जाना था।

30.	नेशनल जूट मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन लिमिटेड	इसकी सहायक बर्डस जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के लेखाओं को कंपनी के वित्तीय विवरण में शामिल नहीं किया गया था।
31.	नेशनल प्रोजेक्टस कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड	• कंपनी द्वारा किए गए कार्य बिल क्लांइट/परियोजना प्राधिकरणों द्वारा कटौती किए गए ₹ 59.98 करोड़ की सुरक्षा जमा राशि के प्रति संदेहास्पद वसूली राशि के प्रति ₹ 10.15 करोड़ का प्रावधान किया गया था, हालांकि कंपनी ने ₹ 179.17 करोड़ की उप ठेकेदार बिलों से क्लांइट द्वारा कटौती और /या वापसी की थी। अत: संदिग्ध वसूली के लिए किया गया प्रावधान आवश्यकता से अधिक था। • स्टेार/स्पेयर्स/सामान/परिसंपत्तियों जो अन्य पक्षों के पास पड़ी थी उनका न तो प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया और न ही इनको रखने वाले पक्षकारों से कोई प्रमाण पत्र लिया गया था। • कंपनी /उप-ठेकेदारों/क्लांइट/परियोजना प्राधिकरण के बीच विवाद के कारण समाप्त कर दिए गए ठेकों के मामले में कंपनी ने उप-ठेकेदार से प्राप्त दावे पर आधारित क्लांइट पर विभिन्न दावा बिल लगाया था,ऐसे बिलों की कंपनी की लेखांकन नीति (सं. 6(vi)) के अनुसार बही खाते में गणना नहीं की गई थी।
32.	नेशनल टेक्सटाईल्स कंपनी लिमिटेड	31 मार्च 2014 को दावायोग्य दर्शाए गए ₹ 92.30 करोड़ की समेकित मैट क्रेडिट हकदारी, मैट के संबंध में उपलब्ध क्रेडिट हेतु लेखांकन पर मार्गदर्शिका टिप्पणी के अनुरूप नहीं थी।
33.	न्यू मंगलोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	कंपनी ने 30 मई 2012 के बजाए 4 दिसम्बर 2013 को 34.98 किमी. सड़क की विलम्बित पूंजीकरण के कारण ₹ 7.31 करोड़ का मूल्यह्रास, ₹ 12.68 करोड़ की वित्तीय लागत और ₹ 0.20 करोड़ की प्रशासनिक लागत प्रभारित नहीं किया था जो लेखांकन मानकों से भिन्न है।
34.	नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	कंपनी ने वसूली योग्य कर ₹ 527.31 करोड़ की राशि दर्शायी थी। कंपनी ने कर देयता की मूर्तता पर किसी आय को मान्यता नहीं दी थी जबकि सीईआरसी विनियम 2004 के अनुसार यह अनुमन्य था। चूंकि कंपनी के पास वित्तीय वर्ष 2008-09 तक चालू प्रत्येक परियोजना की कर देयता और भिन्न वसूली योग्य कर का परियोजनावार डाटा नहीं है, वसूली योग्य कर की कुल राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

35.	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	• कंपनी ने फ्लाई ऐश उपयोगिता निधि पर ब्याज आय की गणना अन्य आय के अंतर्गत आय में नहीं की थी। • एनटीपीसी /एनवीवीएन द्वारा बनाई गई फ्लाई ऐश उपयोगिता निधि के लिए नीति दिशा-निर्देशों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी जबकि निधि का 3 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना द्वारा प्रावधान किया गया था।
36.	पीईसी लिमिटेड	• वित्तीय वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए भारत सरकार की सार्वजनिक वितरण योजना के अंतर्गत खाद्य तेल की आपूर्ति में घाटे की क्षतिपूर्ति के प्रति औसतन ₹ 113.95 करोड़ की वसूली योग्य दावे की वसूली पर टिप्पणी नहीं की गई। • भुगतान योग्य व्यापार में ₹ 502.27 करोड़ क्रेता का क्रेडिट शामिल था जिसके परिणामस्वरूप विविध क्रेडिटर्स को अधिक बताया गया तथा गैर-सुरक्षित ऋण को कम बताया गया।
37.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड	• चालू व्यवसाय की अवधारणा की उपयुक्तता का आधार अन्य बातों के साथ-साथ उसकी देयताओं, ऋण पुनर्निर्धारण पर पुनर्गठन को पूरा करने हेतु आवश्यक निधियों पर निर्भर था। • कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 383ए के प्रावधान में एक पूर्णकालिक कंपनी सचिव की आवश्यकता थी, जिसे नहीं किया गया। वित्तीय विवरण की प्रमाणिकता से संबंधित धारा 215 के प्रावधान को भी पूरा नहीं किया गया था।
38.	सांभर साल्टस लिमिटेड	इसने अपनी साल्टस रिफाईनरी की स्थापना पर किए गए व्यय को चालू कार्यगत पूंजी के अंतर्गत दर्शाया था जबकि उक्त रिफाइनरी 2010-11 में चालू की गई थी। फलस्वरूप मूल्यह्रास को वर्ष में प्रभारित नहीं किया गया था।
39.	स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2007-08 से संबंधित ₹ 5.80 करोड़ की अवितरित उत्पादन सब्सिडी राशि भोपाल शाखा की बहियों में पड़ी थी। इस सब्सिडी को लगभग 700 किसानों को वितरित किया जाना था, जिसमें से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक केवल 139 की पहचान की गई थी। पहचान किए गए किसानों में से कंपनी ने 23 ऐसे किसानों को सब्सिडी की राशि का भुगतान किया गया था और बाकी 116 किसानों को भुगतान नहीं किया

		गया था क्योंकि इन किसानों का बैंक विवरण कंपनी के पास नहीं था। कंपनी के पास शेष 561 किसानों से संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं थे।
40.	एसटीसीएल लिमिटेड	कंपनी का वित्तीय विवरण चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार तैयार किया गया था, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि निम्नलिखित संकेतक यह दर्शा रहे थे कि चालू व्यवसाय की अवधारणा पर वित्तीय विवरण तैयार करना उपयुक्त नहीं था। • कंपनी के अंशधारकों ने 12 सितम्बर 2013 को हुई अपनी असाधारण सामान्य बैठक में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433(ए) के तहत कंपनी बंद करने की मंजूरी दी थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 26 अगस्त 2013 के अपने पत्र में कंपनी बंद करने तथा कर्मचारियों को स्वैच्छिक निवृत्ति योजना का प्रस्ताव देने हेतु केन्द्रीय केबिनेट की मंजूरी से अवगत कराया। तदनुसार कंपनी नियमित कर्मचारियों को वीएसएस का प्रस्ताव दिया था और 26 नवम्बर 2013 को कर्नाटक उच्च न्यायालय में कंपनी बंद करने की याचिका दी थी। • यूको बैंक जिससे कंपनी ने अल्पावधि ऋण लिया था, ने भी कर्नाटक उच्च न्यायालय में कंपनी के विरूद्ध वाइंडिंग अप याचिका दायर की थी। • कंपनी घाटे में थी और नकदी हानियों से जूझ रही थी। • बैंकों के संघ (यूको बैंक को छोड़कर) ने कंपनी के विरूद्ध ऋण वसूली प्राधिकरण मे केस दाखिल किया था और वित्तीय परिसंपत्तियों की जांच और पुनर्गठन तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) तहत बैंकरों ने नोटिस भी जारी किया था। उपरोक्त के आधार पर बैंकरों ने दो अधिग्रहण नोटिस जारी किया था, एक बैदागी स्थित फैक्टरी भूमि और भवन पर और दूसरी छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश स्थित फैक्टरी भूमि और भवन पर।
41.	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	कंपनी ने ₹ 56.52 करोड़ की आयकर देयता और ₹ 24.33 करोड़ के भिन्न कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था।
42.	द हैंडीक्रॉफ्ट एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट	दिल्ली स्थित तीन संपत्तियों का अधिकार पत्र कंपनी के पक्ष में नहीं किया गया था। अधिकार पत्र के पंजीकरण पर

	कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	स्टॉम्प शुल्क की देयता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
43.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड	कंपनी के लेखे चालू व्यवसाय की अवधारणा के आधार पर बनाए गए थे। ₹411.31 करोड़ की समेकित हानि कंपनी की निवल सम्पत्ति ₹ 8.44 करोड़ से अधिक हो गयी थी जिसके कारण उस वर्ष में तथा आगामी वर्ष के दौरान कंपनी का नकद हानि हुई। अलाभकारी औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान अधिनियम), 1985 की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ओ) के अनुसार कंपनी "अलाभकारी औद्योगिक कंपनी" थी। कंपनी ने 2004-05 के दौरान बीआईएफआर को संदर्भ दिया था। इस प्रकार कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में योग्यता की निरंतरता संदिग्ध थी और बीआईएफआर/ भारत सरकार द्वारा किसी पुनर्उत्थान कार्यक्रम पर निर्भर था। इसके अतिरिक्त 27 नवम्बर 2013 के अपने निर्णय में बीआईएफआर ने अपना मत दिया कि कंपनी की अपनी वित्तीय देयताओं को पूरा करते समय एक व्यवहारिक समय के भीतर अपनी हानियों से अपने बचत को बढ़ाने की संभावना नहीं थी और तर्कसंगत रूप से और लोकहित में यह भी पाया इसे अलाभकारी औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान अधिनियम), 1985 की धारा 201 के तहत बंद कर दिया जाए।

2.9 सीएजी द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(ए) के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उठाई गई आपत्तियां।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(ए) के अंतर्गत सीएजी के पास यह निर्देश देने की शक्ति है कि धारा 619 की उप-धारा (2) के अनुसरण में नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के खातों की किस प्रकार लेखापरीक्षा की जाएगी और उसके कार्यों के निष्पादन से संबंधित किसी भी मामले में ऐसे लेखापरीक्षक को निर्देश दें।

सीएजी द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(ए) के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी पूरक रिपोर्टों में महत्वपूर्ण आपत्तियां दर्शाई थी। कई कंपनियां जिनमें सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कमियां पाई गई थीं और सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था, जिसे अनुलग्नक VII से XVI में दर्शाया गया है। कंपनियों की संख्या के साथ आपत्तियों के क्षेत्र नीचे दर्शाए गए हैं।

2015 की प्रतिवेदन संख्या 2

क्र.सं.	आपत्ति क्षेत्र	सीपीएसईज की संख्या
1.	लेखांकन नीतियां और पद्धतियां (त्रुटिपूर्ण लेखांकन नीतियां और पद्धतियां)	**8**
2.	व्यावसायिक जोखिम (व्यावसायिक जोखिम के पहचान की प्रक्रिया या तो अपर्याप्त थी या अस्तित्व में नहीं थी)	**22**
3.	लेखा और वित्तीय नियंत्रण प्रणाली (लेखा और वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है)	**59**
4.	परिसम्पत्तियां (सूची सहित) (मितव्ययी आदेश मात्रा, एबीसी विश्लेषण, भौतिक सत्यापन प्रणाली या सूची का अनुरक्षण पर्याप्त नहीं/त्रुटिपूर्ण था)	**58**
5.	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली (आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को मजबूत किये जाने की आवश्यकता है)	**40**
6.	ईडीपी लेखापरीक्षा (सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर, आईटी नीतिगत/योजना के लिए उपयुक्त सुरक्षा नीति में सुधार की आवश्यकता है)	**69**
7.	लागत प्रणाली (औपचारिक लागत नीति का अभाव या मौजूदा लागत नीति प्रभावी नहीं है)	**16**
8.	अनुबंध प्रदान करना और निष्पादन (मानीटरिंग और समायोजन को ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं के अग्रिमों को मजबूत करने की आवश्यकता है)	**17**
9.	देनदार और लेनदारों के शेष की पुष्टि (देनदार/लेनदारों के शेष की पुष्टि प्राप्ति की त्रुटिपूर्ण प्रणाली)	**22**
10.	धोखाधड़ी और जोखिम (अकुशल धोखाधड़ी जोखिम नीति/चेतावनी नीति)	**68**

2.10 वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता, प्रचालनों की प्रभावकारिता एवं दक्षता, लागू कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन और धोखाधड़ी एवं दुर्विनियोजन की जांच के सम्बन्ध में इकाई के उद्देश्य की उपलब्धि के बारे में यथोचित आश्वासन के साथ शासन और प्रबन्धन द्वारा बनायी गयी एवं कार्यान्वित की गई प्रक्रिया है।

आंतरिक नियंत्रण उपाय संगठन के आकार और जटिलता के साथ अलग-अलग हो सकते हैं। प्रभावी और दक्ष आंतरिक नियंत्रण उपाय सुनिश्चित करते हैं कि:

❖ तैयार किए गए वित्तीय विवरण सही एवं यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, और

❖ विश्वसनीयता का स्तर जिस पर सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए वित्तीय विवरणों का उपयोग कर सकते हैं।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(क) के अंतर्गत सीएजी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों से पर्याप्तता अथवा कम्पनी द्वारा अपनाये गए आंतरिक नियंत्रण उपाय और देनदारों , रोकड एवं बैंक शेषों सहित स्थायी एवं चालू परिसम्पत्तियों के प्रबन्धन, रक्षा करने और सत्यापन के क्षेत्रों में सुधार, यदि कोई है, का सुझाव देने की रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

निम्नलिखित के सम्बन्ध में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सूचित त्रुटियां संबंधित थी:

- अचल परिसम्पत्ति रजिस्टर का अनुचित रख-रखाव,
- निवेश नीति का न होना,
- पृथक सतर्कता विभाग का सृजन न होना, और
- सरकारी कम्पनियों तथा मानी गई सरकारी कम्पनियों आदि सहित में इन्वेंटरी स्टॉक होल्डिंग के लिए प्रतिमान का नियतन न करना।

विभिन्न कम्पनियों में आंतरिक नियंत्रण के अभाव से संबंधित विवरण परिशिष्ट-**XVII** में दिए गए हैं। विभिन्न कंपनियों में निहित कमियों के क्षेत्र को नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	त्रुटि का क्षेत्र	सीपीएसईज की संख्या
1	अचल परिसम्पत्तियां	7
2	आंतरिक कार्यविधियों एवं प्रचालनात्मक दक्षता	4
3	निवेश	7
4	सूची	9
5	आंतरिक लेखापरीक्षा	12
6	आईटी नीति	5
7	सतर्कता	14

अध्याय 3

निगमित अभिशासन

3.1 निगमित अभिशासन

निगमित अभिशासन पणधारी (शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकारों, सरकार एवं समुदाय) को संतुष्ट करने एवं विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के दीर्घकालिक नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के मद्देनजर एक संगठन में संरचना, प्रचालन और नियंत्रण की एक प्रणाली है। निगमित अभिशासन कम्पनियों को निर्देश देने और नियंत्रण का एक माध्यम है। यह कम्पनी और प्रबन्धन के नैतिक, नीतिपरक, मूल्यों, पैरामीटरों, आचरण एवं व्यवहार से संबंधित है। यह वह प्रणाली है जिसके द्वारा कम्पनियों का अधिक पारदर्शिता और बेहतर एवं समय से वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करते हुए शेयरधारकों और अन्य पणधारियों के सर्वोत्तम हित में प्रबन्धन द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित किया जाता है। अच्छे अभिशासन संरचनाओं के अभाव और अभिशासन सिद्धान्तों के पालन के अभाव में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रबन्धन द्वारा सौंपी गई शक्तियां के दुरूपयोग और भ्रष्टाचार में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है।

3.1.1 भारत में निगमित अभिशासन

निगमित अभिशासन के निर्देश की भारत में पहल की गई जिसमें मुख्यत: कम्पनी अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा आदेश दिए जाते हैं। जबकि कम्पनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न संशोधनों ने सम्पूर्ण देश में कम्पनियों का अभिशासन निर्देश दिए, डीपीई ने सार्वजनिक क्षेत्र में अभिशासन पहलों का माध्यम उपलब्ध कराते हुए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईज) के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए।

3.1.2 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देश

डीपीई ने निदेशक मंडल में गैर कार्यालयी निदेशकों को शामिल करने पर नवम्बर 1992 में निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। डीपीई ने निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करने के लिए नवम्बर 2001 में पुन: दिशानिर्देश जारी किए। सीपीएसईज के कार्यचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सरकार ने जून 2007 में सीपीएसईज के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश स्वरूप में स्वैच्छिक थे। इन दिशानिर्देशों को एक वर्ष की प्रयोगात्मक अवधि के लिए लागू किया गया था। इस अवधि के दौरान प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर मई, 2010 में डीपीई दिशानिर्देशों को आशोधित करने एवं पुन: जारी करने का निर्णय लिया गया था, इन दिशानिर्देशों को अनिवार्य बनाया गया और ये

सभी सीपीएसईज के लिए लागू हैं। डीपीई द्वारा जारी दिर्शानिर्देशों में निदेशक बोर्ड के संयोजन और बोर्ड समितियों के कार्य जैसे लेखापरीक्षा समिति क्षतिपूर्ति समिति, सहायक कम्पनियों का विवरण उदघोषणाएं रिपोर्टों और कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम के क्षेत्र कवर करते हैं। इस अध्याय में डीपीई दिशानिर्देशों के सभी संदर्भ मई 2010 में जारी डीपीई दिशानिदेशों से संदर्भित है जो सभी सीपीएसईज के लिए अनिवार्य हैं। डीपीई ने सभी सीपीएसईज के एमओयूज में निष्पादन मानकों के रूप में निगमित अभिशासन को भी शामिल किया है। इसके अतिरिक्त, डीपीई ने निगमित अभिशासन पर सीपीएसईज की ग्रेडिंग के लिए संशोधित दिशा-निर्देश भी जारी किया था (जुलाई 2014), जिसके अनुसार निगमित अभिशासन पर 2013-14 दिशा-निर्देशों के अनुपालन से निम्नलिखित वर्ग की कंपनियों को डीपीई ने छूट प्रदान की अर्थात (क) बन्द सीपीएसईज, (ख) परिसमापन के तहत सीपीएसईज, (ग) कारोबार न करने वाली सीपीएसईज, और (घ) एसपीवी के रूप में गठित सीपीएसई। इसके अतिरिक्त, डीपीई ने बताया (फरवरी 2015) कि निगमित अभिशासन दिशा-निर्देश से विचलन पर वित्तीय वर्ष 2015-16 से समझौता ज्ञापन के तहत सीपीएसईज के निष्पादन मूल्यांकन की नकारात्मक गणना की जाएगी।

3.1.3 निगमित अभिशासन के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान

कम्पनी अधिनियम, 1956 में निगमित अभिशासन के संबंध में कोई सीधा प्रावधान नहीं किया गया है लेकिन कम्पनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न प्रावधानों में कतिपय पद्धतियों को निर्धारित किया गया कि सख्त, निगमित अभिशासन संरचना बनाएं। कम्पनी अधिनियम, 1956 के कुछ ऐसे प्रावधानों को नीचे दिया गया है:

- धारा 217 (2एए) को दिसम्बर, 2000 से लागू किया गया जिसमें यह दर्शाते हुए बोर्ड की रिपोर्ट के भाग के रूप में निदेशक के जिम्मेवारी विवरण के लिए प्रावधान किया गया कि लागू लेखाकरण मानकों का लेखाओं के तैयार करने और उससे महत्वपूर्ण विचलनों की रिपोर्टिंग का अनुसरण किया गया कि कम्पनियों ने अपनी लेखाकरण नीतियों का सुसंगत रूप से पालन किया और सभी लेखाकरण अभिलेखों का रखरखाव कम्पनी अधिनियम, 1956 की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है।
- धारा 292ए को दिसम्बर 2000 से लागू किया गया जिसमें प्रत्येक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी, जिसकी प्रदत्त पूंजी ₹ 5 करोड़ से कम न हो, में बोर्ड की समिति के रूप में लेखापरीक्षा समिति के गठन का प्रावधान है। लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तों में वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, कम्पनी के आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबन्धन प्रणाली, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के निरीक्षण तथा अन्य कर्तव्यों के निष्पादन एवं बोर्ड द्वारा यथा निर्दिष्ट जिम्मेवारियों से संबंधित सभी मामलों को शामिल किया जाता है।
- अधिनियम की धारा 299 में कम्पनी के प्रत्येक निदेशक द्वारा उसकी या कम्पनी की ओर से किए गए ठेका अथवा करार (वर्तमान अथवा प्रस्तावित) में उसकी चिन्ता अथवा हित के स्वरूप का बोर्ड की बैठक में प्रकटीकरण करना आवश्यक है। कम्पनी को ऐसे

संव्यवहारों को अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत ठेका रजिस्टर में दर्ज करना भी अपेक्षित है।

1 अप्रैल 2014 से शुरू होने वाली अवधि के लिए नए कंपनी अधिनियम 2013 की धाराओं 134, 177 और 184 द्वारा उपरोक्त प्रावधानों को प्रस्थापित कर दिया गया है। हालांकि 31 मार्च 2014 तक की अवधि को कवर करने वाली इस रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के नियमों और प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति पर इस रिपोर्ट में टिप्पणी नहीं की गई है।

3.1.4 निगमित अभिशासन पर सेबी दिशा-निर्देश

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने परिपत्र दिनांक 21 फरवरी, 2000 के माध्यम से सूचीगत करार में एक नया खण्ड 49 शामिल किया। सूचीगत करार के खण्ड 49 में संशोधन अक्तूबर 2004 में किया गया और संशोधित खण्ड को 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था। सूचीगत करार के खण्ड 49 में निदेशक मण्डल के गठन, गैर-कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक, लेखापरीक्षा समिति के गठन और कार्य, सहायक कम्पनी की तुलना में नियंत्रक कम्पनी के निदेशक मण्डल एवं लेखापरीक्षा समिति की भूमिका, प्रकटीकरण और अन्य मामलों के मध्य अनुपालन रिपोर्टों आदि का प्रावधान है।

3.1.5 निगमित अभिशासन प्रावधानों के चयनित सीपीएसईज द्वारा अनुपालन की समीक्षा

31 मार्च 2014 को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 544 केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज) थे। इसमें 377 सरकारी कम्पनियों, 161 मानी गई सरकारी कम्पनियों और छः सांविधिक निगमों को शामिल किया गया था। अधिकांश सीपीएसईज, जिसमें महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न शामिल हैं, लाभ अर्जन कर रही हैं और वर्षों से उनके वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ है। सीपीएसईज को अधिक स्वायतता प्रदान करने के लिए सरकार की नीति के संदर्भ में निगमित अभिशासन और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। महारत्न योजना के अंतर्गत सीपीएसईज से अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों के बढ़ाने और वैश्विक पहचान बनाने की उम्मीद की जाती है जिसके लिए प्रभावी निगमित अभिशासन अत्यावश्यक है।

समीक्षा के उद्देश्य से सेबी और डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों-कंपनी अधिनियम, 1956 में निहित प्रावधानों के आधार पर एक मूल्यांकन रूपरेखा तैयार की गई थी। मूल्यांकन रूपरेखा में निहित प्रावधानों के आधार पर निदेशक मण्डल के गठन और क्रियाकलाप, बोर्ड के सदस्यों की आचरण संहिता, लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ में गठन और शर्तों आदि से संबंधित विशेष प्रश्न निहित हैं।

इस वर्ष वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, खनन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय के अधीन सीपीएसईज को उनके मूल्यांकन रूपरेखा में दर्शाए गए निगमित अभिशासन के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने हेतु चयनित किया गया है। इस तरह से बताए गए पॉच मंत्रालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन 34 कंपनियों (बंद कंपनियों और एसपीवीज को छोड़कर) को इस समीक्षा में कवर किया गया। इस समीक्षा में मार्च, 2014 को समाप्त एक वर्ष

की अवधि निहित थी। इन कंपनियों की एक सूची परिशिष्ट XVIII में दी गई है। समीक्षा के निष्कर्ष निम्नलिखित पैराग्राफों में दर्शाए गए हैं।

3.2 निदेशक मण्डल

3.2.1 सरकारी नामिती निदेशक

डीपीई दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि सरकारी निदेशकों को निदेशक मण्डल की वास्तविक क्षमता के छठवें हिस्से से अधिक नहीं होना चाहिए और बोर्ड में मात्र एक प्रतिनिधि रखना अधिमान्य है। तथापि, किसी भी मामले में, यह दो से अधिक नहीं होने चाहिए। निम्नलिखित कम्पनियों में सरकारी निदेशक दो से अधिक थे:

क्र.सं.	सीपीएसईज का नाम	सरकारी नामित निदेशकों की संख्या
1	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	8
2	दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	9
3	नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफार्मेशन	3
4	जे एण्ड के डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	6
5	औरंगाबाद टैक्सटाइल्स एण्ड अपेरल पार्क्स लिमिटेड	5
6	न्यू सिटी आफ बॉम्बे मैनुफैक्चरिंग मिल लिमिटेड	5
7	मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड	3
8	इंडिया टेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	4

3.2.2 स्वतंत्र निदेशक

बोर्ड निगमित अभिशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है। बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति को, जो कि प्रबन्धन के निर्णयों को चुनौती देने में समर्थ हो, शेयरधारकों और अन्य पणधारियों के हितों की सुरक्षा करने के साधन के रूप में व्यापक रूप से माना गया है। सूचीगत करार के खण्ड 40(I)(ए)(II) और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार जहॉ बोर्ड का अध्यक्ष गैर कार्यकारी निदेशक है वहॉ कम से कम बोर्ड के एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और यदि वह एक कार्यकारी निदेशकहै,तो कम से कम बोर्ड का आधा स्वतंत्र निदेशकों का बना हुआ होना चाहिए। नामिती निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक नहीं माना गया है।

3.2.2.1 समीक्षित कम्पनियों के निदेशक मंडल के गठन की समीक्षा से पता चला कि जे एण्ड के डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने बोर्ड में तीन स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता के प्रति केवल एक निदेशक रखा था।

3.2.2.2 निम्नलिखित सीपीएसईज में, बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे:

क्र.सं.	सीपीएसईज का नाम
1	पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड
2	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
3	जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कारपोरेशन लिमिटेड
5	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
6	झारखण्ड नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
7	रॉची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड
8	दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड
9	नेशरल सेंटर फॉर ट्रेड इंफार्मेशन
10	पीईसी लिमिटेड
11	डॉनी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड
12	इंडिया यूनाइटेड टेक्साटाईल्स मिल लिमिटेड
13	गोल्डमोहर डिजाइन एण्ड अपेल पर्क्स लिमिटेड
14	अपोलो डिजाइन एण्ड अपेरल पर्क्स लिमिटेड
15	दि कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
16	नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
17	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैनुफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
18	मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड

3.2.3 बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक

सूचीगत करार के खण्ड 49 (1) (ए) (I) और डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1 और 3.2 में प्रावधान है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल में कार्यकारी एवं गैर कार्यकारी/कार्यात्मक एवं गैर कार्यात्मक निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना चाहिए तथा गैर कार्यकारी निदेशकों को बोर्डकी क्षमता के पचास प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित कम्पनियों में गैर-कार्यकारी निदेशक कुल बोर्ड क्षमता के 50 प्रतिशत से कम थे:

क्र. सं.	सीपीएसईज का नाम	वांछित	वास्तविक
1	नेशनल जूट मैनुफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड	2	1
2	द कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3	2

3.2.4 निदेशक मंडल की बैठकें

डीपी्ई दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक बार बोर्ड की बैठक अवश्य होनी चाहिए। एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें अवश्य होनी चाहिए और दो

बैठकों के बीच तीन महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। समीक्षा के दौरान निम्नलिखित सीपीसीईज के मामलों में यह देखा गया कि अपेक्षित चार बैठकें नहीं की गई थी।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या
1	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	3
2	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड	2
3	जे एण्ड के डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	1

3.2.5 कम्पनी के कार्यकलापों और मामलों पर सूचना

डीपीई दिशानिर्देशों और सूचीगत करार के खण्ड 49 में कम्पनी के कार्यकलापों और मामलों के बारे में न्यूनतम सूचना निर्धारित की गई है, जिसे बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसी सूचना में वार्षिक परिचालन योजनाओं, बजट, त्रैमासिक परिणामों, लेखापरीक्षा समिति बैठकों के कार्यवृत्त, बोर्डस्तर से थोड़ा कम वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की भर्ती एवं पारिश्रमिक पर सूचना, संयुक्त उद्यम के ब्यौरे, विदेशी विनिमय आदि को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित कम्पनियों के बारे में बोर्ड को वांछित सूचना नहीं दी गई थी:

क्र.सं.	न्यूनतम सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई	सीपीएसई का नाम
1	कंपनी और इसके प्रचालक भागों या बिजनैस खंड़ों के तिमाही परिणाम;	तमिलनडू ट्रेड प्रोमोसन आर्गनाईजेशन
		रांची अशोक बिहार होटल कार्पोरेशन लिमिटेड
		स्पाईसिज़ ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
		दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड
2	लेखापरीक्षा समिति का कार्यवृत्त	हैंडिक्राफ्ट्स एंड हैंडलुम्स एक्सपोर्ट कार्पोरेशन
3	बोर्ड स्तर से नीचे वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और मुआवजे की सूचना सहित मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी की नियुक्ति या पदच्यूति	कर्नाटक ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाईजेशन
		दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड
		सेंट्रल काटेज इंडस्ट्रिज़ कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
		अपोलो डिजाईन एंड एपरैल पार्कस लिमिटेड
		नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड

3.2.6 जोखिम प्रबंधन

उद्यम जोखिम प्रबंधन, जोखिम का प्रबंध करने तथा ईकाई की प्रतिष्ठा की क्षति और संबंधित परिणामों को रोकने में प्रबंधन की सहायता करता है। निगमित प्रबंधन नीतियों की योजना में

जोखिम प्रबंधन के महत्व पर विचार करते हुए इसका निरीक्षण बोर्ड/प्रबंधन के मुख्य उत्तरदायित्वों में से एक होना चाहिए। डीपीई दिशानिर्देशों में जोर दिया जाता है कि बोर्ड को निगमित एवं प्रचालन उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंध प्रणाली का एकीकरण और सुधार सुनिश्चित करना चाहिए और यह भी कि जोखिम प्रबंधन को सामान्य कारोबार प्रथा के भाग के रूप में लिया गया है न कि निर्धारित समय में अलग कार्य के रूप में। निम्नलिखित कंपनियों में जोखिम पॉलिसी अभी विकसित की जानी है:

क्र.सं.	सीपीइसई का नाम
1	स्पाईसिज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
2	पांडीचेरी अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड
3	तमिलनाडू ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाईजेशन
4	मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड
5	दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड
6	इंडिया यूनाईटेड टेक्सटाईल मिल लिमिटेड
7	नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड
8	न्यू सिटी ऑफ बाम्बे मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
9	औरंगाबाद टैक्सटाईल्स एंड एपरैल पार्करन लिमिटेड

3.2.7 कार्यात्मक, गैर-कार्यात्मक, स्वतंत्र निदेशकों के पदों का भरा जाना

निदेशकों के पदों में रिक्तियों को समय से भरा जाना कम्पनी के प्रबंधन में अपेक्षित कौशल और विशेषज्ञता सुनिश्चित करता है। रिक्तियों के भरने में कोई भी विलम्ब निर्णय लेने वाली प्रक्रिया की प्रभावकारिता में बाधा डाल सकता है। निम्नलिखित कम्पनियों में 31 मार्च 2014 तक निदेशकों कार्यात्मक, गैर-कार्यात्मक, स्वतंत्र आदि के पदों को भरने में 6 माह या उससे अधिक विलम्ब हुआ था:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	पद का नाम	महीनों की सं.
1	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	निदेशक (संचालन)	8
2	नाल्को	सीएमडी	7
		निदेशक (वित्त)	8
3	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	अध्यक्ष	31 मार्च 2014 तक भरा नहीं गया
4	एमएमटीसी लिमिटेड	सीएमडी	31 मार्च 2014 तक भरा नहीं गया
5	पीईसी लिमिटेड	निदेशक	17
6	द स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	निदेशक (विपणन)	31 मार्च 2014 तक भरा नहीं गया
		निदेशक (विपणन)	31 मार्च 2014 तक भरा नहीं गया

7	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमि.	स्वतंत्र निदेशक	मई 2010 से रिक्त
8	नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	सीएमडी	जून 2013 से रिक्त

3.3 लेखापरीक्षा समिति

3.3.1 सूचीगत करार के खंड 49 (II) (ए) और डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 4 में प्रावधान है कि सदस्यों के रूप में न्यूनतम तीन निदेशकों की एक लेखापरीक्षा समिति होगी जिसके दो तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे। हालांकि, अग्रलिखित कंपनियों के संबंध में, डीपीई दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में कोई लेखापरीक्षा समिति नहीं थी:

क्र.सं.	सीपीएसई के नाम
1	स्पाईसिज़ ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
2	पीईसी लिमिटेड
3	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रिज़ कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

3.3.2 लेखापरीक्षा समिति की संरचना

निम्निलखित कम्पनियों के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य यथा अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक हैं:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड
2	औरंगाबाद टैक्सटाईल्स एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड

3.3.3 लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष

सूचीगत करार के खंड (ii) (ए) (iii) और डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होंगे। निम्नांकित मामलों में, कंपनी के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति के बावजूद लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र नहीं थे:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	औरंगाबाद टैक्सटाईल्स एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
2	जे एंड के डेवलपमेंट फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

3.3.4 निम्नलिखित कंपनियों के संबंध में सूचीगत करार खंड 49 (iii) (ए) (vi) के और डीपीई दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित कंपनी के सचिव ने लेखापरीक्षा समिति के रूप में कार्य नहीं किया:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	नेशनल जट मैक्यफैक्चरर्स कार्पोरेशन लिमिटेड
2	न्य सिटी ऑफ बाम्बे मैन्यफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
3	औरंगाबाद टैक्सटाईलस एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड

3.3.5 लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सूचीगत करार के खंड 49 (II) (बी) और डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 4.4 में अपेक्षित है कि लेखापरीक्षा समिति की वर्ष में कम से कम चार बार बैठक होनी चाहिए तथा दो बैठकों के बीच चार महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि निम्नलिखित कंपनियों के संदर्भ में वर्ष 2013-14 के दौरान चार से कम बैठकें हुई थी:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	नेशनल जूट मैक्यूफैक्चरर्स कार्पोरेशन लिमिटेड
2	इंडिया यूनाईटेड टैक्सटाईल मिल लिमिटेड
3	गोल्डमोहर डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स
4	अपोलो डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
5	हैंडिक्राफ्टस एंड हैडलूम्स एक्सपोर्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6	द कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
7	न्यू सिटी ऑफ बाम्बे मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
8	ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड
9	औरंगाबाद टैक्सटाईल्स एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
10	जे एंड के डेवलपमेंट फाईनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

3.3.6 डीपीई दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में, **इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड** की लेखापरीक्षा समिति की बैठक में, तीन बैठकों में दो स्वतंत्र निदेशकों से कम उपस्थिति थे जो अपेक्षित कोरम पूरा नहीं करते।

3.3.7 सूचीकरण करार का खंड 49 (II)(ए)(v) और डीपीई दिशा-निर्देशों का पैरा 4.1.5 दर्शाते हैं कि लेखापरीक्षा समिति ऐसे कार्यकारियों को आमंत्रित कर सकती है, यदि वह उचित समझे (और विशेषत: वित्त कार्य के अध्यक्ष) तो समिति की बैठकों में उपस्थिति होने के लिए कह सकती है। लेखापरीक्षा समिति कंपनी के किसी कार्यकारी के बिना भी बैठक कर सकती है। वित्त निदेशक, आंतरिक लेखापरीक्षा के अध्यक्ष और सांविधिक लेखापरीक्षक के एक प्रतिनिधि लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णयानुसार लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए आमंत्रितों के रूप में विशेषत: आमंत्रित कर सकते हैं। निम्नलिखित कंपनियों के संबंध में हालांकि आंतरिक लेखापरीक्षा के अध्यक्ष और सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया था, परंतु वे लेखापरीक्षा समिति की कुछ बैठकों में उपस्थित नहीं थे:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	अनुपस्थिति आमंत्रित-गण	भाग न ली गई बैठकों की संख्या
1	नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	आंतरिक लेखापरीक्षा अध्यक्ष	1
2	नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	सांविधिक लेखापरीक्षक	4

3.3.8 लेखापरीक्षा समिति द्वारा जानकारी की समीक्षा

सूचीगत करार के खंड 49 (II) (डी) और डीपीई दिशा-निर्देश लेखापरीक्षा समितियों की भूमिका को दर्शाते हैं। उनमें से एक है बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक/तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना। लेखापरीक्षा समिति को विशेषत: निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण लेखांकन नीतियों और कार्यप्रणालियों, मुख्य लेखांकन प्रविष्टियों में बदलावों, यदि कोई है; लेखापरीक्षा निष्कर्षों से प्राप्त वित्तीय विवरणों में किये गये महत्वपूर्ण समायोजन, वित्तीय विवरणों से संबंधित विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन, प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संबंधित किसी भी पार्टी लेन-देन और विशिष्टिताओं के प्रकटन की समीक्षा की जानी चाहिए। यह पाया गया कि लेखापरीक्षा समितियों ने निम्नलिखित सीपीएसईज़ के संबंध में बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा नहीं की थी:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	इंडिया यूनाईटेड टैक्सटाईल मिल लिमिटेड
2	गोल्ड मोहर डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
3	अपोलो डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड

3.3.9 आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की उपयुक्तता

डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 4.2.7 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, यदि कोई हो, जिसमें विभाग की संरचना, स्टाफिंग तथा विभाग के आधिकारिक प्रधान की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति व कवरेज की उपयुक्तता की समीक्षा करनी चाहिए। निम्नलिखित कंपनियों में, लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों की समीक्षा नहीं की:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन लिमिटेड
2	जे एंड के डेवलपमेंट फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड
3	औरंगाबाद टैक्सटाईल्स एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
4	न्यू सीटी ऑफ बाम्बे मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
5	इंडिया टूरिज्म डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

3.3.10 चेतावनी तंत्र

सूचीगत करार के खंड 49 (II) (डी) (12) तथा डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 4.2.12 में अपेक्षा की गई है कि लेखापरीक्षा समिति कम्पनी चेतावनी तंत्र के क्रियाकलापों की समीक्षा करे। सूचीगत करार में अपेक्षा की गई है कि कम्पनी कर्मचारियों द्वारा प्रबन्धन को अनीतिगत व्यवहार, वास्तविक या आशंकित धोखाधड़ी या कम्पनी की आचार संहिता अथवा नीतिगत नीतियों के बारे में सूचना देने के लिए एक तंत्र की स्थापना करे। यह तंत्र उन कर्मचारियों को, जो इस तंत्र का उपयोग करेंगे, के शोषण के प्रति पर्याप्त सुरक्षा भी उपलब्ध कराएगा तथा कुछ अपवादात्मक मामलों में लेखापरीक्षा के अध्यक्ष तक भी सीधा सम्पर्क स्थापित कराएगा। एक बार तंत्र स्थापित होने के बाद, तंत्र के होने की सूचना संगठन में समुचित रूप से प्रसारित की जाए। निम्नलिखित कम्पनियों में चेतावनी तंत्र नहीं था:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड
2	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाईल मिल लिमिटेड
3	गोल्डमोहर डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
4	अपोलो डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
5	नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड
6	न्यू सीटी ऑफ बाम्बे मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
7	ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड
8	औरंगाबाद टैक्सटाईल्स एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
9	जे एंड के डेवलेपमेंट फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

3.3.11 कुछ कंपनियों में, हालांकि चेतावनी तंत्र विधमान है, लेखापरीक्षा समिति ने इसकी समीक्षा नहीं की:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	नेशनल जूट मैन्यूफक्चरर्स कार्पोरेशन लिमिटेड
2	द जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	हिंदीस्तान कॉपर लिमिटेड

3.3.12 विशिष्ट सूचना की समीक्षा

सूचीगत करार के खंड 49 (II) (ई) और डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 4.5 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति को कंपनी की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाली सही सूचना की समीक्षा अवश्य करनी होती है। यह पाया गया कि निम्नलिखित कंपनियों के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने ऐसी कोई समीक्षा नहीं की:

क्र.सं.	लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा नहीं की गई	सीपीएसई के नाम
1	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किये गये प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमियों के पत्र	द जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2	कंपनी की लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों हेतु प्रस्ताव, यदि कोई है	नाल्को
3	लेखांकन मानकों की व्याख्या संबंधित मामले	नाल्को
4	आंतरिक नियंत्रण कमियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिर्पोटें	इंडिया यूनाइटेड टैक्सटाईल मिल लिमिटेड
		न्यू सिटी ऑफ बाम्बे मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
5	मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, पदच्यूति, क्षतिपूर्ति की शर्तें	इंडिया यूनाइटेड टैक्सटाईल मिल लिमिटेड
		नेशनल हैंडलूम डेवलपमैंट कार्पोरेशन लिमिटेड
		न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड

3.3.13 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा निष्कर्षों की समीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 सरकारी कंपनियों के लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा करने के लिए प्राधिकृत करती है। डीपीई दिशा-निर्देशों का पैरा 4.2.13 यह दर्शाता है कि लेखापरीक्षा समिति को सीएजी लेखापरीक्षा अवलोकनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करनी चाहिए। निम्नलिखित कंपनियों में, लेखापरीक्षा समितियों ने विगत वर्षों की सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लेखापरीक्षा पैरा/समीक्षाओं की समीक्षा नहीं की:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	नाल्को
2	नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड

3.3.14 लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारण की समीक्षा

डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा सं. 4.2.2 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति को निदेशक मंडल से सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारण की सिफारिश करनी चाहिए। निम्नलिखित कंपनियों के मामलों में लेखापरीक्षा समिति द्वारा लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण की सिफारिश नहीं की गई:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरर्स कार्पोरेशन लिमिटेड
2	द कॉटन कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
3	जे एंड के डेवलेपमैंट फाईनैंस कार्पोरेशन

3.3.15 सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा

सूचीगत करार के खंड 49 (II)(डी) तथा डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.2.10 में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को लेखापरीक्षा आरंभ करने से पूर्व सांविधिक लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा प्रवृत्ति तथा कार्यक्षेत्र के साथ-साथ किसी चिंतनीय विषय पर पश्च-लेखापरीक्षा चर्चा की जानी चाहिए। निम्नलिखित कंपनियों के संबंध में, लेखापरीक्षा समितियों ने ऐसी कोई चर्चा नहीं की:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	जो चर्चा नहीं की गई
1	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
2	इंडिया यूनाईटेड टैक्सटाईल मिल लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
3	गोल्डमोहर डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
4	अपोलो डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
5	हैंडिक्राफ्टस एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	दोनों पूर्व लेखापरीक्षा चर्चा और पश्च लेखापरीक्षा चर्चा
6	नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	लेखापरीक्षा पर्व चर्चा
7	द कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	पर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
8	न्यू सिटी ऑफ बाम्बे मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
9	औरंगाबाद टैक्सटाईल एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
10	जे एंड के डेवलपमेंट फाइनैंस लिमिटेड कार्पोरेशन लिमिटेड	दोनों पूर्व लेखापरीक्षा चर्चा और पश्च-लेखापरीक्षा चर्चा
11	इंडियन टूरिज्म डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा

3.4 बोर्ड के सभी सदस्यों हेतु आचार संहिता

सूचीगत करार के खंड 49 (I) (डी) और डीपीई के दिशा-निर्देशों के पैरा 3.4 में प्रावधान है कि बोर्ड के सभी सदस्यों हेतु आचार-संहिता प्रचारित की जानी चाहिए और कंपनियों की वेबसाइट पर भी दर्शाया जाए और बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक वार्षिक आधार पर संहिता का

अनुपालन सुनिश्चित करें। निम्नलिखित मामलों में, व्यापार आचरण और नैतिकता के मॉडल कोड को प्रचारित नहीं किया गया:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	तमिलनाडु ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाईजेशन
2	असम अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड
3	डोनई पोलो होटल कार्पोरेशन लिमिटेड
4	नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरर्स कार्पोरेशन लिमिटेड
5	कर्नाटक ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाईजेशन
6	रांची अशोक बिहार होटल कार्पोरेशन लिमिटेड
7	स्पाईसिज़ ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
8	इंडिया यूनाईटेड टैक्सटाईल मिल्स लिमिटेड
9	गोल्डमोहर डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
10	आपोलो डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
11	नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड
12	न्यू सिटी ऑफ बाम्बे मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
13	ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड
14	जे एंड के डेवलेपमेंट फाईनैंस लिमिटेड कार्पोरेशन लिमिटेड
15	औरगांबाद टैक्सटाईल्स एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
16	मध्य प्रदेश अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड

3.4.1 निम्नलिखित कंपनियों के संबंध में, कंपनी द्वारा आचार संहिता पर वार्षिक पुष्टि का रिकॉर्ड नहीं रखा गया:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	तमिलनाडू ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाईजेशन
2	असम अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड
3	डोनई पोलो अशोक हेाटल कार्पोरेशन लिमिटेड
4	नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरर्स कार्पोरेशन लिमिटेड
5	रांची अशोक बिहार होटल कार्पोरेशन लिमिटेड
6	कर्नाटक ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाईजेशन
7	स्पाईसिज़ ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
8	इंडिया युनाईटेड टैक्सटाईल मिल लिमिटेड
9	गोल्हमोहर डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड

10	आपोलो डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
11	न्यू सिटी ऑफ बाम्बे मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
12	जे एंड के डेवलपमेंट फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड
13	औरगांबाद टैक्सटाईल्स एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड

3.5 सहायक कंपनियां

डीपीई दिशा-निर्देशों का अध्याय 6 यह दर्शाता है कि धारित कंपनी के कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक अपनी सहायक कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशक होंगे। हालांकि निम्नलिखित धारित कंपनियों से सहायक कंपनियों के बोर्ड पर कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
2	एमएमटीसी लिमिटेड
3	द स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

3.6 निष्कर्ष:

34 चयनित सीपीएसईज़ में से 18 सीपीएसईज़ में किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई; नौ सीपीएसईज़ में अभी भी जोखिम नीति तैयार की जानी थी, आठ सीपीएसईज़ के निदेशक मंडल में रिक्तियों को भरने में छः महीनों से अधिक देरी देखी गई; 10 सीपीएसईज़ में लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकों से कम बैठकें आयोजित की गई; नौ सीपीएसईज़ में कोई चेतावनी तंत्र नहीं बनाया गया था, और 16 सीपीएसईज़ में निदेशक मंडल के लिए मॉडल आचार संहिता प्रचारित नहीं की गई थी। इस प्रकार, निगमित प्रशासन पर डीपीई दिशा निर्देशों का; जो कि आवश्यक थे, काफी सीपीएसईज़ द्वारा अनुपालन नहीं किया था।

3.7 सिफारिशें:

भारत सरकार एक प्रभावी शासनादेश के साथ डीपीई को सशक्त कर सकती है ताकि सरकार सीपीएसईज़ में निगमित प्रशासन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और उद्देश्यों को प्राप्ति की प्रोत्साहन देने के लिए एक उपयुक्त वरिष्ठ स्तर पर संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयों के ऊपर प्रभाव डालने की स्थिति में रहे।

अध्याय को मार्च 2015 में कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय को जारी किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

अध्याय 4

भारतीय लेखांकन मानकों का आईएफआरएस के साथ सम्मिलन

4.1 सम्मिलन प्रक्रिया

4.1.1 मार्च 2010 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा घोषित रोड़-मैप के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) के साथ सम्मलित किये गए। भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस), वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2011 के आरंभ से कंपनियों की निदिष्ट श्रेणी के लिए लागू किये जाने थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एमसीए, अधिसूचित रोड़- मैप के अनुसार इंड एएस को लागू करने की तिथि को अधिसूचित नहीं कर सकी। इंड एएस को लागू करने में विलंबों की चर्चा 2014 की रिपोर्ट सं. 2 के अध्याय 4 में की गई थी।

4.1.2 तत्पश्चात, फरवरी 2014 में वित्त मंत्री के बजट विवरण के अनुसार, एमसीए ने विभिन्न पणधारकों और नियंत्रकों के साथ विचार-विमर्श के बाद, 2 जनवरी 2015 को एक प्रैस नोट जारी किया जिसमें आईएफआरएस सम्मिलित इंड एएस को लागू करने के लिए बैंकिंग कंपनियों, बीमा कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों, (एनबीएफसी) के अलावा कंपनियों के लिए एक संशोधित रोड़-मैप बनाया गया। इंड एएस निम्नलखित कंपनियों पर लागू होगी:

(i) 31 मार्च 2015 की समयावधि या उसके बाद की तुलना में, 1 अप्रैल 2015 को आरंभ होने वाली अवधि या बाद की लेखांकन समयावधि हेतु वित्तीय विवरणों के लिए **स्वैच्छिक आधार,** पर;

(ii) निम्नलिखित कंपनियों के लिए 31 मार्च 2016 की समयावधि या उसके बाद की अपेक्षा 1 अप्रैल 2016 को आरंभ होने वाली अवधि या बाद हेतु **अनिवार्य आधार पर**:

(क) कंपनियां, जिनकी इक्विटी और/या ऋण प्रतिभूतियां/सूचीबद्ध की गई हैं या भारत में या भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीकरण की प्रक्रिया में है और ₹ 500 करोड़ या अधिक के निवल मूल्य वाली हैं।

(ख) उपर्युक्त (ii) क में बताई गई कंपनियों के अतिरिक्त, ₹ 500 करोड़ या अधिक के निवल मूल्य वाली कंपनियां।

(ग) उपर्युक्त (ii) (क) और (ii) (ख) में बताई गई कंपनियों की धारित, सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां।

(iii) निम्नलिखित विशिष्ट कंपनियों हेतु 31 मार्च, 2017 को समाप्त या उसके बाद की समयावधि की अपेक्षा 1 अप्रैल 2017 को आरंभ होने वाली समयावधि या बाद के लेखांकन हेतु:

(क) कंपनियां, जिनकी इक्विटी और/या ऋण प्रतिभूतियां/सूचीबद्ध की गई हैं या भारत में या भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीकरण की प्रक्रिया में है और ₹ 500 करोड़ से कम के निवल मूल्य वाली हैं।

(ख) उपर्युक्त पैराग्राफ (ii) और पैराग्राफ (iii) (क) के अंतर्गत आने वाली वे कंपनियां जो ₹ 250 करोड़ या अधिक परंतु ₹ 500 करोड़ से कम के निवल मूल्य कंपनियों के रूप में सूचीबद्ध नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (iii) (क) और (iii) (ख) में बताई गई कंपनियों की धारित, सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां।

हालांकि, कंपनियां जिनकी प्रतिभूतियां एसएमई एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्धता की प्रक्रिया में हैं, वे इंड एएस को लागू करने हेतु अपेक्षित नहीं होगी। ऐसी कंपनियां मौजूदा लेखांकन मानकों का ही अनुपालन करते रहेंगे जब तक कि वे किसी अन्य का चयन न करें।

(iv) यदि कभी कोई कंपनी इंड एएस का पालन करना चुनती है, तो आगामी वित्तीय विवरणों हेतु इंड एएस का पालन करना अपेक्षित होगा।

(v) उपर्युक्त रोड़-मैप के अंतर्गत न आने वाली कंपनियों को कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट मौजूदा लेखांकन मानकों का पालन करते रहना होगा।

4.1.3 इंड एएस की अधिसूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों के साथ वित्तीय विवरणों का अनुपालन किया जाएगा और कंपनियों की श्रेणी या श्रेणियों हेतु उपलब्ध कराये गये प्रपत्र या प्रपत्रों में होगा। इससे इंड एएस का कार्यान्वयन चरणों में किया जाएगा। इसके फलस्वरूप, एमसीए ने दिनांक 16 फरवरी 2015 की अपनी अधिसूचना द्वारा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 को अधिसूचित कर दिया और इसमें विनिर्दिष्ट 39 एंड एएस उपर्युक्त रोड़-मैप के अनुसार लागू कर दिये। इंड एएस को लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसीएएस) के साथ विचार-विमर्श कर एमसीए द्वारा तैयार किया गया।

4.2 सम्मिलन में चुनौतियां

4.2.1 चूंकि इंड एएस आवश्यक रूप से परिसम्पत्तियों और देयताओं के सही मूल्य आकलन पर आधारित है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत संबंधित मानकों का सुचारू और सुसंगत पारवहन सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस संबंध में जनवरी 2015 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ड्राफ्ट आय संगणना और प्रकटन मानकों को अंतिम रूप दिया जाना है।

4.2.2 बैंकों और बीमा क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं और चिंताओं के मद्देनजर इंड एएस के परिवर्तन हेतु प्रस्तावित रोड़-मैप से इन दो क्षेत्रों की कंपनियों को बाहर रखा गया।

4.2.3 अनुपालन की लागत, क्षमता संवर्धन, मानकों (एक उन निकायों हेतु जो परिवर्तन करते हैं और एक उनके लिए जो नहीं करते) के दो सेटों के प्रबन्ध, और अपवादों एवं 'कार्यआऊटस' के सम्मिलन के उद्देश्यों की प्राप्ति पर पड़ने वाले प्रभावों को एमसीए, डीपीई और आईसीएआई द्वारा अच्छे समन्वित तंत्र के द्वारा देखा जाना आवश्यक होगा।

अध्याय को मार्च 2015 में कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय को जारी किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

अध्याय 5

डीपीई दिशा-निर्देशों का अनुपालन

5.1 प्रस्तावना

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज़) को नीतिगत तथा समग्र दिशानिर्देश देने तथा सीपीएसईज के निष्पादन के निरन्तर मूल्यांकन को सुगम बनाने वाली केन्द्रीकृत समन्वय इकाई के रूप में काम करने के लिए सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) की स्थापना 1965 में की गई थी। मई 1990 में, बीपीई को अलग से एक पूरे विभाग का दर्जा प्रदान किया गया तथा अब इसे भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के रूप में जाना जाता है।

सीपीएसईज़ को दिशानिर्देश/निदेश जारी करने में डीपीई की भूमिका

- निर्देशों/अनुदेशों को प्रशासकीय मंत्रालयों अथवा डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ-साथ अध्यक्षीय निर्देशों के माध्यम से सीपीएसईज़ को जारी किया जाता है।
- **अध्यक्षीय निदेश** प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा सम्बद्ध सीपीएसईज़ को परिस्थितिवश आवश्यक होने पर जारी किए जाते हैं तथा **अनिवार्य** प्रकृति के होते हैं। एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से, ये निदेश किसी एक सीपीएसई से संबंधित होने पर डीपीई के परामर्श तथा यदि ये एक से अधिक सीपीएसई पर लागू हों; तो डीपीई की सहमति से जारी करने होते हैं।
- **दिशानिर्देश** प्रशासकीय मंत्रालयों अथवा डीपीई द्वारा जारी किए जा सकते हैं जैसा भी मामला हो, तथा ये **परामर्श** प्रकृति के होते हैं। सीपीएसईज़ के निदेशक मंडल के पास इन दिशानिर्देशों को लिखित में कारण देकर न अपनाने का स्वयं निर्णय करने का अधिकार होता है। इस विषय पर कारण बताते हुए बोर्ड के संकल्प डीपीई के साथ-साथ सम्बद्ध प्रशासकीय मंत्रालय दोनों को अग्रेषित करने होते हैं।

5.2 डीपीई दिशानिर्देशों का अननुपालन

डीपीई, निष्पादन सुधार और मूल्यांकन, वित्तीय प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, बोर्ड संरचना, मजदूरी निपटान, प्रशिक्षण, औद्योगिक संबंध, सतर्कता, निष्पादन मूल्यांकन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में सीपीएसईज़ से संबंधित नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करता है।

लेखापरीक्षा में ऐसे मामले देखे गए जहाँ सीपीएसईज़ ने डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया था। वर्ष 2013 एवं 2014 की सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 13 में डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले सात और चार लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किये गए थे। उनका संक्षेप में वर्णन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्र. सं..	विषय क्षेत्र	संख्या			(₹ करोड़ में)		वे मामले जिनमें उल्लंघन जारी है	(₹ करोड़ में)
		लेखापरीक्षा पैरा	सीपीए-सईज़	मामले	मौद्रिक मूल्य	अनियमित भुगतान की वसूली		लगातार अनियमित भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2013 की एआर सं. 13								
1	अर्धवेतन अवकाश और रोग अवकाश के नकदीकरण का अनियमित भुगतान	1	20	20	413.98	0.28	2	90.18
2	आकस्मिक अवकाश और वैकल्पिक अवकाश के नकदीकरण का अनियमित भुगतान	1	1	1	20.32	शून्य	शून्य	शून्य
3	निष्पादन संबंधी वेतन का अधिक भुगतान	4	4	6	489.14	शून्य **	शून्य ^^	31.04"
4	प्रोत्साहन राशि का अनियमित भुगतान	1	1	1	25.98	शून्य	शून्य	शून्य
2014 की एआर सं. 13								
5	अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन	1	5	5	138.58	1 अगस्त 2014 को यह रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई। एटीएनज़		

	अवकाश, बीमारी अवकाश के नकदीकरण का अनियमित भुगतान					अभी भी प्राप्त किये जाने बाकी हैं/प्रक्रियाधीन हैं।		
6	ईपीएफ सहयोग में नियोक्ता का भाग	1	7	7	23.42			
7	निष्पादन संबंधी वेतन का अनियमित भुगतान	1	5	5	202.95			
8	आकस्मिक अवकाश का अनियमित नकदीकरण	1	1	1	12.43			
जोड़		**11**	**44**	**46**	**1326.8**	**0.28**	**2**	**120.92**

**सेल के लिए एटीएन प्राप्त नहीं किये गये और इस संबंध में पीएफसी के एटीएन में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई।

^^ सेल के लिए एटीएन प्राप्त नहीं किये गये और इस संबंध में पीएफसी के एटीएन में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई।

" सेल के संबंध में एटीएन प्राप्त नहीं किये गये।

5.3 अननुपालन पर 'अनुवर्ती कार्यवाही' की स्थिति

लेखापरीक्षा में उपर्युक्त लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर सीपीएसईज़/प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत किये गये की गई कार्रवाई टिप्पण (एटीएनज़) की समीक्षा की गई। समीक्षा से ज्ञात हुआ कि हालांकि कुछ सीपीएसईज़ ने किये गये अनियमित भुगतान की बहुत कम प्रतिशतता में वसूली कर ली है और कुछ ने भविष्य में ऐसे अनियमित भुगतान रोक दिये, काफी सीपीएसईज़ अभी भी ऐसे अनियमित भुगतान कर रही है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

2013 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 13

5.3.1 अर्ध-वेतन अवकाश और बीमारी-अवकाश का अनियमित नकदीकरण

भारत सरकार ने सेवा निवृति पर 01 जनवरी 2006 से प्रभावी कुल 300 दिनों की उच्चतम सीमा के अंदर अर्ध-वेतन अवकाश (एचपीएल) और अर्जित-अवकाश (ईएल) के नकदीकरण को स्वीकृति दी थी, जो कि 240 दिन के अर्जित अवकाश की पहले की उच्चतम सीमा में वृद्धि की

गई थी। अप्रैल 1987[§] के डीपीई के अतिरिक्त निर्देशों जिसमें कि सीपीएसईज़ को भारत सरकार (जीओआई) द्वारा इस संदर्भ में दिए गए नीति दिशा-निर्देशों के व्यापक मानदंडों को मद्देनजर रखते हुए छुट्टी नियम तैयार करना था, डीपीई ने उन्हें उनके कर्मचारियों के लिए सेवा-निवृति पर ईएल और एचपीएल के नकदीकरण की 300 दिनों की कुल उच्चतम सीमा का पालन करने को कहा। इसके अतिरिक्त, 17 जुलाई 2012[***] के स्पष्टीकरण में, डीपीई ने दोहराया की रोगावकाश भुनाया नहीं जा सकता यद्यपि ईएल और एचपीएल भुनाए जा सकते हैं जो कि 300 दिनों की कुल सीमा तक है। लेखापरीक्षा ने यह देखा कि 20 सीपीएसईज़ द्वारा डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया था और ₹ 413.98 करोड़ की राशि का अनियमित भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि केवल तीन सीपीएसईज़ ने ₹ 0.28 करोड़ की वसूली की थी और ₹ 90.18 करोड़ का आगामी अनियमित भुगतान किया और दो सीपीएसईज़ में उल्लंघन जारी रहा।

5.3.2 आकस्मिक अवकाश और वैकल्पिक अवकाश का अनियमित नकदीकरण

डीपीई ने आकस्मिक अवकाश और वैकल्पिक अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति देने के कोई विशेष निर्देश/दिशानिर्देश जारी नहीं किए थे परंतु जहाजरानी मंत्रालय द्वारा उठाये गए मामलों के स्पष्टीकरण में डीपीई ने कहा था कि (अक्तुबर 2010[***]) आकस्मिक अवकाश को कतई भुनाया नहीं जाना चाहिए और एक कलैंडर वर्ष के अंत में समाप्त होनी चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्पष्टीकरण के जारी होने से पूर्व एक सीपीएसई में आकस्मिक अवकाश भुनाया जा चुका था और इस आधार पर ₹ 20.32 करोड़ का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि सीपीएसई ने डीपीई स्पष्टीकरण का पालन करते हुए योजना को बंद कर दिया परंतु पहले से भुगतान की गई किसी भी राशि की वसूली नहीं की गई।

5.3.3 निष्पादन संबंधित वेतन का अधिक भुगतान

क. निष्पादन संबंधित वेतन (पीआरपी) की गणना हेतु कर पूर्व लाभ (पीबीटी) के तत्वों के स्पष्टीकरण के दौरान, डीपीई ने सलाह दी (नवम्बर 2008[+++]) कि 'सीपीएसई को विशेष उद्देश्यों और मुख्य गतिविधि से लाभ होना अपेक्षित है और वो असाधारण मदों जैसे कि स्टॉक का मूल्यांकन, सरकार द्वारा माफ किया गया अनुदान, भूमि की बिक्री आदि (मदों की सूची पूर्ण नहीं है) जहाँ तक निष्पादन संबंधी वेतन का सवाल है; पीबीटी की गणना में शामिल नहीं किए जायेंगे।' लेखापरीक्षा ने देखा कि दो सीपीएसईज़ द्वारा इस सिफारिश का उल्लंघन किया गया और ₹ 49.29 करोड़ की राशि का पीआरपी के लिए अनियमित रूप से भुगतान किया गया।

---

§ ओएमसं. 2(27) 85-बीपीई(डब्ल्यूसी) दिनांक 24 अप्रैल 1987

*** ओ.एम. सं. 2(14)/2012-डीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 17 जुलाई 2012

*** ओ.एम.सं.2(32)/10-डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल-XXIII/26 अक्टूबर 2010

+++ ओ.एम.सं.2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल-XVI/26 नवबंर 2008

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि सीपीएसईज़ द्वारा अनियमित भुगतान की वसूली नहीं की गई और आगे भी ₹ 6.30 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

ख. i) 26 नवम्बर 2008 के डीपीई दिशानिर्देश ने सीपीएसईज़ द्वारा पीआरपी की दी गई स्वीकृति जो कि एक एंटरप्राईज़ से वितरणीय लाभ के 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा तक है। इन दिशानिर्देशों ने बोर्ड स्तर के नीचे कार्यकारियों के मूल वेतन का 40 से 70 प्रतिशत तक और पीआरपी के लिए बोर्ड स्तरीय कार्यकारियों के मूल वेतन का 100 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक की उच्चतम सीमा तक प्रस्तुत किया और ये किसी कंपनी के आवंटन लाभों की 5 प्रतिशत की कुल अधिकतम सीमा से अधिक था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि एक सीपीएसई द्वारा इस सिफारिश की अनदेखी की गई और पीआरपी के लिए ₹ 20.52 करोड़ की राशि का अनियमित भुगतान किया गया।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सीपीएसई ने अनियमित भुगतान की वसूली नहीं की और भविष्य में ₹ 22.53 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

ii) डीपीई ने सीपीएसईज़ को अनुलाभ और भत्ते के एक सैट (मकान किराया भत्ता और पट्टे के आवास के अलावा जो पृथ्क रूप से नियंत्रित किए गए थे) से चुनने के लिए कार्यकारियों को ''कैफेटेरिया उपागम'' का पालन करने की अनुमति (नवम्बर 2008) दी थी जो मूल वेतन के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अंतर्गत थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक सीपीएसई ने इस सिफारिश की अनदेखी की और कार्यकारियों को मकान भत्ता पर ब्याज सब्सिडी के संबंध में लाभ दिया गया जो कार्यकारियों को मूल वेतन की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत से अधिक था जो कुल ₹ 1.11 करोड़ था।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीपीएसई ने अनियमित भुगतान की वसूली नहीं की और भविष्य में ₹ 2.21 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

ग. i) दिनांक 26 नवंबर 2008 और 9 फरवरी 2009[###] के डीपीई दिशानिर्देशों में यह अपेक्षित है कि सीपीएसईज़ में मजबूत और पारदर्शी निष्पादन प्रबंधन प्रणाली हो और कार्यकारियों की ग्रेडिंग में 'बेल कर्व एप्रोच' को अपनाये ताकि 10 से 15 प्रतिशत से अधिक को सर्वश्रेष्ठ/उत्कृष्ट के रूप में न आंका जाये और 10 प्रतिशत कार्यकारियों को स्तर से नीचे के रूप में आंका जाना चाहिए और स्तर से नीचे रेटिंग प्राप्त करने वालों को कोई पीआरपी नहीं दी जाएगी। एक सीपीएसई ने दिशानिर्देशों की अवहेलना की और ₹ 87.45 करोड़ की राशि का अनियमित भुगतान किया।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सीपीएसई ने अनियमित भुगतान की वसूली नहीं की परंतु भविष्य में कोई अनियमित भुगतान नहीं किया गया।

[###] ओएम सं.-2 (70)/08-डीपीई (डब्ल्यू सी)- जीएल-IV/09 दिनांक 9 फरवरी 2009

ii) डीपीई दिशानिर्देश किसी भी कार्यकारी को देय पीआरपी हेतु एक आधारभूत सूत्र प्रदान करता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक सीपीएसई ने एक पीआरपी सूत्र अपनाया जिसमें कार्यकारी निष्पादन रेटिंग (ईपीआर) की भारिता हेतु मल्टीप्लायर डीपीई निर्धारित सीमा से अधिक था जो अनियमित था और कार्यकारियों को कुल ₹ 232.16 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सीपीएसई ने अनियमित भुगतान की वसूली नहीं की परंतु भविष्य में कोई अनियमित भुगतान नहीं किया गया।

घ. दिनांक 26 नवम्बर 2008 और 2 अप्रैल 2009[§§§] के डीपीई दिशानिर्देश यह दर्शाते हैं कि कार्यकारी को स्वीकार्य अनुलाभ और भत्ते मूल वेतन के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अंतर्गत मिलने चाहिए, सीपीएसई 'कैफ़ेटेरिया एप्रोच' भी अपना सकती है। इसके अतिरिक्त, यदि सीपीएसई ने संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की हैं, तो अनुलाभों और भत्तों की संगणना के लिए इन्हें मुद्रीकृत किया जाना चाहिए और संरचनात्मक सुविधाओं के मूल्य के अनुमान के उद्देश्य हेतु केवल आवर्ती व्यय को ध्यान में रखा जाएगा और सभी कार्यकारियों के मूल वेतन का 10 प्रतिशत और गैर-संगठित पर्यवेक्षकों के मूल वेतन की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अंदर सीमित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक सीपीएसई ने इन दिशानिर्देशों की अवहेलना की और निष्पादन संबंधी वेतन के प्रति ₹ 98.61 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

उपर्युक्त पैरा पर कोई की गई कार्यवाही टिप्पण प्राप्त नहीं हुई।

5.3.4 प्रोत्साहन का अनियमित भुगतान

डीपीई ने सभी सीपीएसईज़ को अनुदेश जारी (नवंबर 1997) किये जो दर्शाते हैं कि सीपीएसईज़ के कर्मचारी बोनस, अनुग्रह राशि, मानदेय, इनाम और विशेष प्रोत्साहन आदि नहीं दिये जायेंगे जब तक कि राशि यथावत अनुमोदित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्राधिकृत न की गई हो। इन दिशानिर्देशों का एक सीपीएसई द्वारा उल्लंघन किया गया था जिसने एक परियोजना के समापन के अवसर पर, श्रमिकों के वेतनमान और अधिकारियों के ग्रेड पर आधारित एक बार दी गई वित्तीय प्रोत्साहन का भुगतान किया परंतु न केवल वास्तविक रूप से परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों बल्कि कम्पनी के सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 25.98 करोड़ रूपये के वित्तीय प्रोत्साहन के भुगतान को एक अनुमोदित योजना के तहत शामिल नहीं किया गया और वह पीआरपी योजना के तहत कार्यकारियों को किया गया भुगतान और श्रमिकों को दी गई प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त था और अनियमित था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि सीपीएसई ने कर्मचारियों को एक-बार वित्तीय प्रोत्साहन के आधार पर किए गए अनियमित भुगतान की वसूली नहीं की।

[§§§] ओएम सं.2 (70)/2008-डीपीई (डब्ल्यूसी) -जीएल- VII/09 दिनांक 2 अप्रैल 2009

2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 13

5.3.5 अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश, रोग अवकाश का अनियमित नकदीकरण

भारत सरकार ने सेवा-निवृति पर 01, जनवरी 2006 से प्रभावी 300 दिनों की कुल सीमा के तहत अर्ध वेतन छुट्टी (एचपीएल) और अर्जित अवकाश (ईएल) का एक साथ नकदीकरण कराने की स्वीकृति दी थी जो कि 240 दिनों तक की ईएल के पहले की नकदीकरण की सीमा का विस्तारण था। डीपीई के अप्रैल 1987*** के निर्देशों जो कि सीपीएसईज़ को भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में दिए गए नीति दिशानिर्देशों के व्यापक मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए अवकाश नियम बनाने के अतिरिक्त, डीपीई ने उनको उनके कर्मचारियों को सेवा-निवृति पर इर्एल और एचपीएल के नकदीकरण की 300 दिनों की कुल सीमा का पालन करने को कहा। आगे, 17 जुलाई 2012#### के एक स्पष्टीकण में, डीपीई ने दोहराया कि रोग अवकाश को भुनाया नहीं जा सकता हांलाकि ईएल और एचपीएल को 300 दिनों की कुल सीमा के अधीन भुनाया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने यह देखा कि पॉच सीपीएसईज़ ने इन डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया और ₹ 138.58 करोड़ की राशि का अनियमित रूप से भुगतान किया।

बीएचईएल ने एटीएन में कहा कि इसने दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु उपचारात्मक कार्यवाही की है किंतु पिछली किसी भी अनियमित भुगतान अथवा वसूली की सूचना उपलब्ध नहीं है। की गई कार्यवाई (एटीएन) टिप्पण चार++++ सीपीएसईज़ से प्राप्त नहीं हुई है।

5.3.6 अवकाश नकदीकरण पर ईपीएफ सहयोग का नियोक्ता का भाग

ईपीएफ के सहांश में कर्मचारी को भुगतान योग्य मूल-वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ते (यदि कोई हो) का 12 प्रतिशत के दर से नियोजन का योगदान सम्मिलित है और इसके ही समान कर्मचारी के वेतन से वसूली जाती है। यदि कर्मचारी को भुगतान योग्य अवकाश नकदीकरण देय की राशि को मूल-वेतन का भाग माना जाये, इस मुद्दे पर बोम्बे उच्च न्यायालय (सितम्बर 1994) और कर्नाटक उच्च न्यायालय (अक्तुबर 2003) ने निर्णय दिया कि अवकाश नकदीकरण को ईपीएफ में योगदान के उद्देश्य से मूल-वेतन का हिस्सा माना जाये। माननीय उच्चतम न्यायालय (12 मार्च 2008) ने निश्चय किया कि मूल-वेतन में अवकाश नकदीकरण देय के लिए प्राप्त राशि को सम्मिलित करने का उद्देश्य कभी नहीं था और यदि कोई भुगतान पहले से किया जा चुका है तो उसे भविष्य की देयताओं में समायोजित किया जाए और इनकी कोई वापसी नहीं की जायेगी और मई 2008 में इसी संदर्भ में ईपीएफओ ने निदेश जारी किये। लेखापरीक्षा ने पाया कि सात सीपीएसईज़ ने या तो अवकाश नकदीकरण की राशि पर ईपीएफ अंशदान करना जारी रखा या भविष्य की देयताओं के प्रति पहले से दत्त राशि का समायोजन

*** ओएम सं.2(27) 85-बीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 24 अप्रैल 1987

ओएम सं.2(14)/2012-डीपीई (डीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 17 जुलाई 2012

++++ नाल्को, हुडको, गेल और आईओसीएल

नही किया। इन सीपीएसईज़ ने ₹ 23.42 करोड़ का अनियमित योगदान दिया और निर्णय आने से पहले भुगतान की गई ₹ 38.70 करोड़ की राशि को समायोजित नहीं किया।

उर्जा वित्त निगम ने पहले से ही ₹ 22.86 लाख वसूली की जाने वाली राशि में ₹ 21.18 लाख की वसूली/समायोजित कर लिया था। बीएचईएल ने निर्णय की तिथि से ही देय अवकाश राशि पर पीएफ की कटौती को रोक दिया है और पहले से ही वसूलीयोग्य राशि पर कानूनी सलाह ली है। तथापि, मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित हैं। एनएचपीसी ने कहा कि यह प्रथा अब बंद हो चुकी है परंतु वियुक्त कर्मचारियों से नियोक्ता के सहयोग की वसूली सुसंगत नहीं हो सकती। चार[§§] सीपीएसईज़ के संबंध में एटीएन प्राप्त नहीं किये गये।

5.3.7 निष्पादन संबंधी वेतन का अनियमयित भुगतान

डीपीई ने पीआरपी के भुगतान की शर्तें निर्धारित करते हुए नवम्बर 2008[****] में निर्देश जारी किये और नवम्बर 2010 और जुलाई 2011 में स्पष्टीकरण जारी किए: i) प्रत्येक सीपीएसई कार्यकारियों को ग्रेडिंग में 'बेल कर्व दृष्टिकोण' अपनाएगी ताकि 10 से 15 *प्रतिशत* से अधिक को उत्कृष्ट/श्रेष्ठ के तौर पर श्रेणीबद्धन किया जाये और 10 *प्रतिशत* कार्यकारियों को 'औसत से कम अच्छा' के तौर पर श्रेणीबद्ध किया जाना चाहिए और 'औसत से कम अच्छे' श्रेणी पाने वालों को पीआरपी नहीं दी जायेगी, ii) बोर्ड स्तर के नीचे वाले कार्यकारियों को मूल वेतन का 40 से 70 *प्रतिशत* तक की श्रेणी वाली अधिकतम सीमा स्तर और पीआरपी के लिए बोर्डस्तरीय प्रर्वतकों को मूल वेतन का 100 प्रतिशत से 200 *प्रतिशत* का प्रस्तुत करना और यह एंटरप्राइस के विवरणीय लाभ की पाँच *प्रतिशत* की कुल अधिकतम सीमा से अधिक था, iii) निष्पादन संबधी वेतन (पीआरपी) की गणना के लिए कर पूर्व लाभ (पीबीटी), विशिष्ट उद्देश्य और मुख्य गतिविधि से आना था और वह स्टॉक के मूल्यांकन, सरकार द्वारा माफ किया गया अनुदान, भूमि-बिक्री आदि (मदों की सूची पूर्ण नहीं है) जैसी असाधारण मद पीबीटी की गणना में सम्मिलित नहीं किए जाऐगें। लेखापरीक्षा ने देखाकि पाँच सीपीएसईज़ ने इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था और पीआरपी कि ओर ₹ 202.95 करोड़ की राशि का अनियमित भुगतान किया था।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त एटीएन दर्शाता है कि इसे वि.व 2014-15 के बजट प्रावधान में आधारभूत मुआवजा के भुगतान के लिए बजट प्रदान नहीं किया गया। चार[####] सीपीएसईज़ से एटीएन प्राप्त नहीं किए गए है।

5.3.8 आकस्मिक अवकाश की अनियमित देय राशि

डीपीई ने कहा कि (अक्तूबर 2010[####]) आकस्मिक अवकाश को बिल्कुल भी भुनाया नहीं जायेगा और कैलन्डर वर्ष के अंत में समाप्त हो जाऐगी। लेखापरीक्षा ने देखा कि हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स

[§§] एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, टीएचडीसी एवं एसजेवीएन

[****] ओएम सं.2(70)08-डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल-XVI/08 दिनांक 26 नवंबर 2008

[####] ओएनजीसी, मेकॉन लिमिटेड, भेल और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड

लिमिटेड ने इन दिशानिर्देशों को उल्लंघन किया था और इस संदर्भ में ₹ 12.43 करोड़ का अनियमित भुगतान भी किया गया।

हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से एटीएन प्राप्त नहीं हुआ है।

लोक उद्यम विभाग ने बताया (अप्रैल 2015) कि जबकि उपरोक्त संदर्भित मामले संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयद्वारा निपटाए जाते थे, डीपीई का अपने भाग पर सीपीएसईज़ से इस प्रभाव पर एक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के द्वारा इसके दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का एक तंत्र हैं। आगे यह बताया गया कि डीपीई ने, समझौतों ज्ञापन में परिवर्तन किए थे ताकि डीपीई दिशानिर्देशों के अननुपालन के लिए नकरात्मक अंकन समाविष्ट की जा सके।

5.4 उद्योग पर स्थाई संसदीय समिति के निदेश

उद्योग पर विभाग संबंधित स्थाई संसदीय समिति ने 19 अप्रैल 2010 को संसद के समक्ष प्रस्तुत अपनी 216वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि 'सीपीएसईज़ द्वारा कार्यान्वित नीतियों और दिशानिर्देशों को प्राप्त करने में सार्थक और प्रभावी भूमिका निभाने के लिए डीपीई को समय-समय पर इसके द्वारा निरूपित नीतियों और दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के बारे में सीपीएसईज़ से अनुपालन रिपोर्ट के बारे में पूछना चाहिए तथा इन पर 'डीपीई के वार्षिक प्रतिवेदन' में अलग से पैराग्राफ शामिल किया जाना चाहिए'।

तदनुसार, जुलाई 2010 तथा जून 2011 में, डीपीई ने प्रशासकीय मंत्रालयों, को हर वर्ष जून तक सीपीएसईज़ द्वारा उसके द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया। डीपीई ने 5 के अनिवार्य भार के साथ 2012-13 के एमाओयूज़ के एक मानदण्ड के रूप में अपने कुछ दिशानिर्देशों का अनुपालन शुरू किया। तथापि, 2013-14 के एमओयूज़ के दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुपालन आवश्यक मापदण्ड नहीं होगा, परन्तु अननुपालन की डिग्री/गंभीरता को देखते हुए टास्क फोर्स को 5 के नकारात्मक अंक की शास्ति लगाने की छूट होगी।

5.5 सिफारिश:

हालांकि यह सुनिश्चित करना संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग की जिम्मेदारी है कि उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सीपीएसईज़ द्वारा डीपीई दिशा-निर्देशों की पालना की गई है, सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में रिपोर्ट की जा रही डीपीई दिशा-निर्देशों की अक्षरश अननुपालन की लगातार और बार-बार होने वाली घटनाओं के मद्देनजर, वित्त मंत्रालय या डीपीई में एक सुदृढ़ तंत्र लागू किया जाना चाहिए ताकि अननुपालना के सभी मामलों को नियमित और महत्वपूर्ण समीक्षा द्वारा सुलझाया जाये।

ओ.एम.सं.2(32)/10-डीपीई (डब्ल्यू सी)-जीएल-XXIII/2010 दिनांक 26 अक्टूबर 2010

अध्याय 6

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

6.1 प्रस्तावना

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कम्पनी की अपने पणधारियों के हितों को पहचानते हुए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थिर ढंग से संचालन करने की प्रतिबद्धता है।

1992 में सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईज़) के सामाजिक दायित्व से संबंधित मुद्दे की जांच की और पाया कि' 'राज्य' का हिस्सा होने के नाते, प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह कल्याणकारी राज्य को दिये गये सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए उद्यम के वित्तीय स्वाथ्य के अनुरूप, सक्रिय भूमिका निभाये, कोपू की सिफारिशों के आधार पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने नवम्बर 1994 में सामान्य दिशानिर्देश जारी किये। इन दिशानिर्देशों में अपने समाज के प्रति उत्तरदायी कारोबार प्रथाओं का पता लगाने का कार्य मूलत: संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सामान्य मार्गदर्शन के तहत् संगठन के अंतर्नियमों के अनुसार निदेशक मंडल पर छोड़ दिया गया। डीपीई ने अप्रैल 2010 में सीएसआर पर नए दिशानिर्देश जारी किए जिसमें संबंधित सीपीएसईज़ से संबद्ध सामाजिक और पर्यावरण चिन्ताओं के साथ सीएसआर के अन्तर्गत कारोबार योजना को जोड़ना अपेक्षित था। दिशानिर्देशों में स्थायी विकास और सीपीएसईज़ द्वारा सीएसआर के लिए विशिष्ट अधिदेश और कार्यक्षेत्र को सीएसआर के साथ जोड़ने पर जोर दिया गया था। दिशानिर्देश सीपीएसईज की सीएसआर पहलों की कार्यकलापों, परियोजनाओं, व्यय, प्रलेखन और मानीटरिंग पर चार्टर की प्रकृति के हैं।

6.2 अप्रैल 2013 से सीएसआर पर डीपीई के दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं

डीपीई ने अपने सीएसआर दिशानिर्देशों में संशोधन किया है जोकि 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी हैं। संशोधित दिशानिर्देशों में बड़ी मात्रा में नीति सामग्री में निषेचन हुआ है। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में से कुछ का विवरण नीचे दिया है:

सीपीएसईज़ से आशा की जाती है कि वे अपने आन्तरिक परिचालनों, कार्यकलापों तथा प्रक्रियाओं के साथ ही साथ बाहरी कारको के प्रति अपने दायित्वों के संबंध में सीएसआर तथा स्थिरता के सभी पहलुओं पर एक समान संतुलित जोर देते हुए अपनी नीतियों को तैयार करें।

- सीपीएसईज़ को पिछड़े जिले के विकास के लिए आवश्यक रूप से एक बड़ी परियोजना शुरू करनी है।
- सीपीएसईज़ से हमेशा सामाजिक रूप से उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। अपने सामान्य कारोबार कार्यकलापों में भी सीपीएसईज़ को इस प्रकार कारोबार करने का प्रयास करना चाहिए जोकि व्यापार और समाज दोनों के लिए लाभप्रद हो।
- मंडल स्तरीय समिति तथा एक वरिष्ठ अधिकारी जो मंडल स्तर से नीचे एक रैंक से कम न हो, के नेतृत्व वाले द्विस्तरीय ढांचे जिसका गठन सीपीएसईज़ हेतु अनिवार्य है, से आशा की जाती है कि उसके पास इतना अधिकार एवं प्रभाव हो जो कम्पनी के सीएसआर तथा स्थिरता एजेंडा को सम्भाल सके।
- सीपीएसईज़ को वर्ष के लिए सीएसआर तथा स्थिरतापूर्ण कार्यकलापों के लिए आवंटित बजट के पूरी तरह उपयोग न कर पाने के कारण बताने होंगे।
- सीएसआर तथा स्थिरतापूर्ण परियोजनाओं की संख्या की बजाए उनके आकार तथा प्रभाव की मापक्रमणीयता पर अब अधिक जोर दिया जाना है।
- संशोधित दिशानिर्देशों में सीएसआर तथा निरंतरता बजट से कम्पनी द्वारा बनाई गई मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति कर्मचारियों को प्रदान की गई है बशर्ते सुविधाएं मूल रूप से बाहरी पणधारकों के लिए अनिवार्य रूप से बनाई गई हों, तथा सीपीएसईज़ के कर्मचारियों (आन्तरिक पणधारकों) द्वारा सुविधा का उपयोग मात्र प्रासंगिक है तथा लाभधारकों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत के कम तक सीमित रहे।

6.3 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत प्रावधानों को चयनित सीपीएसईज़ द्वारा अनुपालन की समीक्षा

31 मार्च 2014 तक, 544 केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज़) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते थे। इसमें 377 सरकारी कंपनियां, 161 मानी सरकारी कंपनियां और छः सांविधिक कार्पोरेशन शामिल हैं।

विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत ऊर्जा क्षेत्र की 39 सीपीएसईज़ को समीक्षा के अंतर्गत रखा गया। समीक्षा के उद्देश्य हेतु 12 अप्रैल 2013 को डीपीई दिशानिर्देशों में दिये गये प्रावधानों के आधार पर एक निर्धारण संरचना तैयार की गई। इस निर्धारण संरचना में योजना, वित्तीय घटक, कार्यान्वयन और निगरानी, प्रभाव आंकलन आदि से संबंधित इन दिशा-निर्देशों के विभिन्न प्रावधानों का सीपीएसईज़ द्वारा अनुपालन किये जाने से सम्बंधित प्रश्न शामिल किये गये थे।

समीक्षा के अंतर्गत मार्च 2014 को समाप्त एक वर्ष की अवधि रखी गई थी। समीक्षा के निष्कर्ष अग्रलिखित पैराग्राफों में दर्शाये गये हैं।

6.4 योजना

6.4.1 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और सतता पर डीपीई दिशा-निर्देशों का पैरा 1.4.1 यह दर्शाता है कि सभी सीपीएसईज़ निदेशक मंडल के अनुमोदन से उनकी कंपनी से सम्बन्धित सीएसआर एवं स्थायित्व नीति तथा सीएसआर संप्रेषण कार्यनीति को अवश्य अपनाना चाहिए। सीएसआर एवं स्थायित्व नीति की धारणा और भाव कंपनी की नीति में दृढ़ता से शामिल किये जाने चाहिए। नीति सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा स्थापित सीएसआर एवं स्थायित्व नीति पर दिशा-निर्देशों के समान होनी चाहिए।

हालांकि यह पाया गया कि, निम्नलिखित सीपीएसईज़ ने अभी तक कोई सीएसआर और स्थायित्व नीति तैयार नहीं की थी।

क्र.सं.	सीपीएसईज़ के नाम
1	नीपको
2	सेंट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाईन लिमिटेड
3	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजैक्टस कंपनी लिमिटेड
4	आरईसी पावर डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेड
5	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड
6	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

6.4.2 सीएसआर पर डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 1.4.2 के अनुसार, प्रत्येक योजना में प्रत्येक वर्ष के दौरान नियोजित सीएसआर स्थायित्व गतिविधियों, इस कार्य हेतु नियुक्त प्राधिकारी के उत्तरदायित्वों को परिभाषित किया जाये और ऐसी गतिविधियों का मापने योग्य और संभाव्य परिणाम और सामाजिक/पर्यावरणीय प्रभाव को भी बताया जाना चाहिए। इसके विपरीत,

निम्नलिखित सीपीएसईज़ की सीएसआर योजनाओं में ऐसी गतिविधियों के मापने योग्य और संभाव्य परिणाम तथा सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव का निर्धारण नही किया गया।

क्र.सं.	सीपीएसई के नाम
1	एनएचडीसी लिमिटेड
2	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

6.5 वित्तीय घटक

6.5.1 डीपीई दिशा-निर्देशों का पैरा 1.5.1 दर्शाता है कि प्रतिवर्ष प्रत्येक सीपीएसई अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से कंपनी की लाभप्रदता के आधार पर वर्ष के सीएसआर और स्थायित्वपूर्ण गतिविधियों/योजनाओं के लिए एक बजटीय आबंटन करेगा। विशेषत:, इसे विगत वर्ष में कंपनी का कर के बाद लाभ (पैट) द्वारा निर्धारित किया जाएगा जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

विगत वर्ष में सीपीएसई का पैट	सीएसआर और स्थायित्वपूर्ण-क्रियाओं के लिए बजटीय आबंटन की रेंज (विगत वर्ष में पैट का %)
₹ 100 करोड़ से कम	3% - 5%
₹ 100 करोड़ से ₹ 500 करोड़	2% - 3%
₹ 500 करोड़ और अधिक	1% - 2%

निम्नलिखित कंपनियों में, बजटीय आबंटन निर्धारित रेंजों से कम था:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	कमी (₹ करोड़ में)
1	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	0.59
2	इरेडा	2.83
3	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.58
4	यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.35
5	एनएचडीसी लिमिटेड	4.31

6.5.2 सीएसआर पर डीपीई दिशा-निर्देश के पैरा 1.5.5 और पैरा 1.5.6 यह दर्शाते हैं कि आपातकालीन आवश्यकताओं, जिसमें प्राकृतिक आपदा/विनाश के दौरान राहत कार्य, और प्रधान मंत्री/मुख्यमंत्री राहत कोष और/या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिये गये अंशदान शामिल है, को पूरा करने के लिए सीपीएसईज़ के सीएसआर एवं सतत्ता क्रियाओं के वार्षिक बजट का 5 प्रतिशत तक तय किया जाएगा। हालांकि, निम्नलिखित कंपनियों में वार्षिक सीएसआर बजट का 5% आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए तय नहीं किया गया है।

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	साऊथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड
2	सेंट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाईन लिमिटेड
3	ओएनजीसी
4	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
5	सर्टीफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड
6	पावर सिस्टम आपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड
7	आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड
8	महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड
9	यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
10	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11	ऑयल इंडिया लिमिटेड

6.6 कार्यान्वयन और निगरानी

6.6.1 सीएसआर पर डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 1.6.13 से 1.6.16 यह दर्शाते हैं कि सीएसआर और स्थायित्व गतिविधियॉ का कार्यान्वयन और निगरानी के लिए अध्यक्ष/प्रबंधक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली बोर्ड स्तरीय समिति और बोर्ड स्तर से नीचे कर्मचारियों के एक समूह जिसे गठित किया गया हो, जो बोर्ड स्तर से एक रैंक से अधिक नीचे न हो; की अध्यक्षता वाली समिति के रूप में संगठन में द्विस्तरीय संगठनात्मक संरचना को गठित करके निरीक्षण किया जाना चाहिए।

निम्नलिखित कंपनियों में, डीपीई दिशा-निर्देशों द्वारा आदेशित सीएसआर एजेंडा को परिचालित करने के लिए कोई द्विस्तरीय संगठनात्मक संरचना नहीं है।

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	गेल गैस लिमिटेड
2	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड

इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि, निम्नलिखित सीपीएसईज़ में बोर्ड स्तर सीएसआर समिति अभी तक गठित नहीं की गई है।

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	गेल गैस लिमिटेड
2	एनटीपीसी इलैक्ट्रिसीटी सप्लाई कंपनी

निम्नलिखित कंपनियों में, सीएसआर समिति के बोर्ड पर कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बामर लारी एंड कं. लिमिटेड
2	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
3	नेथवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन

6.6.2 डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 1.6.11 दर्शाता है कि सीएसआर और स्थायित्वपूर्ण विकास गतिविधियों के निर्धारित मुख्य निष्पादन संकेतकों की सहायता से समय-समय पर निगरानी रखनी चाहिए। यह देखा गया कि निम्नलिखित कंपनियों में, मुख्य निष्पादन संकेतकों की सहायता से समय-समय पर सीएसआर परियोजना की निगरानी की गई:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	वैस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड
2	महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड
3	आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड

6.6.3 डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 1.67 के अनुसार, जहाँ योजनाबद्ध सीएसआर और स्थायित्तव गतिविधियाँ व्यापार नीति के साथ गहरे रूप से जुड़ी हैं और कंपनी इसे करने में पूर्ण निपुणता रखती है, तो कोई सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी अपनी श्रम शक्ति और संसाधनों के साथ सीएसआर प्रक्रिया को कार्यान्वित कर सकती है यदि वह कंपनी ऐसी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अपनी संगठनात्मक क्षमता में विश्वास रखती है। ऐसे मामले में, यह उपयुक्त है कि निगरानी किसी बाह्य एजेंसी द्वारा की जाये भले ही सीपीएसई का स्टाफ इसमें सहयोगी हो। ऐसे किसी मामले में, निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाये रखने के लिए मूल्यांकन सदैव किसी स्वतंत्र बाह्य एजेंसी को दिया जाए।

निम्नलिखित कंपनियों में, कंपनियों द्वारा कार्यान्वित इन-हाऊस सीएसआर परियोजनाओं की निगरानी और अंतिम मूल्यांकन स्वतंत्र बाह्य एजेंसी को नहीं दिया गया।

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	सैट्रल माईन प्लानिंग एंड डिज़ाईन लिमिटेड
2	आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड
3	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड
5	साऊथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड
6	महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड
7	सर्टीफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशन लिमिटेड

6.6.4 डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 1.6.12 के अनुसार, बाह्य एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की गई परियोजनाओं की सफलता के लिए उनकी निगरानी बेहद अहम है। इसलिए सीपीएसईज़ को इस कार्य के लिए विशेष रूप से निर्धारित अपने अधिकारियों की टीम के द्वारा इसे अवश्य ही निष्पादित करना चाहिए। किसी परियोजना को लागू करने हेतु नियुक्त बाह्य एजेंसी, यदि कोई है तो, को निगरानी और मूल्यांकन के कार्य के लिए न समझा जाये ताकि कार्य में निहित हितों में टकराव की संभावना से बचा जा सके।

हालॉकि, आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के संबंध में, सीएसआर परियोजनाएं बाह्य एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, निगरानी सीपीएसई के कर्मचारियों द्वारा निष्पादित नहीं की जाती।

6.7 प्रभाव आकलन

किसी सीएसआर और सतत गतिविधि/परियोजना की सफलता का अंतिम टैस्ट उनका सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणीय प्रभाव होता है। ऐसी कोई भी गतिविधि समाज या वातावरण पर कुछ संभावित प्रभाव के साथ योजित और कार्यान्वित की जाती है। इस पृष्ठभूमि में, सीएसआर पर डीपीई दिशा-निर्देशों का पैरा 1.8 यह दर्शाता है कि, पूर्ण की गई गतिविधि/परियोजना इसकी सफलता या असफलता की सीमा से आंकी जानी चाहिए।

यह देखा गया कि निम्नलिखित कंपनियों ने पूर्ण सीएसआर परियोजना/ गतिविधियों के प्रभाव के आकलन के अध्ययन नहीं किये गये।

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	महानदी कोल फिल्ड्स लिमिटेड
2	एनएचपीसी लिमिटेड
3	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
4	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5	साऊथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड
6	सेट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड

6.8 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी नया कंपनी अधिनियम, 2013 और सीएसआर दिशानिर्देश

भारत सरकार ने अगस्त 2013 में कंपनी अधिनियम, 2013 को अधिनियमित किया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित है। यह कंपनियों के लिए निवल लागत, टर्नओवर और निवल लाभ पर आधारित विशेष मानदंड दर्शाता है जो सीएसआर प्रक्रियाओं को करने के लिए अपेक्षित हैं, इसके साथ-साथ, सीपीएसईज़ के निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर प्रक्रियाओं के व्यापक साधनों का चयन, कार्यान्वयन और निगरानी को स्पष्ट करता है। वे प्रक्रियाएं जिन्हें सीपीएसईज़ द्वारा अपनी सीएसआर नीतियों में शामिल किया जा सकता है, को अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध किया गया है।

अधिनियम के सेक्शन 135 के प्रावधानों और अधिनियम की अनुसूची VII सीपीएसईज़ सहित सभी कंपनियों पर लागू होती है।

कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सीएसआर नियमावली तैयार की है और 27 फरवरी 2014 तक उसे जारी कर दिया हैं। सीएसआर नियमावली 1 अप्रैल 2014 से सभी सीपीएसईज़ सहित सभी कंपनियों पर लागू होंगी। अधिनियम के सीएसआर प्रावधानों और सीएसआर नियमावली के साथ-साथ, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सीएसआर और सतता पर दिशा निदेश भी तैयार किये हैं, (आगे, 'दिशा-निर्देशों' के रूप में संदर्भित किया गया है) जो कि सीपीएसईज़ पर लागू होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि ये दिशानिर्देश न तो अधिनियम, या अधिनियम की अनुसची VII, या सीएसआर नियमावली के किसी प्रावधान का उल्लंघन या अवहेलना नहीं करते बल्कि केवल उनकी प्रतिपूर्ति करते हैं। दिशा-निर्देश पहल या प्रयत्न करने की प्रकृति वाले हैं जिसकी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में सीपीएसईज़ से मुख्य पणधारक आशा रखते हैं।

अध्याय को मार्च 2015 में कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय को जारी किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।

पी. मुखर्जी

(प्रसेनजीत मुखर्जी)
उपनियंत्रक महालेखापरीक्षक
एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली
दिनांक : 22 अप्रैल APR 2015

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक : 22 अप्रैल 2015

परिशिष्ट

परिशिष्ट - I

(पैरा सं. 1.1.3 देखें)

नई/बंद की गई सरकारी कंपनियों/मानी गई सरकारी कंपनियों की सूची

क्रम सं.	कम्पनी का नाम
नई सरकारी कंपनियॉ	
1	अंगुल सुकिंदा रेलवे, लिमिटेड
2	बलभगढ़-जीएन ट्रांसमिशन लिमिटेड
3	चेयूर इनफ्रा लिमिटेड
4	क्रिएटिव म्युजियम डिजाइनर्स
5	गोवा एन्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड
6	हेल्थ अन्शोरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड
7	हेमिस्फेयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड
8	एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटटेड
9	इन्डोकेट प्रा. लि.
10	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
11	एनआरएसएस XXIX ट्रांसमिशन लिमिटेड
12	एनआरएसएस XXXI(ए) ट्रांसमिशन लिमिटेड
13	एनआरएसएस XXXI(बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड
14	ओडिशा इन्फ्रा पावर लिमिटेड
15	ऑयल इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड
16	पंजाब लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
17	रेलवे उर्जा प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड
18	सेल बंगाल एलॉय कस्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
19	सिडकुल कान्कर इन्फ्रा कम्पनी लिमिटेड
20	एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड
21	टांडा ट्रांसमिशन लिमिटेड
22	टीसीआईएल एलटीआरएल लिमिटेड
नई मानी गई सरकारी कम्पनी	
1	एग्री बिजनस फाइनेंस (एपी) लिमिटेड
2	फलेवरीट स्पाइसेस ट्रेडिंग लिमिटेड
3	राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड
बंद की गई सरकारी कम्पनी	
1	भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसल (भेल के साथ विलय)
2	एनटीपीसी हाइड्रो लिमिटेड (एनटीपीसी के साथ विलय)
3	भारत चमड़ा निगम लिमिटेड

परिशिष्ट-I (जारी)

क्रम सं.	कम्पनी का नाम
नई मानी गई सरकारी कम्पनी	
1	क्रेडिट विश्लेषण और शोध लिमिटेड
2	मिटकोन कन्सल्टेन्सी एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रा.लिमिटेड
3	पीएनबी जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड

परिशिष्ट-II

(पैरा सं. 1.1.3 एवं 2.3.2 देखें)

बकाया लेखे या परिसमापनाधीन कम्पनी

क. सरकारी कम्पनीयां और निगम

क्रम सं./ मंत्रालय/ विभाग का नाम	साक्षेउ का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखे 30 सितम्बर 2014 तक प्राप्त नहीं हुए
सांविधिक निगम		
1.	एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया	2013-14
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां		
जैव प्रौद्योगिकी		
1.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2013-14
**2.	बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड	परिसमापनाधीन
3.	बिहार ड्रग्स एण्ड आग्रनेनिक केमिकल्स लिमिटेड	2012-13 से 2013-14
**4.	आईडीपीएल तमिलनाडु (प्रा.) लिमिटेड	2006-07 से 2013-14
5.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2012-13 से 2013-14
**6.	महाराष्ट्र एन्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**7.	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	अप्रचलित
**8.	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
#9	राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2013-14
**10	स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**11.	दि साउदर्न पेस्टीसाईड कारपोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
नागर विमानन		
12.	एयर इंडिया एयर ट्रंसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2013-14
13.	एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड	2013-14
14.	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज कम्पनी लिमिटेड	2013-14
15.	एयर इंडिया लिमिटेड	2013-14
16.	एयरलाइन्स एलायड सर्विसेज लिमिटेड	2013-14
#17	होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2013-14
18	पवन हंस हेलिकाप्टर्स लिमिटेड	2013-14
19	वायुदूत लिमिटेड	2013-14
वाणिज्य एवं उद्योग		
#20	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड	2013-14
**21	टी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन

परिशिष्ट-II क (जारी)

क्रम सं./ मंत्रालय/ विभाग का नाम	साक्षेउ का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखे 30 सितम्बर 2014 तक प्राप्त नहीं हुए
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी		
**22	इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एवं टेकनोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**23	हेमिस्फीयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड	2013-14
वित्त		
24	इन्डस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन (2012-13 से 2013-14)
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम		
**25	भारत ब्रेक्स एंव वाल्वस लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**26	भारत ओपथालमिक ग्लास लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**27	भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**28	भारत यंत्र निगम लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**29	साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
#30	हिन्दुस्थान न्यूजप्रिन्ट लिमिटेड	2013-14
**31	मांडला नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**32	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**33	रिहबिलीटेशन इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**34	रेराल बर्न लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**35	टेन्नरी एंड फूटवेयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**36	नेशनल इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
37	त्रिवेणी स्ट्रक्चरलस लिमिटेड	2013-14
38	टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	2012-13, 2013-14
**39	वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड	परिसमापनाधीन
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस		
40	बेको लॉरी लिमिटेड	2013-14
रेलवे		
**41	पंजाब लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	2013-14
सड़क परिवहन एवं राजर्मा		
**42	इडियन रोड कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन

** तीन वर्षों या अधिक से वार्षिक लेखे प्राप्त नहीं हुए

\# सितम्बर 2014 के बाद प्राप्त किए गए लेखे

परिशिष्ट-II क (जारी)

क्रम सं./ मंत्रालय/ विभाग का नाम	साक्षेउ का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखे 30 सितम्बर 2014 तक प्राप्त नहीं हुए
जहाजरानी		
#43	सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड	2013-14
स्टील		
**44	आईआईएससीओ उज्जैन पाइप एंड फाउंडरी कम्पनी लिमिटेड	परिसमापनाधीन
टेक्सटाइल		
45	बर्डस जूट एण्ड एक्सपोर्टस लिमिटेड	2013-14
**46	ब्रशवेयर लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**47	कानपुर टेक्सटाइल लिमिटेड	अप्रचलित
48	दि ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड	2013-14
**49	दि एलजिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड	अप्रचलित
संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन		
**50	चंडीगढ़ चाइल्ड एंड वूमेन डेवलपमेंड कारपोरेशन लिमिटेड	2008-09 से 2013-14
51	चंडीगढ़ शेडयूलड कास्ट फाइनेंस एण्ड डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2013-14
शहरी विकास		
**52	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	2013-14

परिशिष्ट-II ख

बकाया पडे लेखे या परिसमापनाधीन/अप्रचलित कम्पनी

(पैरा सं. 1.1.3 एवं 2.3.2 देखें)

ख. मानित सरकारी कम्पनियां

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखे 30 सितम्बर 2014 तक प्राप्त नहीं हुए
**1.	एक्यूमेजर्स (पंजाब) लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**2.	एलाईड इंटरनेशनल प्रोड्क्ट्स लिमिटेड	अप्रचलित
**3.	बेकर ग्रे एण्ड कम्पनी लिमिटेड	अप्रचलित
**4.	बिहार इंडस्ट्रीयल एण्ड टेकनीकल कंस्लटेन्सी ऑर्गेनाईजेसन लिमिटेड	अप्रचलित
#5.	एनर्जी एफिसिएन्सी सर्विसेज लिमिटेड	2013-14
**6.	एक्सेलसियर प्लांटस कारपोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**7.	फलेवरिट स्पाइसेस ट्रेडिंग लिमिटेड	2013-14
**8	गंगावती शुगर्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
9	गैस एवं विद्युत निवेश कम्पनी लिमिटेड	2013-14
**10	इंडिया क्लीयरिंग एण्ड डिपोजिटरी सर्विसेस लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**11	जे एण्ड के इन्डस्ट्रियल एण्ड टेकनिकल कलजटेंसी आरगेनाईजेशन लिमिटेड	अप्रचलित
12	मिनाचिल ट्रिटड रबडवुड (प्रा.) लिमिटेड	2013-14
**13	मिलेनियम इन्फारमेशन सिस्टमस लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**14	नालंदा सिरामिक्स एण्ड इन्डस्ट्रिस लिमिटेड	अप्रचलित
**15	नार्थ बंगाल डोलोमाईट लिमिटेड	2009-10 से 2013-14
**16	नार्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रीयल एण्ड टेकनिकल कंस्लटेंसी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड	2010-11 से 2013-14
**17	उडीसा इंडस्ट्रीयल एण्ड टेकनीकल कंस्लटेंसी ऑर्गेनाईजेसन लिमिटेड	अप्रचलित
18	पम्बा रबर्स लिमिटेड	2013-14
**19	पजासी रबर्स (प्रा.) लिमिटेड	परिसमापनाधीन
20	पोनुमदी रबर्स (प्रा.) लिमिटेड	2012-13 से 2013-14
21	रबरवुड इण्डिया (प्रा.) लिमिटेड	2013-14
**22	टेक्टाइल्स प्रोसेसिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
23	यूपी इंडस्ट्रीयल एण्ड टेक्निकल कन्सलटेंस लिमिटेड	2013-14
**24	वैगन इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन

परिशिष्ट -III

(पैरा सं. 1.2.4 देखे)

क. सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों का बाजार पूँजीकरण

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ कंपनी का नाम	प्रदत्त पूँजी	31.3.2013 को बाजार मूल्य*	31.3.2014 को बाजार मूल्य*	2013-14 के दौरान बाजार मूल्य में बृद्धि/कमी	सरकारी शेयर का अंकित मूल्य	31.3.2013 को सरकारी शेयर का बाजार मूल्य	31.3.2014 को सरकारी शेयर का बाजार मूल्य	2013-14 के दौरान सरकारी शेयर के बाजार मूल्य में की बृद्धि/कमी
जैव प्रौद्योगिकी								
1. भारत इम्युनोलोजिकल्स एंड बायोलोजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड								
	43.18	52.42	37.52	-14.90	25.59	31.06	22.23	-8.83
रसायन एवं उर्वरक								
2. हिन्दुस्तान आर्गेनीक केमिकल्स लिमिटेड								
	337.27	73.15	80.00	6.85	309.48	43.00	47.02	4.02
3. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड								
	162.14	191.71	255.35	63.64	95.85	114.06	151.92	37.86
4. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड								
	490.58	2185.53	1182.29	-1003.24	441.52	2133.95	1064.06	-1069.89
5. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाजर्स लिमिटेड								
	551.69	2019.18	1826.09	-193.09	441.36	1615.36	1460.88	-154.48
6. दि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेवैनकोर लिमिटेड								
	647.07	1400.91	1329.73	-71.18	582.36	1380.76	1196.76	-184.00
कोयला								
7. कोल इंडिया लिमिटेड								
	6316.36	195270.41	181848.13	-13422.28	5662.69	175743.36	163028.85	-12714.51
8. नेयवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लिमिटेड								
	1677.71	11056.11	10259.19	-796.92	1509.94	10342.34	9233.27	-1109.07
वाणिज्य								
9. एमएमटीसी लिमिटेड								
	100.00	19925.00	5310.00	-14615.00	90.00	19791.74	4779.00	-15012.74
10. दि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड								
	60.00	815.70	1087.50	271.80	54.00	742.47	978.75	236.28
संचार								
11. आईटीआई लिमिटेड								
	588.00	465.12	462.24	-2.88	258.89	431.96	416.02	-15.94
12. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड								
	630.00	1159.20	959.49	-199.71	354.38	652.05	539.71	-112.34
रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति								
13. भारत इलेट्रोनिक्स लिमिटेड								
	80.00	9193.20	9157.20	-36.00	60.02	6974.15	6869.72	-104.43
14. बीईएमएल लिमिटेड								
	41.77	606.97	1214.35	607.38	22.50	327.94	656.10	328.16

* बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई में 31 मार्च अथवा पहले व्यापार के बन्द होने पर बाजार कीमत।

परिशिष्ट-III (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ कंपनी का नाम	प्रदत्त पूँजी	31.3.2013 को बाजार मूल्य*	31.3.2014 को बाजार मूल्य*	2013-14 के दौरान बाजार मूल्य में बृद्धि/कमी	सरकारी शेयर का अंकित मूल्य	31.3.2013 को सरकारी शेयर का बाजार मूल्य	31.3.2014 को सरकारी शेयर का बाजार मूल्य	2013-14 के दौरान सरकारी शेयर के बाजार मूल्य में की बृद्धि/कमी
वित्त								
15. बॉमर लॉरी इंवेस्टमेंट लिमिटेड								
	22.20	425.41	408.76	-16.65	13.25	253.86	243.93	-9.93
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम								
16. एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड								
	95.30	445.18	436.70	-8.48	58.70	415.36	393.03	-22.33
17. भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड								
	489.52	43310.28	48168.77	4858.49	308.69	29330.35	30375.14	1044.79
18. एचएमटी लिमिटेड								
	1864.09	1923.69	2197.41	273.72	1344.32	1902.18	2172.85	270.67
19. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड								
	85.38	101.36	138.75	37.39	80.03	97.58	130.06	32.48
खान								
20. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड								
	462.61	8576.77	6347.00	-2229.77	416.35	8063.19	5712.30	-2350.89
21. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड								
	1288.62	8543.55	10218.75	1675.20	1044.53	6925.23	8283.12	1357.89
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस								
22. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड								
	168.47	5207.36	7581.07	2373.71	116.87	4186.77	5258.86	1072.09
23. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड								
	723.08	27343.43	33283.57	5940.14	397.20	15020.12	18283.12	3263.00
24. गेल (इंडिया) लिमिटेड								
	1268.48	40483.46	47663.04	7179.58	711.73	23215.15	26743.39	3528.24
25. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड								
	339.01	9654.26	10488.98	834.72	173.08	4934.42	5361.05	426.63
26. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड								
	2427.95	68334.72	67739.87	-594.85	1664.97	53930.20	46452.54	-7477.66
27. ऑयल एंड नेच्चुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड								
	4277.76	266546.29	272663.47	6117.18	2948.88	184516.94	187961.61	3444.67
28. ऑयल इंडिया लिमिटेड								
	601.14	30733.08	28974.75	-1758.33	406.63	21032.10	19599.66	-1432.44
विद्युत								
29. एनएचपीसी लिमिटेड								
	11070.67	24478.48	21144.98	-3333.50	9516.21	21140.50	18175.96	-2964.54
30. एनटीपीसी लिमिटेड								
	8245.46	117085.59	98904.35	-18181.24	6184.10	87814.20	74178.26	-13635.94

* बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई में 31 मार्च अथवा पहले व्यापार के बन्द होने पर बाजार कीमत।

परिशिष्ट-III (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ कंपनी का नाम	प्रदत्त पूँजी	31.3.2013 को बाजार मूल्य*	31.3.2014 को बाजार मूल्य*	2013-14 के दौरान बाजार मूल्य में बृद्धि/कमी	सरकारी शेयर का अंकित मूल्य	31.3.2013 को सरकारी शेयर का बाजार मूल्य	31.3.2014 को सरकारी शेयर का बाजार मूल्य	2013-14 के दौरान सरकारी शेयर के बाजार मूल्य में की बृद्धि/कमी
31. पावर फाइंनेंस कारपोरेशन लिमिटेड								
	1320.04	23958.36	25529.57	1571.21	960.95	17661.07	18584.88	923.81
32. पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड								
	5231.59	49051.94	54957.85	5905.91	3028.84	34052.59	31817.91	-2234.68
33. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड								
	987.46	20553.96	22593.06	2039.10	648.17	13729.72	14830.09	1100.37
34. एसजेवीएन लिमिटेड								
	4136.63	7859.59	8686.92	827.33	2666.61	5066.56	5599.88	533.32
रेलवे								
35. कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड								
	194.97	13394.08	18990.49	5596.41	120.49	8449.67	11735.58	3285.91
इस्पात								
36. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड								
	4130.53	25753.83	29491.95	3738.12	3304.29	22101.14	23592.66	1491.52
37. एमओआईएल लिमिटेड								
	168.00	3728.76	4215.96	487.20	120.24	2983.01	3017.31	34.30
38. एनएमडीसी लिमिटेड								
	396.47	54534.67	55287.96	753.29	317.19	43630.13	44232.80	602.67
शिपिंग								
39. ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड								
	28.00	547.54	667.94	120.40	22.00	430.17	524.76	94.59
40. दि शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड								
	465.80	1891.14	1937.72	46.58	296.94	1205.58	1235.27	29.69
पर्यटन								
41. भारत पर्यटन विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड								
	85.77	5275.25	825.53	-4449.72	74.64	4858.93	718.43	-4140.50
शहरी विकास								
42. राष्ट्रीय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड								
	120.00	1465.20	1889.40	424.20	108.00	1318.68	1700.46	381.78
जोड़		**1105621.84**	**1096443.65**	**-9178.19**		**838589.60**	**797359.20**	**-41230.40**

<u>शेयरों में व्यापार नहीं किया गया</u>: 1. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, 2. हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स (मेनुफेक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड, 3. इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड, 4. केआईओसीएल लिमिटेड

* बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई में 31 मार्च अथवा पहले व्यापार के बन्द होने पर बाजार कीमत।

ख. सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों का बाजार पूँजीकरण (सहायक)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ कंपनी का नाम	प्रदत्त पूँजी	31.3.2013 को बाजार मूल्य	31.3.2014 को बाजार मूल्य	बाजार मूल्य में बृद्धि/कमी	सरकारी कंपनी के शेयर का अंकित मूल्य	31.3.2013 को नियंत्रक कंपनी द्वारा धारित शेयरों का बाजार मूल्य	31.3.2014 को नियंत्रक कंपनी द्वारा धारित शेयरों का बाजार मूल्य	पारित करने वाली नियंत्रक कंपनी द्वारा धारित शेयर का बाजार मूल्य
केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स								
1. हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड								
	19.61	12.33	9.02	-3.31	11.06	6.95	5.09	-1.86
पेट्रोलियम								
2. बॉमर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड								
	28.50	986.61	868.13	-118.48	17.61	609.72	536.50	-73.22
3. चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड								
	149.00	1809.27	1020.04	-789.23	77.27	938.18	528.93	-409.25
4. मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड								
	1752.66	8692.89	8333.61	-359.28	1552.51	7700.15	7381.90	-318.25
जोड़		11501.10	10230.80	-1270.30		9255.00	8452.42	-802.58

शेयरों में व्यापार नहीं किया गया: 1. इर्स्टन इनवेस्टमेंट लिमिटेड

परिशिष्ट -IV

(पैरा सं. 1.3.2 के अनुसार)

सरकारी कंपनियों और निगमों द्वारा अर्जित लाभ और भुगतान किए गए लाभांश का विवरण

(₹. करोड़ में)

वर्ष	पीएसयूज जिन्होंने घोषणा की/लाभांश का भगुतान किया				
	सं.	दत्त पूंजी	शुद्ध लाभ	लाभांश	*शुद्ध लाभ से लाभांश की प्रतिशता*
सांविधिक कम्पनियां					
2011-12	2	724.58	959.47	199.09	20.75
2012-13	2	724.58	874.55	174.87	20.00
2013-14	2	724.58	896.05	179.63	20.05
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां					
2011-12	35	59272.21	104144.41	32007.95	30.73
2012-13	32	58019.66	97514.91	38352.73	39.33
2013-14	34	57636.21	104662.36	48937.89	46.76
गैर-सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां					
2011-12	74	41809.14	24562.65	10464.21	42.60
2012-13	75	42091.27	31172.00	12155.39	38.99
2013-14	75	39944.48	30068.63	16933.81	56.32
कुल					
2011-12	111	101805.93	129666.53	42671.25	32.91
2012-13	109	100835.51	129561.46	50682.99	39.12
2013-14	111	98305.27	135627.04	66051.33	48.70

परिशिष्ट-V

(संदर्भ पैरा सं. 1.3.2)

सकारी कंपनियों द्वारा घोषित लाभांश में गिरावट

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	दत्त पूंजी	कर के पश्चात लाभ	घोषित लाभांश	दत्त पूंजी का 20 प्रतिशत	कर के पश्चात 20 प्रतिशत लाभ	घोषित किया जाने वाला न्यूनतम लाभांश	गिरावट
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां								
रसायन एवं उर्वरक								
1	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	551.69	249.89	82.75	110.34	49.98	110.34	27.59
ऊर्जा								
2	एसजेवीएस लिमिटेड	4136.63	1114.63	405.39	827.33	222.93	827.33	421.94
रेलवे								
3	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	19.80	1061.60	182.12	3.96	212.32	212.32	30.20
गैर-सूचीगत सरकारी कंपनियां								
कृषि								
4	स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	31.49	41.83	2.36	6.30	8.37	8.37	6.01
5	नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड	22.68	54.07	4.12	4.54	10.81	10.81	6.69
परमाणु ऊर्जा								
6	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10174.33	2299.20	689.77	2034.87	459.84	2034.87	1345.10
7	इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	163.37	47.39	9.48	32.67	9.48	32.67	23.19
वाणिज्य एवं उद्योग								
8	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1100.00	365.13	88.00	220.00	73.03	220.00	132.00

परिशिष्ट-V (जारी)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	दत्त पूंजी	कर के पश्चात लाभ	घोषित लाभांश	दत्त पूंजी का 20 प्रतिशत	कर के पश्चात 20 प्रतिशत लाभ	घोषित किया जाने वाला न्यूनतम लाभांश	गिरावट
कम्यूनिकेशन एण्ड इंफार्मेशन टेक्नालॉजी								
9	टेलीकम्यूनिकेशन कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड	43.20	14.75	1.03	8.64	2.95	8.64	7.61
भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम								
10	ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	20.26	44.12	4.05	4.05	8.82	8.82	4.77
हाऊसिंग एण्ड अर्बन पावरटी एलीवेशन								
11	हाऊसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2001.90	726.34	100.01	400.38	145.27	400.38	300.37
खनन								
12	खनन अंवेषण निगम लिमिटेड	119.55	25.46	5.14	23.91	5.09	23.91	18.77
न्यू एण्ड रिन्यूवल एनर्जी								
13	इंडिया रिन्यूवल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	744.60	240.51	35.00	148.92	48.10	148.92	113.92
पेट्रोलियम एण्ड नेचुरल गैस								
14	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	735.63	371.09	117.70	147.13	74.22	147.13	29.43
ऊर्जा								
15	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.05	33.01	0.25	0.01	6.60	6.60	6.35
16	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड	0.05	23.86	0.10	0.01	4.77	4.77	4.67

परिशिष्ट-V (जारी)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	दत्त पूंजी	कर के पश्चात लाभ	घोषित लाभांश	दत्त पूंजी का 20 प्रतिशत	कर के पश्चात 20 प्रतिशत लाभ	घोषित किया जाने वाला न्यूनतम लाभांश	गिरावट
रेलवे								
17	रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	320.94	137.93	17.00	64.19	27.59	64.19	47.19
शिपिंग								
18	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	113.28	194.24	16.99	22.66	38.85	38.85	21.86
टेक्सटाईल्स								
19	कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	25.00	59.84	5.00	5.00	11.97	11.97	6.97
	कुल गिरावट							**2554.63**

परिशिष्ट-VI

(संदर्भ पैराग्राफ 2.6)

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा बतायी गई कंपनियों का विवरण जहां लेखांकन मानकों में विचलन हुआ

क्र.सं.	कंपनी का नाम	वर्ग	सरकारी कंपनी (जीसी) और मानित सरकारी कंपनी (डीजीसी)	लेखांकन मानक की संख्या
1.	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस 1 और 9
2.	भारत संचार निगम लिमिटेड	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस– 5, 12, 15, 17, 22 और 28
3.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस-1,2,21 और 28
4.	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गैर सूचीबद्ध	जीसी	AS-17
5.	सेंट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस – 1, 5, 22 और 28
6.	चंडीगढ़ शेडयूल कास्ट फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 15
7.	चेन्नई एन्नौर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस – 1 और 26
8.	गोवा एंटीबॉयोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस–15 और 19
9.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस– 2, 27 और 29
10.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	एएस– 1, 10 और 28
11.	हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 2, 9, 12, 17, 20, 22, 28 और 29

परिशिष्ट - VI (जारी)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	वर्ग	सरकारी कंपनी (जीसी) और मानित सरकारी कंपनी (डीजीसी)	लेखांकन मानक की संख्या
12.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 15
13.	एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस- 13
14.	एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस -15
15.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 2, 6, 10, 13 और 15
16.	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस- 15
17.	लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस– 1 और 28
18.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 2
19.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	एएस– 2, 6, 9, 10, 13, 17, 28 और 29
20.	मिश्रधातु निगम लिमिटेड	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 29
21.	एमएसटीसी निगम लिमिटेड	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 11
22.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 9
23.	नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इं.	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस– 3, 4, 9, 10, 15, 18 और 26
24.	राष्ट्रीय परियोजना विनिर्माण निगम लि.	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस – 7, 9 और 28

परिशिष्ट - VI (जारी)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	वर्ग	सरकारी कंपनी (जीसी) और मानित सरकारी कंपनी (डीजीसी)	लेखांकन मानक की संख्या
25.	नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस – 9 और 13
26.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 15
27.	नेशनल टेक्सटाईल्स कारपोरेशन लिमिटेड	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस-17
28.	ओरिएंटल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस -15
29.	राइट्स लिमिटेड	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 11
30.	सांभर साल्टस लिमिटेड	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 16
31.	सेक्युरिटी प्रिंटिग एण्ड मिटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस -2, 6, 9, 10 और 29
32.	द हैंडीक्राफ्ट एण्ड हैण्डलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	गैर सूचीबद्ध	जीसी	एएस -1
33.	द शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	एएस - 28

परिशिष्ट - VII

(संदर्भ पैरा सं. 2.9.1)

सीपीएसईज जहॉ लेखांकन नीतियों और लेखांकन प्रथाओं में कमियां देखी गई थी

क्र.सं.	सीपीएसईज का नाम
1	ऑल बैंक फाईनेंस लिमिटेड
2	एंड्यू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड
3	सेंट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रासपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
5	एमएसटीसी लिमिटेड
6	नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कारपोरेशन लिमिटेड
7	द हैंडीक्राफ्ट एण्ड हैंडलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
8	द जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

परिशिष्ट-VIII

(पैराग्राफ सं. 2.9.2 के संदर्भ में)

सीपीएसईज़ जहां व्यवसायिक जोखिम की पहचान हेतु प्रक्रिया या तो अपर्याप्त थी या उपलब्ध नहीं थी

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम
1.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2.	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड
3.	एनर्जी एफीसीएंसी सर्विसेज लिमिटेड
4.	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड
5.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
6.	हिंदुस्तान फर्टीलाईजरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
8.	एचओसी चेमातुर लिमिटेड
9.	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड
10.	आईएफसीआई लिमिटेड
11.	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
12.	एमएमटीसी लिमिटेड
13.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14.	नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड
15.	नेपा लिमिटेड
16.	नई सिटी ऑफ बाम्वे मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
17.	नार्थ इस्टर्न पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
18.	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
19.	सोलर इनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
20.	एसटीसीएल लिमिटेड
21.	द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
22.	द शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

परिशिष्ट -IX

(पैराग्राफ संख्या 2.9.3 संदर्भ में)

सीपीएसईज़ जहां खातों की प्रणाली और वित्तीय नियंत्रण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम
1	अहमदाबाद वड़ोदरा एक्सप्रेसवे कंपनी लिमिटेड
2	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3	औरंगाबाद टैक्सटाईल एंड अपरैल पार्क्स लिमिटेड
4	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
5	भारत संचार निगम लिमिटेड
6	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड
7	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड
9	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
10	सैंट्रल इंलैड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
11	सैंट्रल रेलसाईड वेयरहाऊस कंपनी लिमिटेड
12	सैंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्यूरीटाईजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्यूरोटी इंट्रेस्ट ऑफ इंडिया
13	कोल इंडिया लिमिटेड
14	इनर्जी एफीसीएंसी सर्विसेज लिमिटेड
15	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
16	गेल गैस लिमिटेड
17	हार्डीकॉन लिमिटेड
18	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
19	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड
20	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाईड्स लिमिटेड
21	हिंदुस्तान फोटोफिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
22	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
23	हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड
24	एचएमटी लिमिटेड
25	एचएमटी मशीन लिमिटेड
26	एचएमटी वाचेज़ लिमिटेड
27	हाऊसिंग एंड अर्बन डेवलेपमैंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
28	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड
29	आईआईएफसीएल असैट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
30	इंडिया एसएमई टैक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड

परिशिष्ट –IX (जारी)

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम
31	इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाईजेशन
32	इंडिया यूनाईटेड टेक्सटाईल लिमिटेड
33	इंडियन टूरिज्म डेवलेपमैंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
34	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
35	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
36	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
37	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
38	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
39	एमएमटीसी लिमिटेड
40	एमएसटीसी लिमिटेड
41	नेशनल इंफोरमैटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक
42	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
43	न्यू सिटी ऑफ बाम्बे मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
44	नार्दन कोलफिल्ड्स लिमिटेड
45	एनटीपीसी भेल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
46	ओरिएंटल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड
47	पीईसी लिमिटेड
48	पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड
49	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
50	रत्नागिरी गैस और पावर प्राइवेट लिमिटेड
51	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
52	रिचर्डसन एंड क्रुड्डस (1972) लिमिटेड
53	सिक्यूरीटी प्रिटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
54	सोलरएनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
55	एसटीसीएल लिमिटेड
56	द हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
57	द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
58	द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
59	तूतीकोरिन पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड

परिशिष्ट - X

(पैराग्राफ संख्या 2.9.4 के संदर्भ में)

सीपीएसईज़ जहां मितव्ययी आदेश मात्रा, एबीसी विश्लेषण, भौतिक सत्यापन प्रणाली या मालसूची प्रबंधन नहीं/दोषपुर्ण था

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम
1	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
2	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3	औरंगाबाद टैक्सटाईल एंड अपरैल पार्क्स लिमिटेड
4	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
5	भारत पंप्स एंड कम्प्रेर्स लिमिटेड
6	भारत संचार निगम लिमिटेड
7	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टीलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड
8	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
9	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
10	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड
11	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड
12	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13	सेंट बैंक होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
14	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
15	सेंट्रल रेलसाईड वेयरहाऊस कंपनी लिमिटेड
16	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरीटाईजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्यूरोटी इंट्रस्ट ऑफ इंडिया
17	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड
18	दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
19	डोनई पोलो अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
20	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
21	इनर्जी एफीसीएंसी सर्विसेज लिमिटेड
22	जैनरल इंश्योरेस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया
23	गोल्डमोहर डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
24	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
25	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड
26	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
27	हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाईड्स लिमिटेड
28	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
29	हिंदुस्तान फोटोफिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड

परिशिष्ट – X (जारी)

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम
30	एचएमटी लिमिटेड
31	एचओसी चेमातुर लिमिटेड
32	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड
33	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड
34	इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाईजेशन
35	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
36	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
37	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
38	एमओआईएल लिमिटेड
39	एमपीसीओएन लिमिटेड
40	नेशनल बाईसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
41	नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
42	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
43	नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
44	नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड
45	नेपा लिमिटेड
46	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
47	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
48	नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
49	एनटीपीसी लिमिटेड
50	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड
51	पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड
52	राजस्थान कंसल्टैंसी आर्गनाईजेशन लिमिटेड
53	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
54	रिचर्डसन एंड क्रुड्स (1972) लिमिटेड
55	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
56	सिक्यूरीटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
57	द हैंडीक्राफ्ट् एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
58	द शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

परिशिष्ट - XI

(पैराग्राफ संख्या 2.9.5 के संदर्भ में)

सीपीएसईज़ जहां आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सुदृढ किये जाने की आवश्यकता है।

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम
1	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
2	औरंगाबाद टैक्सटाईल एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
3	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
4	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
5	भारत पंपस् एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड
6	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
8	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरीटाईजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्यूरोटी इंट्रस्ट ऑफ इंडिया
9	क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स
10	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड
11	गेल गैस लिमिटेड
12	हिंदुस्तान केबल लिमिटेड
13	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
14	हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाईड्स लिमिटेड
15	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
16	आईएफसीआई लिमिटेड
17	आईएफसीआई सिक्यूरीटीज़ फाईनैंस लिमिटेड
18	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड
19	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
20	इंडिया टूरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
21	इंडिया यूनाईटेड टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड
22	कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड
23	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
24	लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन लिमिटेड
25	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
26	एमएसटीसी लिमिटेड
27	नेशनल जूट मैम्यूफैक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
28	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड
29	न्यू सिटी ऑफ मैम्यूफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
30	नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड

परिशिष्ट – XI (जारी)

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम
31	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड
32	पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड
33	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
34	राजस्थान कंसल्टैंसी आर्गनाईजेशन लिमिटेड
35	सिक्योरीटी प्रिटिंग एंड मिटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
36	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
37	द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
38	तमिलनाडु ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाईजेशन
39	टूरिज्म फाइनैंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
40	उर्वरक विदेश लिमिटेड

परिशिष्ट – XII

(पैराग्राफ संख्या 2.9.6 के संदर्भ में)

सीपीएसईज़ जहां साफ्टवेयर/हार्डवेयर, आईटी नीति/योजना के लिए उचित सिक्योरीटी नीति में सुधार की आवश्यकता

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम
1	ऑल बैंक फाइनेंस लिमिटेड
2	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
3	औरंगाबाद टैक्सटाईल एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
4	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
5	भारत पम्प एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड
6	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टीलाईजर कॉरपोरेशन लिमिटेड
7	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड
9	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
10	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरीटाईजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्यूरोटी इंट्रस्ट ऑफ इंडिया
11	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड
12	कोल इंडिया लिमिटेड
13	दिल्ली मुंबई इंड्स्ट्रीयल कॉरीडोर डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14	इंजीनियरिंग प्रोजक्ट (इंडिया) लिमिटेड
15	एफसीआई अरावली एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड
16	फर्टीलाईजर एंड कैमीकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
17	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड
18	गोल्डमोहर डिजाइन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
19	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
20	हिन्दुस्तान इसैक्टीसाईड्स लिमिटेड
21	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
22	एचएमटी चीनार वाचिज लिमिटेड
23	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड
24	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
25	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड
26	आईएफसीआई लिमिटेड
27	आईएफसीआई सिक्यूरीटिज़ फाइनैंस लिमिटेड
28	आईएफसीआई वैंचर कैपिटल फंड लिमिटेड
29	आईएफआईएन कमोडिटिज़ लिमिटेड

परिशिष्ट – XII (जारी)

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम
30	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड
31	आईआईडीएल रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
32	इंडिया एसएमई टेक्नालॉजी सर्विसेज लिमिटेड
33	कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड
34	केआईटीसीओ लिमिटेड
35	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
36	लोकटक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलैक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड
37	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
38	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
39	एमएमटीसी लिमिटेड
40	एमएसटीसी लिमिटेड
41	नाबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
42	नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
43	नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड
44	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड
45	नेपा लिमिटेड
46	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैम्यूफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
47	नार्थ इस्टर्न डेवलेपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
48	नार्थ इस्टर्न पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
49	एनटीपीसी भेल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
50	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड
51	पीईसी लिमिटेड
52	पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
53	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
54	राजस्थान कंसल्टैंसी आर्गनाईजेशन लिमिटेड
55	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड
56	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
57	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
58	सेल रिफैक्ट्री कंपनी लिमिटेड
59	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
60	सोलर इनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
61	एसटीसी लिमिटेड
62	द बिसरा स्टोन लाईम कंपनी लिमिटेड
63	द हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

परिशिष्ट – XII (जारी)

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम
64	द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
65	द ओड़ीसा मिनरल्स डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड
66	द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
67	द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
68	टूरिज्म फाइनैंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
69	उर्वरक विदेश लिमिटेड

परिशिष्ट - XIII

(पैराग्राफ संख्या 2.9.7 के संदर्भ में)

सीपीएसईज़ जहां कोई औपचारिक लागत नीति नहीं थी या मौजूदा लागत नीति प्रभावशाली नहीं थी

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम
1	औरंगाबाद टैक्सटाईल एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
2	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
3	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड
5	डोनई पोलो अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड
7	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
8	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
9	एचएमटी चिनार वाचिज़ लिमिटेड
10	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड
11	आईआईडीएल रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
12	इंडिया यूनाईटेड टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड
13	एनएचपीसी लिमिटेड
14	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
15	सिक्यूरीटी प्रिटिंग एंड मिटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
16	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

परिशिष्ट - XIV

(पैराग्राफ संख्या 2.9.8 के संदर्भ में)

सीपीएसईज जहां ठेकेदारों और आपूर्तिकर्त्ताओं के अग्रिम की निगरानी और समायोजन को सुदृढ़ करना अपेक्षित है

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
2	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड
4	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5	सेंट्रल इंलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
7	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
8	एचओसी चेमातुर लिमिटेड
9	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
10	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
11	नेपा लिमिटेड
12	एनएचपीसी लिमिटेड
13	पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड
14	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
15	रत्नागिरी गैस एवं पावर प्राइवेट लिमिटेड
16	रिचर्डसन एंड क्रुड्स (1972) लिमिटेड
17	सिक्यूरीटी प्रिटिंग एंड मिटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

परिशिष्ट - XV

(पैराग्राफ संख्या 2.9.9 के संदर्भ में)

उन सीपीएसईज़ का विवरण जहां देनदार/लेनदार के संबंध में प्रबंधन द्वारा बकाया की पुष्टि प्राप्त नहीं की गई थी

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम
1.	ऑल बैंक फाइनेंस लिमिटेड
2.	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
3.	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
4.	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
5.	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6.	सैंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
7.	सैंट्रल इंलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड
8.	डोनई पोलो अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
9.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
10.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
11.	हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाईड्स लिमिटेड
12.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
13.	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड
14.	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड
15.	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड
16.	एमएसटीसी लिमिटेड
17.	नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड
18.	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
19.	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
20.	रिचर्डसन एंड क्रुडड्स (1972) लिमिटेड
21.	तमिलनाडु ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाईजेशन
22.	द हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलुम्स एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

परिशिष्ट - XVI

(पैराग्राफ संख्या 2.9.10 के संदर्भ में)

सीपीएसईज़ जहां नकली और जोखिम नीति/चेतावनी देने वाली नीति अपर्याप्त थी

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम
1.	औरंगाबाद टैक्सटाईल्स एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
2.	बैरा सियूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड
3.	बीईएमएल लिमिटेड
4.	बंगाल केमीकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
5.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
6.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
7.	भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड
8.	भारतीय रेल बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड
9.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड
10.	कैनरा रोबैको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
11.	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
12.	सेंट बैंक होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
13.	सेंट्रल रेलसाईड वेयर हाऊस कंपनी लिमिटेड
14.	सर्टीफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड
15.	दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
16.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
17.	इनर्जी एफीसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
18.	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड
19.	गोल्डमोहर डिजाइन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
20.	हार्डीकोन लिमिटेड
21.	हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाईडस लिमिटेड
22.	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
23.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
24.	एचएमटी वाचिज लिमिटेड
25.	हाऊसिंग एडं अर्बन डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
26.	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड
27.	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
28.	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड
29.	आईएफसीआई लिमिटेड
30.	आईएफसीआई वैंचर केपीटल फंड लिमिटेड
31.	आईएफआईएन कमोडिटीज़ लिमिटेड

परिशिष्ट – XVI (जारी)

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम
32.	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड
33.	आईएफआईएन सिक्योरीटीज़ फाइनैंस लिमिटेड
34.	आईआईडीएल रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
35.	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
36.	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
37.	इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड
38.	लोकटक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलैक्ट्रिक कार्पोरेशन लिमिटेड
39.	मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड
40.	महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड
41.	मझगांव डॉक लिमिटेड
42.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
43.	एमएमटीसी लिमिटेड
44.	एमओआईएल लिमिटेड
45.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
46.	नेशनल हाई पावरटैस्ट लेबोरैट्री प्राइवेट लिमिटेड
47.	नेशनल टैक्सटाईल कंपनी लिमिटेड
48.	नेपा लिमिटेड
49.	न्यू सीटी ऑफ बॉम्बे मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
50.	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
51.	नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
52.	एनटीपीसी भेल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
53.	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड
54.	पीईसी लिमिटेड
55.	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
56.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
57.	प्रोजैक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
58.	राजस्थान कसल्टैंसी आर्गनाईजेशन लिमिटेड
59.	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
60.	सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया
61.	एसटीसीएल लिमिटेड
62.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
63.	द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
64.	टुरिज्म फाइनैंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
65.	यूनियन केबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

परिशिष्ट – XVI (जारी)

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम
66.	यूनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
67.	उर्वरक विदेश लिमिटेड
68.	विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड

परिशिष्ट - XVII

(पैराग्राफ संख्या 2.10 के संदर्भ में)

आंतरिक नियंत्रणों से संबंधित कमियों की प्रकृति दर्शाने वाली सीपीएसईज़ का विवरण

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम	कमी की प्रकृति
1.	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड	कंपनी के पास कोई निवेश नीति नहीं है।
2.	भारत पम्पस एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड	• कंपनी द्वारा स्टोर की खरीद की मात्रा मितव्ययी आदेश मात्रा निर्धारित नहीं की गई थी। • माँग सूची नियंत्रण के लिए एबीसी विश्लेषण नहीं अपनाया गया था। • अचल परिसंपत्तियों के सर्वेक्षण की कोई प्रणाली नहीं थी और अचल परिसंपत्तियों का वर्ष के दौरान फिर से मूल्यांकन नहीं किया गया था। • कंपनी के पास सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर के लिए समुचित सुरक्षा नीति नहीं थी।
3.	भारत संचार निगम लिमिटेड	• कारपोरेट कार्यालय में आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों पर कोई औपचारिक अनुपालन सूचना तंत्र नहीं था। इसे और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। • आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र के कार्यक्षेत्र को और व्यापक करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, तिमाही समाप्ति पर 6-8 सप्ताह की रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण के साथ वर्ष के दौरान तिमाही अंतराल पर आंतरिक लेखापरीक्षा की जानी चाहिए। प्रबंधन को आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अनुपालन तैयार करके इसे निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। • आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों पर अनुपालन तंत्र को 25 एसएसएज़ में और मजबूत किया जाना चाहिए। एसएसए/क्षेत्रीय आंतरिक लेखापरीक्षाकों द्वारा एक समान रिपोर्टिंग प्रणाली नहीं थी।

परिशिष्ट – XVII (जारी)

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम	कमी की प्रकृति
4.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	कंपनी द्वारा अनुरक्षित अचल परिसंपत्ति रजिस्टर ठीक नहीं था क्योंकि इसमें मात्रात्मक विवरण, स्थिति और तत्संबंधी पहचान संख्या सहित पूरा विवरण नहीं है। जमीन के संबंध में कोई विवरण नहीं दर्ज किया गया था।
5.	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	कोई आंतरिक लेखापरीक्षा मानक/नियमावली/दिशा-निर्देश नहीं था।
6.	सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	• कंपनी के पास कोई विशेष क्रेडिट नीति नहीं है। • स्टोर की खरीद (मानक/गैर-मानक) हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि कार्य पूरा होने के बावजूद भी स्टोर का बहुत अधिक स्टॉक बचा था।
7.	डोनी पोलो अशोक होटल निगम लिमिटेड	कंपनी के पास वस्तुओं की भण्डारण हानि के लिए कोई मानक नहीं है।
8.	गेल गैस लिमिटेड	• ग्राहकों जिन्होंने गैस लेना शुरू किया था और ग्राहकों की संख्या जिसके लिए बिल की माँग की गई थी में अन्तर था। • कई बार जीआर/आईआर अधिशेषों की मंजूरी हस्तगत छेड़छाड़ के माध्यम से दी गई थी जो प्रणाली अनुशासन के विरूद्ध था। • ठेकेदारों को जारी माल का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। • गैस मिलान की कोई नियमित प्रणाली नहीं है। • कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा देखा जाता है जिसे और अधिक मजबूत किया जाना चाहिए और कंपनी को वित्तीय मामलों के लिए सनदी लेखाकार द्वारा अन्य पक्ष आंतरिक लेखापरीक्षा करने का सुझाव दिया गया है।
9.	गोल्डमोहर डिजाइन एण्ड अपेरल पर्क्स लिमिटेड	कंपनी द्वारा चेतावनी नीति और धोखाधड़ी नीति नहीं बनाई गयी थी। इसके अतिरिक्त, इसके पास अलग से कोई सतर्कता विभाग नहीं है।

परिशिष्ट – XVII (जारी)

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम	कमी की प्रकृति
10.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	कंपनी के आकार और इसकी कारोबारी प्रकृति को देखते हुए आंतरिक नियंत्रण तंत्र को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।
11.	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	वस्तुओं को इसकी बुक वैल्यू पर बताया गया है और इसकी शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य से तुलना नहीं की गई।
12.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	• कंपनी के रोजमर्रा प्रशासन में धोखाधड़ी/ अनियमितताओं की किसी भी संभावना से बचने के लिए कंपनी के आकार और इसकी कारोबारी प्रकृति को देखते हुए आंतरिक नियंत्रण तंत्र को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। • वार्षिक लेखापरीक्षा लेखे के नोट सं. 35 के खण्ड 16 में बताएगए इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स घाटशिला में चेक के धोखाधड़ी भुगतान से संबंधित वित्तीय अनियमिततायें थीं। प्रबंधन ने इसे धोखा धड़ी नहीं बताया था।
13.	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड	• अलग सतर्कता विभाग नहीं। • आंतरिक लेखापरीक्षा मानकों/नियमावली/दिशा-निर्देशों का अभाव।
14.	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड	• अलग सतर्कता विभाग नहीं। • निवेश नीति का अभाव। • आंतरिक लेखापरीक्षा मानकों/नियमावली/दिशा-निर्देशों का अभाव।
15.	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	• अलग सतर्कता विभाग नहीं। • अचल परिसंपत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया था। • वस्तुओं का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।
16.	आईएफसीआई सेक्यूरिटीज़ फाइनेंस लिमिटेड	• अलग सतर्कता विभाग नहीं। • कंपनी द्वारा कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। • आईटी सुरक्षा नीति का अभाव।

परिशिष्ट – XVII (जारी)

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम	कमी की प्रकृति
17.	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड	• अलग सतर्कता विभाग नहीं। • निवेश नीति का अभाव। • आंतरिक लेखापरीक्षा मानकों/नियमावली/दिशा-निर्देशों का अभाव।
18.	आईएफआईएन कमोडिटीज़ लिमिटेड	• अलग सतर्कता विभाग नहीं। • निवेश नीति का अभाव। • आंतरिक लेखापरीक्षा मानकों/नियमावली/दिशा-निर्देशों का अभाव।
19.	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड	• अलग सतर्कता विभाग नहीं। • अचल परिसंपत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया था।
20.	आईआईडीएल रीएलटर्स प्राइवेट लिमिटेड	• अलग सतर्कता विभाग नहीं। • आंतरिक लेखापरीक्षा मानकों/नियमावली/दिशा-निर्देशों का अभाव।
21.	भारत एसएमई टेक्नॉलॉजी सर्विसेज़ लिमिटेड	• अलग सतर्कता विभाग नहीं। • निवेश नीति का अभाव।
22.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	स्टोर के अंतर-परियोजना स्थानान्तरण हेतु कोई दिशा-निर्देश नहीं बनाए गए थे।
23.	एमपीसीओएन लिमिटेड	अचल परिसंपत्ति रजिस्टर को अद्यतित किया जाए।
24.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	विभिन्न इकाईयों द्वारा विभिन्न कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर पर अचल परिसंपत्ति रजिस्टर नहीं बनाया जा रहा था और इंटरफेस से नहीं जोड़ा जा रहा था।
25.	नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कार्पोरेशन लिमिटेड	कंपनी के पास कोई निवेश नीति नहीं है।
26.	नेशनल टेक्सटाईल कंपनी लिमिटेड	• कंपनी के पास अनुमोदित आईटी नीतिगत योजना और आईटी समिति और प्रभावी आपदा वसूली योजना नहीं है। • आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत किया जाना चाहिए। आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र उच्च मूल्य निविदाओं, संयुक्त उद्यम अंतरण और पुराने बकाए पर रिपोर्टिंग और पुष्टिकरण आदि को शामिल करके और व्यापक बनाना चाहिए।
27.	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	कंपनी के पास कोई निवेश नीति नहीं है।

परिशिष्ट – XVII (जारी)

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम	कमी की प्रकृति
28.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली/दिशा-निर्देश नहीं थे और नियमों का दस्तावेजीकरण नहीं हुआ था।
29.	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	अलग सतर्कता विभाग नहीं।
30.	राजस्थान कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड	• कंपनी के पास अनुमोदित आपदा वसूली योजना नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई ईडीपी लेखापरीक्षा नहीं है। • कंपनी के पास कोई आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग नही था।
31.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	कंपनी द्वारा स्टोर की खरीद हेतु मितव्ययी आदेश मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया था।
32.	सिक्युरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	• कंपनी के पास वस्तुओं की अधिकतम और न्यूनतम सीमा और मितव्ययी आदेश मात्रा निर्धारित करने वाली कोई लिखित नीति नहीं थी। • वस्तुओं के नियंत्रण हेतु एबीसी विश्लेषण नहीं अपनाया गया था। • कंपनी कुछ इकाईयों में वस्तुओं का समुचित अभिलेख नहीं बना रही थी।
33.	द हैंडीक्रॉफ्ट एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आंतरिक नियंत्रण तंत्र को निम्नलिखित क्षेत्रों में मजबूत किए जाने की आवश्यकता है जैसे- स्टोर पर, पुष्टिकरण प्राप्ति, रिटर्न्स का आवधिक मिलान, कार्य ठेके पर टीडीएस, विदेशी मुद्रा अभिलेख इत्यादि।
34.	द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	• लेखापरीक्षा समिति ने लेखांकन एवं वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावकारिता पर प्रबंधन के साथ चर्चा और समीक्षा नहीं की थी। • सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर के लिए सुरक्षा नीति की आंतरिक टीम द्वारा वार्षिक आधार पर समीक्षा नहीं की गई थी जैसा कि "सूचना सुरक्षा की स्वतंत्र समीक्षा" खण्ड के तहत आईएस नीति नियमावली में परिभाषित है।
35.	टूरिज्म फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अलग सतर्कता विभाग नहीं।
36.	उर्वरक विदेश लिमिटेड	अलग सतर्कता विभाग नहीं।
37.	उत्कल अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड	अवधि के दौरान अचल परिसंपत्तियों का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

परिशिष्ट - XVIII

(पैराग्राफ संख्या 3.1.5 के संदर्भ में)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, खान मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत कार्पोरेट अभिशासन पर अध्याय के लिए कवर की गई सीपीएसईज़

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम
1	पांडिचेरी अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड
2	तमिलनाडु ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाईजेशन
3	झारखंड नेशनल मिनरल डेवलेपमेंट कार्पोरेशन
4	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन
5	एसटीसीएल लिमिटेड
6	असम अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड
7	डोनई पोलो अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड
8	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
9	जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
10	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
11	नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कार्पोरेशन लिमिटेड
12	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13	दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड
14	इंडिया टुरिज्म डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
15	एमएमटीसी लिमिटेड
16	नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड
17	नेशनल सेंटर फोर ट्रेड इंफोर्मेशन
18	पीईसी लिमिटेड
19	स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
20	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
21	जे एंड के डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
22	नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
23	नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड
24	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड
25	द कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
26	द हैंडीक्रॉफ्ट एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
27	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
28	मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
29	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
30	अपोलो डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

परिशिष्ट - XVIII (जारी)

क्र. सं.	सीपीएसईज़ के नाम
31	औरंगाबाद टैवसटाईल्स एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
32	गोल्डमोहर डिजाइन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
33	इंडिया यूनाईटेड टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड
34	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड